

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 555]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 10, शक 1936

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्र. 809-2014-म-इकतीस.—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश में कृषक संगठन के चुनाव हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम
अध्याय—एक

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 2014 है.

(2) ये नियम ऐसी जल उपभोक्ता संस्थाओं को लागू होंगे जिन्होंने अपने निर्वाचन की अवधि पूर्ण कर ली है तथा ऐसी जल उपभोक्ता संस्थाओं को लागू नहीं होंगे जिनके निर्वाचन की अवधि का इन नियमों के प्रारंभ पर अवसान नहीं हुआ है.

(3) ये “मध्यप्रदेश राजपत्र” में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं** :—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.—

- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999);
- (ख) “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 21 के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी;
- (ग) “जिला निर्वाचन अधिकारी” से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन निर्वाचन के संचालन के लिये जिले का कलक्टर;
- (घ) “प्ररूप” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (ङ) “रिटर्निंग अधिकारी” से अभिप्रेत है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी,

(च) "मतदाता सूची" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कृषक संगठन गठन नियम, 1999 के नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची।

अध्याय—दो

3. निर्वाचनों के संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र .— (1) अधिनियम की धारा 33 के अधीन नियुक्त किया गया राजस्व संभाग का आयुक्त, उसकी अधिकारिता के भीतर निर्वाचनों के संचालन के प्रयोजन के लिए संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी होगा।
- (2) जल उपभोक्ता संथा की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों तथा कृषक संगठन के अध्यक्ष/सभापति (चेयरपर्सन) के निर्वाचन, जिला निर्वाचन प्राधिकारी के अधीक्षण, निर्देश तथा नियंत्रण के अधीन संचालित किए जाएंगे।
- (3) जिला कलक्टर, जिला निर्वाचन प्राधिकारी होगा। इन नियमों के अधीन संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन, जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा भी उसकी अधिकारिता के भीतर किया जा सकेगा, जैसा कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाए।
- (4) जिले का अपर कलक्टर, अपर जिला निर्वाचन प्राधिकारी होगा। जिले में यथास्थिति, तहसीलदार या अनुविभागीय (सब-डिवीजनल) अधिकारी (राजस्व), उप जिला निर्वाचन प्राधिकारी होगा।
- (5) अपर जिला निर्वाचन प्राधिकारी और उप जिला निर्वाचन प्राधिकारी ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जो उन्हें जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा समनुदेशित किए जाएं। जिला निर्वाचन प्राधिकारी उस क्षेत्र की किसी जल उपभोक्ता संथा, वितरिका समिति या परियोजना समिति के प्रत्येक निर्वाचन के बारे में इन नियमों के अधीन उसमें निहित की गई शक्तियों में से किसी भी शक्ति का जिले में किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए अपर जिला निर्वाचन अधिकारी या उप जिला निर्वाचन प्राधिकारी को लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा।
4. निर्वाचनों का संचालन — संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी के सामान्य अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जिला निर्वाचन प्राधिकारी, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों, जल उपभोक्ता संथा और वितरिका समिति के अध्यक्ष तथा परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति (चेयरपर्सन) और सदस्यों

के निर्वाचनों के संचालन के संबंध में समस्त कार्यों के संचालन, समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

5. निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति – प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य तथा जल उपभोक्ता संथा और वितरिका समिति के अध्यक्ष के स्थानों को भरने के लिए और परियोजना समिति के सभापति (चेयरपर्सन) के पदों को भरने के लिए प्रत्येक निर्वाचन के लिए, जिला निर्वाचन प्राधिकारी, आदेश द्वारा, किसी अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा जो यथा संभव राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी या किसी स्थानीय प्राधिकरण का ऐसा अधिकारी होगा जो तहसीलदार की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो।
6. सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति – जिला निर्वाचन प्राधिकारी, किसी निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण का अधिकारी होगा।

7. सहायक निर्वाचन अधिकारी के कृत्य – निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा :

परन्तु कोई भी सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के ऐसे किन्हीं कृत्यों को, जो नामनिर्देशन की समीक्षा से संबंधित है तब तक नहीं करेगा जब तक कि निर्वाचन अधिकारी उक्त कृत्य का पालन करने से अपरिहार्यतः निवारित न किया जाए।

8. निर्वाचन अधिकारी के साधारण कर्तव्य – किसी भी निर्वाचन में, निर्वाचन अधिकारी का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह समस्त ऐसे कार्य और बातें करे जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के अधीन उपबंधित की गई रीति में निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक हों।
9. निर्वाचनों के लिए मतदान केन्द्रों की व्यवस्था – जिला निर्वाचन प्राधिकारी, ऐसे निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाएं, उतने मतदान केन्द्र उपलब्ध कराएगा, जितने कि निर्वाचनों के संचालन के लिए आवश्यक हों और मतदान केन्द्रों और उन क्षेत्रों या

मतदाताओं के समूहों को, जिनके लिए उन्हें क्रमशः उपलब्ध कराया गया है, दर्शाते हुए एक सूची ऐसी रीति में प्रकाशित करेगा, जैसा कि निर्वाचन प्राधिकारी निदेश दे।

मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति - (1) जिला निर्वाचन प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी और ऐसे अन्य मतदान अधिकारी नियुक्त करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे, किन्तु यह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जिसे निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियुक्त किया गया है या जो अभ्यर्थी के लिए अन्यथा कार्य कर रहा है :

परन्तु यदि कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित रहता है तो पीठासीन अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति से, जो निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित है या अन्यथा कार्य कर रहा है, भिन्न किसी व्यक्ति को, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित है मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा और तदनुसार निर्वाचन अधिकारी को सूचित कर सकेगा :

परन्तु यह और भी कि जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के लिए मतदान का संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया मतदान कार्मिक या इस नियम के अधीन उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया कोई अन्य अधिकारी भी किसी अन्य निर्वाचक पद हेतु, जिसके लिए कि साथ-साथ निर्वाचन सम्पादित किया जाना है, मतदान संचालित करा सकेगा।

(2) मतदान अधिकारी, यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे ऐसा निदेशित किया जाए तो इन नियमों के अधीन पीठासीन अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा।

(3) यदि कोई पीठासीन अधिकारी बीमारी के कारण या अपरिहार्य कारणों से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहता है तो उसके कृत्यों का पालन ऐसे मतदान अधिकारी द्वारा, जिसे कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसी किसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, किया जाएगा।

(4) पीठासीन अधिकारी का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह मतदान केन्द्र पर लोक व्यवस्था बनाए रखे और यह देखे कि मतदान निष्पक्ष रीति में सम्पन्न हो।

अध्याय—तीन

जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य तथा अध्यक्ष का निर्वाचन

11. निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना :— (1) अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् और जल उपभोक्ता संथा की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों की अवधि का अवसान होने पर या मृत्यु, त्याग-पत्र या वापिस बुलाने पर या निरर्हित होने पर या यथास्थित, ऐसे पद की रिक्ति होने पर जल उपभोक्ता संथा के गठन के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन किया जाएगा।

(2) संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी, उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, ऐसे निर्देशों के अध्यक्षीन रहने हुए जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में तथा अनुकूल इस निमित्त जारी किए जाएं, अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों तथा किए गए आदेशों के अनुरूप जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों के निर्वाचन के संचालन के लिए प्ररूप 1 में सूचना प्रकाशित करेगा।

(3) व्यतिक्रमी सूची, प्ररूप 1 में सूचना के प्रकाशन की तारीख के 15 दिन अग्रिम में प्रदर्शित की जाएगी।

स्पष्टीकरण, व्यतिक्रमी से अभिप्रेत है कि कोई व्यक्ति जिसके द्वारा मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) के अधीन उससे शोध्य किसी राशि का 3 वर्ष या अधिक कालावधि के लिए भुगतान नहीं किया गया है।

(4) निर्वाचन अधिकारी, उपनियम (2) के अधीन सूचना जारी होने पर जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्ररूप -2 में, हिन्दी भाषा में, सार्वजनिक सूचना देगा जो मुख्य स्थानों पर ऐसी रीति में प्रकाशित की जाएगी, जैसा कि निर्वाचन अधिकारी निर्देश दें।

(5) निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों के लिए नियत तारीखें, निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन होंगी:—

(क) नामनिर्देशन-पत्र भरने की अंतिम तारीख, उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना के प्रकाशन के पश्चात्, चार दिन से पूर्व की और दस दिन के पश्चात् की नहीं होगी, चाहे उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो या न हो;

(ख) नामनिर्देशन-पत्रों की जांच की तारीख, नामनिर्देशन-पत्र भरने की अंतिम तारीख के ठीक अगले दिन की होगी, चाहे उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो या न हो;

- (ग) अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख तथा समय नामनिर्देशन-पत्रों की जांच के लिए नियत दिन के बाद आने वाले तीसरे दिन के अपरान्ह 3.00 बजे के पश्चात् का नहीं होगा, चाहे उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो या न हो;
- (घ) वह तारीख या वे तारीखें जिसको या जिनको कि मतदान किया जाएगा, वह तारीख या उन तारीखों में से प्रथम तारीख ऐसी तारीख होगी जो अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख के पश्चात् से दसवें दिन से पूर्व की नहीं होगी;
- (ङ) मतदान, नियत दिन को पूर्वान्ह ठीक 8.00 बजे प्रारंभ होगा और अपरान्ह 2.00 बजे समाप्त होगा। मतदान के ठीक बाद, मतगणना प्रारंभ होगी और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

12. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों की प्रथम चुनाव के समय पदावधि का निर्धारण करना.— अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की पदावधि मध्यप्रदेश कृषक संगठन गठन नियम, 1999 के नियम 4क में विहित रीति में नियत किया जाएगा।

13. जल उपभोक्ता संथाओं में एक से अधिक पद धारण करने के विरुद्ध निर्बंधन.— मध्यप्रदेश कृषक संगठन गठन नियम, 1999 के नियम 4ख के अधीन एक से अधिक पद धारण करने के विरुद्ध निर्बंधन का एक उपबंध होगा।

14. विशेष निर्वाचन कार्यक्रम.— इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां निर्वाचन प्रक्रिया में कोई व्यवधान होता है या किसी न्यायालय के आदेशों के कारण या लेखबद्ध किए जाने वाले अन्य वैध कारणों से निर्वाचन कार्यक्रम को परिवर्तित किया जाना हो तो निर्वाचन प्राधिकारी के लिए यह उचित होगा कि वह या तो सामान्यतः या विनिर्दिष्ट जल उपभोक्ता संथा के संबंध में निर्वाचन कार्यक्रम को, नियम 11 के उपनियम (5) को ध्यान में लाए बिना, इस प्रकार परिवर्तित करें, जैसा कि मामले की परिस्थितियों में वह ठीक समझे और निर्वाचन अधिकारी उसे प्रभावी करेगा :

परन्तु जहां नामनिर्देशन से प्रारंभ होने वाले निर्वाचन कार्यक्रम इस नियम के अधीन पुनः अधिसूचित किया गया जाता है तो पूर्व में किए गए नामनिर्देशन अग्राह्य हो जाएंगे और नियम 17 के अधीन जमा राशि यदि कोई हो, लौटा दी जाएगी।

15. अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन.— (1) कोई भी व्यक्ति, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों तथा जल उपभोक्ता संथा ओर वितरिका समिति के अध्यक्ष और परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति के पद को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, यदि वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित है। प्रत्येक नामनिर्देशन-पत्र, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य के लिए प्ररूप-3 में जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष के लिए प्ररूप 20 में, वितरिका समिति के लिए प्ररूप 29 में और परियोजना समिति के लिए प्ररूप 38 में होगा और अभ्यर्थियों और उनके प्रस्तावक द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों के लिए प्ररूप 3 में, जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष के लिए, प्ररूप 20 में,

वितरिका समिति के लिए प्ररूप 29 में तथा परियोजना समिति के लिए प्ररूप 38 में, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित करके और नियत तारीख को या उसके पूर्व विनिर्दिष्ट समय के बीच अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थी, नाम निर्देशन-पत्र पर घोषणा पर, हस्ताक्षर करेगा।

(2) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों या जल उपभोक्ता संथा, वितरिका समिति के अध्यक्ष और परियोजना समिति के सभापति के पद के अभ्यर्थी और उनके प्रस्तावक वे व्यक्ति होंगे जिनके नाम क्रमशः उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जल उपभोक्ता संथा, वितरिका समिति या परियोजना समिति की विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत हों।

(3) प्रत्येक अभ्यर्थी, पृथक् नामनिर्देशन-पत्र पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) किसी अभ्यर्थी को एक ही निर्वाचक पद के लिए एक से अधिक प्रस्तावकों द्वारा अलग-अलग रूप से एक पृथक् नामनिर्देशन प्ररूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

परन्तु किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से चार से अधिक नामनिर्देशन-पत्र नहीं भरे जाएंगे।

16. नामनिर्देशन-पत्र का प्रस्तुत किया जाना और विधिमान्य नामनिर्देशन के लिए अपेक्षाएं—

(1) प्रत्येक अभ्यर्थी, नियत तारीख को या उसके पूर्व या तो स्वयं या उसके प्रस्तावक द्वारा प्ररूप-3 में सम्यक् रूप से पूर्ण और अभ्यर्थी द्वारा और प्रस्तावक के रूप में संबंधित जल उपभोक्ता संथा के पात्र मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित नामनिर्देशन-पत्र नियम 11 के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट समय के दौरान और स्थान पर प्राधिकृत निर्वाचन अधिकारी को देगा।

(2) नामनिर्देशन-पत्र प्राप्त होने पर, निर्वाचन अधिकारी उन्हें तत्काल उस क्रम में जमाएगा जिसमें कि वे प्रस्तुत किए गए हैं और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के लिए प्ररूप 3 में, अध्यक्ष जल उपभोक्ता संथा के लिये प्ररूप 20 में, वितरिका समिति के लिए प्ररूप-29 में और परियोजना समिति के लिए प्ररूप-38 में यथा उपबंधित रसीद देगा और निर्वाचन अधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकृत व्यक्ति इस बात से स्वयं का समाधान कर लेगा कि नामनिर्देशन-पत्र में यथा प्रविष्ट अभ्यर्थी और उसके प्रस्तावक के नाम तथा उनका संख्यांक, निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम तथा संख्यांक के अनुरूप ही है, जहां आवश्यक हो वहां वह यह निदेश दे सकेगा कि नामनिर्देशन प्ररूप को इस प्रकार संशोधित किया जाए जिससे वह निर्वाचक नामावली के अनुसार हो सके।

(3) निर्वाचन अधिकारी, जब वह मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि का निर्वाचन कर रहा हो तो वह केवल लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटियों पर ध्यान नहीं देगा, किन्तु नामनिर्देशन की छानबीन पर उसे औपचारिक रूप से स्वीकृत या नामंजूर करते समय वह अपने द्वारा अंगीकृत निर्वाचन को उसके लिए कारण देते हुए अभिलिखित करेगा।

17. (क) प्रतिभूति निक्षेप/नामनिर्देशन शुल्क.-

(1) कोई भी पात्र अभ्यर्थी जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य, जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष, वितरिका समिति के अध्यक्ष, परियोजना समिति के सभापति के पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, वो नीचे दी गई सारणी में यथा उल्लेखित नामनिर्देशन शुल्क जमा कर संबंधित चुनाव अधिकारी से नाम निर्देशन प्ररूप प्राप्त करेगा।

स्पष्टीकरण:-

कृषक संगठन के विभिन्न पदों के लिए विहित उपरोक्त फीस उस विशिष्ट पद के लिए है तथा प्रत्येक के लिए पृथक होगी।

सारणी

(नियम-17 देखिए)		
सारणी : कृषक संगठन में प्रतिभूति निक्षेप/नामनिर्देशन शुल्क		
	कृषक संगठन में पद	प्रतिभूति निक्षेप/नामनिर्देशन शुल्क
(क)	जल उपभोक्ता संथा (बृहद, मध्यम, और लघु सिंचाई प्रणाली) (एक) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य (दो) अध्यक्ष	रूपए 200 (दो सौ रूपए मात्र) रूपए 300 (तीन सौ रूपए मात्र)
(ख)	वितरिका समिति (बृहद सिंचाई प्रणाली) (एक) एक अध्यक्ष	रूपए 500 (पांच सौ रूपए मात्र)
(ग)	परियोजना समिति (मध्यम सिंचाई प्रणाली) (एक) सभापति	रूपए 1000 (एक हजार रूपए मात्र)
(घ)	परियोजना समिति (बृहद सिंचाई प्रणाली) (एक) एक सभापति	रूपए 2000 (दो हजार रूपए मात्र)

टिप्पण- चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों से प्रतिभूति निक्षेप के रूप में प्राप्त समस्त नामनिर्देशन शुल्क की राशियां अनिवार्य रूप से चेक या डिमाण्ड ड्राफ्ट इत्यादि में न लेकर केवल नगद राशि में ही चुनाव अधिकारी द्वारा स्वीकार की जाएंगी।

(ख) पावती पुस्तिका

(एक) पावती पुस्तिका मुद्रण की रीति.-

(क) नामनिर्देशन शुल्क की प्राप्ति की पावती प्ररूप-46 में प्रतिलिपि में होगी।

- (ख) प्रत्येक पावती पुस्तिका बीस मूल पावती तथा बीस प्रतिलिपि पावती ए-4 साइज कागज में प्रति शीट दो पावती जिले के लिए निरन्तर अनुक्रमांक के साथ मुद्रित की जाएगी।
- (ग) प्रत्येक पावती पुस्तिका में प्राप्तियों का सारांश, निर्वाचन अधिकारी ओर जिला निर्वाचन प्राधिकारी को निदेश और निर्वाचन में लड़ने अभ्यर्थी को नाम निर्देशन शुल्क के ब्यौरे पावती रसीद में छापने के निर्देश भी दिए जाएंगे।
- (घ) सभी पत्र पिन से/सिलाई से पुस्तिका के मुद्रित कवर पेज के साथ आदर्श पावती पुस्तिका के अनुसार होंगे।
- (ङ) प्रत्येक पावती पुस्तिका, पुस्तिका संख्याएं अर्थात् निरन्तर अनुक्रमांकों के साथ होंगी।
- (दो) **पावती पुस्तिका का प्रदाय एवं उपयोग:-**
- (क) पावती पुस्तिका कृषक संगठन में प्रत्येक निर्वाचन अधिकारी को पर्याप्त संख्या में प्रत्येक निर्वाचन के लिए प्रदाय की जाएगी।
- (ख) एक निर्वाचन में आंशिक उपयोग की गई पावती पुस्तिकाएं अन्य निर्वाचन में प्रदाय नहीं की जाएगी।
- (ग) कोई भी पावती पुस्तिका मुद्रण में किसी त्रुटि की दशा के सिवाय निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं की जाएगी :
- परन्तु जहां कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नामनिर्देशन-पत्रों में नामनिर्दिष्ट किया गया हो वहां उससे एक से अधिक प्रतिभूति निक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) **निक्षेप/नामनिर्देशन शुल्क का प्रतिदाय.-**

यदि उस निमित्त नियत किये गये समय के भीतर कोई नामनिर्देशन-पत्र प्राप्त नहीं होता है तो किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेप किया गया है या ऐसे किसी व्यक्ति के, जिसका नामनिर्देशन रद्द हो गया है या यदि वह नियम 20 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में और समय के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस ले लेता है, सम्बन्ध में जमा प्रतिभूति निक्षेप की राशि उस व्यक्ति को तत्काल लौटा दी जाएगी जिसके द्वारा वह जमा की गई हो और यदि मतदान प्रारंभ होने के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कोई प्रतिभूति निक्षेप की राशि, जो उसके द्वारा जमा की गई हो उसके विधिक प्रतिनिधि को लौटा दी जाएगी, यदि अभ्यर्थी द्वारा जमा नहीं की गई हो तो उस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी जिसके द्वारा वह जमा की गई हो।

(3) यदि कोई अभ्यर्थी जिसके द्वारा या जिसकी ओर से उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेप जमा किया जा चुका हो, निर्वाचित नहीं होता है और उसे मतदान में प्राप्त वैध मतों की संख्या सभी अभ्यर्थियों द्वारा मतदान में प्राप्त वैध मतों की कुल संख्या के अष्टमांश (1/8) से अधिक नहीं है तो उसकी प्रतिभूति निक्षेप सरकार को समपहत हो जाएगी।

(4) किसी अभ्यर्थी के संबंध में किया गया प्रतिभूति निक्षेप यदि उसे उपनियम (3) के अधीन समपहत नहीं किया गया है तो वह यथारिथति अभ्यर्थी को या उस व्यक्ति को, जिसने

कि उसकी ओर से उसे जमा किया हो, नियम 54 के अनुसार निर्वाचन के परिणाम के प्रकाशन के पश्चात् तीस दिन के भीतर लौटा दिया जाएगा।

- (5) उपनियम (4) के अधीन किसी व्यक्ति को लौटाए जाने के लिए अपेक्षित प्रतिभूति निक्षेप, यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके वैध प्रतिनिधि को लौटाया जाएगा।
- (6) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, निर्वाचन के परिणाम के प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् एक आदेश पारित करेगा कि क्या उपनियम (1) के अधीन किया गया प्रतिभूति निक्षेप वापिस किया जाएगा या समपहृत किया जाएगा। संबंधित जल उपभोक्ता संथा का सक्षम प्राधिकारी, परिणाम के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस व्यक्ति को, जिसने प्रतिभूति निक्षेप किया है या उसके वैध प्रतिनिधि को प्रतिभूति निक्षेप लौटा देगा, यदि ऐसा प्रतिभूति निक्षेप प्रतिदेय है, उप नियम (2) के अधीन प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण की दशा में, निर्वाचन अधिकारी संबंधित व्यक्ति को, जिसने प्रतिभूति निक्षेप जमा किया है ऐसे समपहरण के लिए कारणों को देते हुए एक आदेश संसूचित करेगा।
- (7) यथास्थिति, जल उपभोक्ता संथा/वितरिका समिति/परियोजना समिति में जमा निर्वाचन प्रतिभूति निक्षेप, आक्षेप फीस आदि के मुद्दे प्राप्त की गई रकमों, संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा, इन नियमों में उपबंधित किसी कारण के लिए संबंधित व्यक्ति को किए गए किन्ही प्रतिदायों की कटौती करने के पश्चात् सरकारी खाते में विप्रेषित की जाएगी।

18. नामनिर्देशनों का प्रकाशन .— उक्त प्रयोजन के लिए नियत की गई तारीख पर, नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति के लिए विनिर्दिष्ट समय का का अवसान होने के ठीक पश्चात् निर्वाचन अधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकृत व्यक्ति, प्राप्त किए गए समस्त नामनिर्देशनों की एक सूची, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के लिए प्ररूप 4 में, जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष के लिए प्ररूप 21 में, वितरिका समिति के लिए प्ररूप 30 में और परियोजना समिति के लिए प्ररूप-39 में हिन्दी भाषा में उसके कार्यालय में एक सूचना सहित प्रकाशित करेगा कि विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय पर नामनिर्देशन पत्र जांच के लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिए जाएंगे।

19. नामनिर्देशन-पत्रों की जांच.— (1) नामनिर्देशन की जांच के लिए नियत की गई तारीख पर अभ्यर्थी, प्रत्येक अभ्यर्थी का प्रस्तावक और प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया एक अन्य व्यक्ति, ऐसे समय और स्थान पर, जैसा कि नियम 18 के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए, उपस्थित हो सकेगा। कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित होने के लिए हकदार नहीं होगा। तथापि निर्वाचन अधिकारी ऐसे अन्य व्यक्तियों को उसकी सहायता करने के लिए प्रवेश दे सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे। निर्वाचन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को समस्त अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन-पत्रों की जांच करने के लिए समस्त युक्तियुक्त सुविधाएं देगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी तब नामनिर्देशन-पत्रों की जांच करेगा और ऐसी समस्त आपत्तियों पर जो कि किसी नाम निर्देशन पर की जाए विनिश्चय करेगा और या तो ऐसी

आपत्ति पर या स्व-प्रेरणा से संक्षिप्त जांच के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, किसी नामनिर्देशन को निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर नामंजूर कर सकेगा, अर्थात् :-

- (क) कि अभ्यर्थी, अधिनियम की धारा 14 के अधीन, यथास्थिति, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, जल उपभोक्ता संथा, वितरिका समिति के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में और परियोजना समिति के सभापति (चेयरपर्सन) के रूप में निर्वाचन के लिए निरर्हित हैं; या
- (ख) कि अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या दोनों के नाम मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं या है; या
- (ग) कि अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावक नियम 15 या 17 के किन्हीं उपबंधों का पालन करने में असफल रहा है; या
- (घ) कि नामनिर्देशन-पत्र में अभ्यर्थी या प्रस्तावक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप सही नहीं है :

परन्तु निर्वाचन अधिकारी लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटि या ऐसी कमी, जो सारवान स्वरूप की नहीं है के आधार पर नामनिर्देशन-पत्र अस्वीकार नहीं करेगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक नामनिर्देशन-पत्र पर उसके स्वीकार करने या अस्वीकार करने के अपने विनिश्चय को पृष्ठांकित करेगा और यदि नामनिर्देशन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाता है तो वह ऐसी अस्वीकृति के लिए उसके कारणों का एक संक्षिप्त वितरण लेखबद्ध करेगा। जांच, यथा समय नियम, 18 के अधीन इस निमित्त नियत की गई तारीख को पूर्ण की जाएगी और कार्यवाहियों का कोई भी स्थगन किसी अभ्यर्थी को उसकी अभ्यर्थिता के विरुद्ध उद्भूत किए गए प्रतिविरोध का खण्डन करने के लिए अवसर उपलब्ध कराने के सिवाय सामान्यतया अनुज्ञेय नहीं होगा।

(4) इस नियम के प्रयोजन के लिए यथास्थिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/ जल उपभोक्ता संथा/वितरिका समिति/परियोजना समिति में प्रवृत्त मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि की सत्यापित प्रति इस तथ्य का निश्चयक साक्ष्य होगी कि उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति उस जल उपभोक्ता संथा/वितरिका समिति/परियोजना समिति का तब तक एक निर्वाचक है जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि वह अधिनियम में उल्लिखित किसी निरर्हता के अध्याधीन है।

(5) समस्त नामनिर्देशन-पत्रों की जांच और उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति से संबंधित विनिश्चय को अभिलिखित करने के अव्यवहित पश्चात् निर्वाचन अधिकारी, विधिमान्य नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा और ऐसी सूची, यथास्थिति, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के लिए प्ररूप 5 में, जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष के लिए प्ररूप 22 में, वितरिका समिति के लिए प्ररूप 31 में और परियोजना समिति के लिए प्ररूप 40 में अपने कार्यालय के सूचना पटल पर चिपकाएगा।

20. अभ्यर्थिता वापस लेना.— (1) कोई भी अभ्यर्थी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्ररूप 6 में, जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष के लिए प्ररूप 23 में, वितरिका समिति के अध्यक्ष के लिए प्ररूप 32 में और परियोजना समिति के सभापति (चेयरपर्सन) के लिए प्ररूप 41 में स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सूचना द्वारा और ऐसी सूचना ऐसे अभ्यर्थी द्वारा या तो व्यक्तिगत रूप से या उसके प्रस्तावक द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, उसके नामनिर्देशन पत्र के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के मामले में नामनिर्देशनों की जांच के लिए नियत किए गए दिन के उत्तरवर्ती तीसरे दिन अपरान्ह 3 बजे तक और जल उपभोक्ता संथा, वितरिका समिति और परियोजना समिति के मामले में उसी तारीख को अपरान्ह 1 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे के मध्य किसी भी समय, न कि उसके पश्चात्, चाहे उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो या न हो, निर्वाचन अधिकारी को परिदत्त करके अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा। निर्वाचन अधिकारी वापसी की सूचना और उसे परिदत्त करने वाले व्यक्ति की पहचान की विशुद्धता के बारे में स्वयं का समाधान होने पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के लिए प्ररूप 6 में, जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष हेतु प्ररूप 23 में, वितरिका समिति सभापति (चेयरपर्सन) के लिए प्ररूप 32 में, परियोजना समिति के लिए प्ररूप 41 में, उपबंधित किए गए अनुसार उसके लिए रसीद देगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी, उपनियम (1) के अधीन वापसी की सूचना प्राप्त होने पर यथाशक्य शीघ्र, यथास्थिति, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के लिए प्ररूप 7 में, जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष के लिये प्ररूप 24 में, वितरिका समिति के लिए प्ररूप 33 में और परियोजना समिति के लिये प्ररूप 42 में वापसी की सूचना प्रकाशित करवाएगा।

(3) ऐसा अभ्यर्थी, जिसने उपनियम (1) के अधीन अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली है, उसी निर्वाचन के लिये एक अभ्यर्थी के रूप में वापसी को रद्द करने या पुनः नामनिर्दिष्ट किये जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

21. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.— (1) निर्वाचन अधिकारी, नामनिर्देशनों की जांच के दो दिन पश्चात्, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के लिए प्ररूप 8 में, और उसी दिन जल उपभोक्ता संथा के लिए प्ररूप 25 में वितरिका समिति के लिये प्ररूप 34 में और परियोजना समिति के लिये प्ररूप 43 में हिन्दी भाषा में ऐसे व्यक्तियों की, जिनके नामनिर्देशन अस्वीकृत नहीं किये गये हैं और जिन्होंने अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है एक सूची तैयार करेगा और उसके कार्यालय के सूचना पटल पर चिपकाएगा।

(2) सूची में अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी में वर्णाक्रम के अंतर्विष्ट होंगे और उन्हें उनके नामनिर्देशन पत्र के अनुसार किया जाएगा और यदि मतदान आवश्यक पाया गया तो उसमें उप नियम (3) के अधीन उन्हें आवंटित सुभिन्न चिन्ह भी विनिर्दिष्ट किये जाएंगे।

(3) यदि मतदान आवश्यक समझा जाए तो निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक अभ्यर्थी को, ऐसे निर्देशों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त जारी किए जाएं, एक सुभिन्न चिन्ह न्यस्त करेगा।

(4) ऐसे प्रत्येक मामले में, जहां कोई चिन्ह उपनियम (3) के अधीन अभ्यर्थी को न्यस्त किया जाए, वहां ऐसे अभ्यर्थी को या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को निर्वाचन अधिकारी

द्वारा ऐसे न्यस्त किये गये चिन्ह से संबंधित सूचना तत्काल दी जाएगी और उसका प्रतिरूप (स्पेसीमेन) प्रदान किया जाएगा

22. निर्विरोध अभ्यर्थी के परिणाम की घोषणा – (1) यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है तो मतदान कराया जाएगा।

(2) यदि विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट एक ही अभ्यर्थी है तो निर्वाचन अधिकारी तुरन्त ऐसे अभ्यर्थी को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के लिए प्ररूप 9 में, जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष के लिए प्ररूप 27 में, वितरिका समिति के लिये प्ररूप 36 में और परियोजना समिति के लिये प्ररूप 45 में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा और उसे संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा।

23. मतदान से पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु.— यदि किसी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है और मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व उसकी मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है तो निर्वाचन अधिकारी, अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य का समाधान होने पर, मतदान प्रत्यादिष्ट कर देगा और निर्वाचन संबंधी कार्यवाहियां सभी प्रकार से नये सिरे से प्रारंभ की जाएंगी, मानो कि नया निर्वाचन हो :

परन्तु किसी ऐसे अभ्यर्थी के मामले में कोई नया नामनिर्देशन आवश्यक नहीं होगा जो कि मतदान के प्रत्यादिष्ट होने के समय विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट रहा था:

परन्तु यह और भी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने मतदान प्रत्यादिष्ट होने के पूर्व नियम 20 के अधीन अपनी अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना दे दी है, ऐसे प्रत्यादिष्ट होने के पश्चात् निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिये अपात्र होगा।

24. अभिकर्ताओं की नियुक्ति.— (1) (क) किसी जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के पद के किसी निर्वाचन का कोई अभ्यर्थी, किसी एक व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा। ऐसी नियुक्ति प्ररूप 10 में उसे दो प्रतियों में निर्वाचन अधिकारी को अग्रेषित करते हुये दी जायेगी जो नियुक्ति में उसके अनुमोदन के प्रमाण स्वरूप उसकी एक प्रति पर अपनी मुद्रा लगाकर हस्ताक्षर करके एक प्रति निर्वाचन अभिकर्ता को वापस करेगा।

(ख) निर्वाचन अभिकर्ता, निर्वाचन से संबंधित ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा, जैसा कि इन नियमों के द्वारा या उसके अधीन एक निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा सम्पादित किए जाने के लिये प्राधिकृत हों।

(2) (क) ऐसे मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो कि किसी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियुक्त किये जायेंगे, प्रत्येक मतदान केन्द्र के संबंध में एक अभिकर्ता और एक रिलीफ अभिकर्ता होगा।

(ख) प्रत्येक ऐसी नियुक्ति प्ररूप 11 में की जायेगी और मतदान केन्द्र पर प्रस्तुत करने के लिये मतदान अभिकर्ता को सौंपी जायेगी।

(ग) किसी भी मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसने उप नियम (2) के अधीन उसकी नियुक्ति का दस्तावेज सम्यक् रूप से पूर्ण करते हुए और उसमें अंतर्विष्ट घोषणा पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करके, पीठासीन अधिकारी को परिदत्त न कर दिया हो।

(घ) कोई मतदान अभिकर्ता, मतदान से संबंधित से कृत्यों का पालन कर सकेगा जो कि इन नियमों द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत हों।

(3) (क) प्रत्येक अभ्यर्थी मतगणना के लिये नियत स्थान या स्थानों पर उतनी संख्या में मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकेगा जो कि जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(ख) प्रत्येक ऐसी नियुक्ति प्ररूप 12 में दो प्रतियों में की जायेगी जिसकी एक प्रति निर्वाचन अधिकारी को अग्रेषित की जायेगी, जबकि दूसरी प्रति मतगणना अभिकर्ता को, निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये मतगणना के लिये नियत किये गये समय के एक घण्टे अपश्चात् उपलब्ध कराई जायेगी।

(ग) मतगणना अभिकर्ता, मतों की गणना के संबंध में ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जो कि इन नियमों द्वारा उनके अधीन प्राधिकृत किए जाएं।

(4) (क) प्रत्येक निर्वाचन में, जहां कि मतदान हो, ऐसे निर्वाचन में निर्वाचन लड़नेवाला प्रत्येक अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता को किसी भी मतदान केन्द्र पर उपस्थित होने का अधिकार होगा।

(ख) कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी स्वयं या उसका निर्वाचन अभिकर्ता ऐसा कोई कार्य या बात कर सकेगा जो कि ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का कोई मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता, यदि नियुक्त किया जाता तो इन नियमों द्वारा या उनके अधीन करने के लिये प्राधिकृत होता, या वह कोई ऐसा कार्य या बात करने में किसी मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता या ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सहायता कर सकेगा।

(5) जहां कोई कार्य या बात, मतदान या मतगणना अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किये जाने के लिए इन नियमों द्वारा या उनके अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत हैं तो इस प्रयोजन के लिये नियत किये गये समय और स्थान पर किसी ऐसे अभिकर्ता या अभिकर्ताओं की अनुपस्थिति, यदि कार्य या बात सम्यक् रूप से अन्यथा कर दी गई है, किये गये कार्य या बात को अविधिमान्य नहीं करेगी।

25. मतदान.— (1) यदि मतदान किया जाना हो तो निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक या अधिक पीठासीन अधिकारियों को तुरन्त नियुक्त करेगा और उनकी सेवाओं के लिये सरकार द्वारा नियत किये गये पारिश्रमिक का संदाय कर सकेगा। निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक पीठासीन अधिकारी के लिये इतनी संख्या में मतदान अधिकारी की व्यवस्था करेगा जितने कि आवश्यक हों, और यदि आवश्यक हो तो निर्वाचकों की पहचान करने के लिये पीठासीन अधिकारी की सहायता करने हेतु एक या अधिक पहचान अधिकारी भी नियुक्त कर सकेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी यह देखेगा कि निर्वाचन निष्पक्ष रूप से संचालित हों और उस उद्देश्य के लिये एक समय में प्रवेश दिये जाने के लिये निर्वाचकों की संख्या को विनियमित करने के लिये मतदान केन्द्र पर व्यवस्था बनाए रखेगा और -

- (क) अभ्यर्थियों और मतदान प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में नियुक्त किया गया एक मतदान अभिकर्ता,
- (ख) कर्तव्य पर उपस्थित पुलिस या अन्य लोक सेवक,
- (ग) मतदान अधिकारी और ऐसे व्यक्ति, जिन्हें पीठासीन अधिकारी समय-समय पर निर्वाचकों की पहचान करने के प्रयोजन के लिये प्रवेश दें,
- (घ) सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,
- (ङ) निर्वाचक के साथ उसकी गोद में का बालक, और
- (च) ऐसा व्यक्ति जो किसी दृष्टिहीन या अशक्त निर्वाचक के साथ है जो कि बिना सहायता के नहीं चल सकता, को छोड़कर समस्त व्यक्ति अपवर्जित रहेंगे।

(3) जहां कोई महिला निर्वाचक परदा करने के कारण, उप नियम (1) के अधीन नियुक्त किये गये पहचान अधिकारी द्वारा पहचानी न जा सके तो उससे अपने किसी निकटतम नातेदारों द्वारा पहचाने जाने की अपेक्षा तब तक की जा सकेगी, जब तक कि वह अपनी पहचान के बारे में पीठासीन अधिकारी का अन्यथा समाधान नहीं कर देती है।

स्पष्टीकरण - यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई व्यक्ति इस उप नियम के अर्थ के अंतर्गत निकटतम नातेदार है या नहीं तो इसका विनिश्चय पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

26. मताधिकार :- समस्त निर्वाचक, नियमों के अधीन उपलब्ध कराये गये मतदान केन्द्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करेंगे।

27. मतदान केन्द्र की व्यवस्था :- (1) प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर निम्नलिखित प्रमुख रूप से प्रदर्शित किये जायेंगे :-

- (क) मतदान क्षेत्र सुसंगत मतदाता सूची में उन निर्वाचकों का अनुक्रमांक, जो मतदान केन्द्र पर, मतदान के हकदार हैं और जब मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हों तो इस प्रकार हकदार मतदाताओं का विवरण विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना :
- (ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति, उनके, अनुक्रमांक और उन्हें दिये गये चिन्ह; और
- (ग) प्रत्येक मतदान केन्द्र में एक प्रकोष्ठ अन्तर्विष्ट होंगे जिसमें निर्वाचक मतदान करेंगे।

टिप्पणी : मतदान केन्द्र में संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मतदाताओं को सुव्यवस्थित करने की व्यवस्था होनी चाहिए :

(2) जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाच क्षेत्र के सदस्यों के लिए मतदान बूथ पर एक मतपेटी होगी।

(3) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र पर निर्वाचक नामावली या उसके ऐसे भाग की प्रतियों के साथ जिनमें मतदान के हकदार निर्वाचकों के नाम अन्तर्विष्ट हों पर्याप्त संख्या में मतपेटियां और ऐसे अन्य कागज तथा मतपत्रों पर चिन्ह लगाने हेतु निर्वाचकों के लिये आवश्यक वस्तुएं, स्टेशनरी और प्ररूप, जो आवश्यक समझे जाएं, उपलब्ध करायेगा।

28. **मतपेटियों का तैयार किया जाना.**— (1) जहां मतपेटी सुरक्षित रखे जाने के लिये पेपर सील का उपयोग किया जाता हो, वहां पीठासीन अधिकारी, पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उस पर उपस्थित ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या मतदान अभिकर्ताओं के, जो कि उस पर हस्ताक्षर करने की वांछा करें, हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी इसके पश्चात् मतपेटी में उसके लिये नियत स्थान में इस प्रकार हस्ताक्षरित पेपर सील चिपकायेगा और तब सुनिश्चित करेगा और ऐसी रीति में पेटी को सुरक्षित करके सील करेगा कि उसमें मतपत्र डालने के लिये स्थान खुला हो।

(3) किसी मतपेटी को सुरक्षित रखने के लिये उपयोग में लाई गई सील ऐसी रीति में लगाई जायेगी कि पेटी बंद हो जाने के पश्चात् बिना सील तोड़े उसका खोला जाना संभव नहीं हो।

(4) जहां पेपर सील का उपयोग मतपेटी सुरक्षित रखने के लिये आवश्यक नहीं है, वहां पीठासीन अधिकारी ऐसी रीति में मतपेटी सील कर सुनिश्चित करेगा कि उसमें मत डालने के लिये स्थान खुला हो और उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को, यदि वे ऐसी वांछा करें तो उन्हें सील लगाने के लिये अनुज्ञात करेगा।

(5) किसी मतदान केन्द्र पर उपयोग की गई प्रत्येक मतपेटी के भीतर तथा बाहर दोनों तरफ लेबिल के साथ निम्नलिखित चिन्हित होगा :

(क) मतदान केन्द्र का वर्णन,

(ख) मतपेटी का अनुक्रमांक (केवल मतपेटी के बाहरी तरफ लेबिल पर मतपत्र के एक ओर भरा जायेगा), और

(ग) मतदान की तारीख,

(6) पीठासीन अधिकारी मतदान प्रारंभ होने के ठीक पूर्व, उपस्थित मतदान अभिकर्ता तथा अन्य व्यक्तियों को यह प्रदर्शित करेगा कि मतपेटी खाली है और उपनियम (5) में निर्दिष्ट लेबिल है।

(7) मतपेटी तब बन्द की जाएगी, सील की जाएगी, सुरक्षित की जाएगी और पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अभिकर्ताओं की नजर में रखी जाएगी।

(8) पीठासन अधिकारी, मतदान प्रारंभ होने के ठीक पूर्व मतदान अभिकर्ता तथा उपस्थित अन्य को मतदान के दौरान उपयोग में लायी जाने वाली मतदाता सूची की यथा स्थिति चिन्हित, प्रति या चिन्हित प्रतियां प्रदर्शित करेगा।

29. मतपत्र का प्ररूप.— (1) प्रत्येक मतपत्र उससे संलग्न प्रतिपर्ण (काउन्टर फाइल) के साथ होगा और उक्त मतपत्र तथा प्रतिपर्ण ऐसे प्ररूप में होगा जैसा कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी, आदेश द्वारा, निर्देश दें।

(2) प्रत्येक मतपत्र किसी निर्वाचक को जारी किये जाने के पूर्व :-

(क) मुद्रांकित होगा और उसके पीछे ऐसे ब्यौरे लिखे होंगे जैसा कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए,

(ख) मतदान केन्द्र का नाम तथा क्रमांक,

(ग) जल उपभोक्ता संस्था का नाम, एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक

(घ) पीठासीन अधिकारी द्वारा उसके पीछे पूर्ण हस्ताक्षर किए जाएंगे।

30. मतपत्र का जारी किया जाना.— (1) किसी निर्वाचक को कोई मतपत्र जारी किया जाता है उसके अव्यवहित पूर्व पीठासीन अधिकारी, -

(क) मतदाता सूची में यथा कथित रूप से निर्वाचक का क्रमांक, नाम तथा विवरण आहूत करेगा, और

(ख) उसके प्रतिपर्ण पर मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में यथा प्रविष्ट निर्वाचक की मतदाता सूची का क्रमांक रिकार्ड करेगा तथा उक्त प्रतिपर्ण पर उक्त निर्वाचक के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा या अंगूठे का निशान लगाएगा:

परन्तु कोई मतपत्र निर्वाचक को तब तक परिदत्त नहीं किया जायेगा तब तक कि वह उक्त मतपत्र के प्रतिपर्ण पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर देता है या अंगूठे का निशान नहीं लगा देता है।

(2) यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी प्रत्येक मामले में मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में उस निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के नीचे लाइन खींचेगा तथा जहां निर्वाचक कोई महिला वहां महिला निर्वाचक के नाम के बांये हाथ की तरफ भी सही (√) का निशान लगायेगा।

(3) यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, उसके बाएं हाथ की तर्जनी (फोर फिंगर) की त्वचा और नाखून की जड़ के बीच के कोर पर अलोप्य स्याही से चिन्ह लगायेगा।

(4) मतदान केन्द्र में कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक को जारी किये गये मतपत्रों का अनुक्रमांक नोट नहीं करेगा।

31. निर्वाचक द्वारा मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना तथा मतदान की प्रक्रिया.— (1) प्रत्येक निर्वाचक जिसे नियम 30 के अधीन या इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन मतपत्र जारी किया जाता है, मतदान केन्द्र के भीतर गोपनीयता बनाए रखेगा और उस प्रयोजन के लिये इसके पश्चात् अधिकथित मतदान प्रक्रिया का पालन करेगा—

(2) निर्वाचक यथास्थिति मतपत्र को प्राप्त कर, शीघ्र —

(क) मतदान प्रकोष्ठ में जायेगा,

(ख) मत पत्र पर उक्त प्रयोजन के लिये प्रदाय किये गये साधन से अभ्यर्थी को जिसको कि वह मत देने का आशय रखता हो, आवंटित चिन्ह पर या उसके पास निशान अंकित करेगा,

(ग) मतपत्र या मतपत्रों को पहले खड़ा और उसके बाद आड़ा इस प्रकार मोड़ेगा कि मत गुप्त बना रहे,

(घ) मुड़ा हुआ मतपत्र विनिर्दिष्ट मतपेटी में डालेगा, और

(ङ) दिये गये निकास द्वारा मतदान केन्द्र छोड़ेगा।

(3) प्रत्येक निर्वाचक बिना किसी असम्यक विलम्ब के मत डालेगा।

(4) किसी भी निर्वाचक को मतदान प्रकोष्ठ में प्रवेश की अनुज्ञा नहीं होगी तबकि कोई दूसरा निर्वाचक उसके भीतर हों।

(5) यदि ऐसा निर्वाचक जिसको मतपत्र जारी किया गया है, उपनियम (2) में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी देने के बाद भी इकार करता है तो उसे जारी किया गया मतपत्र, चाहे उसने उस पर अपना मत अभिलिखित किया हो या नहीं, पीठासीन अधिकारी द्वारा या उसके निर्देश के अधीन मतदान अधिकारी द्वारा उससे वापस ले लिया जायेगा।

(6) पीठासीन अधिकारी मतपत्र वापस लेने के पश्चात् उसके पीछे शब्द "रद्द किया गया, मतदान प्रक्रिया अतिक्रमित" को अभिलिखित करेगा और इन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा तथा ऐसे समस्त मतपत्रों को एक पृथक् लिफाफे में रखा जायेगा जिसके ऊपर शब्द "मतपत्र—मतदान प्रक्रिया अतिक्रमित" अंकित रहेंगे।

(7) किसी अन्य शास्त्र पर, जिसके लिये ऐसा निर्वाचक, जिससे उपनियम (5) के अधीन ऐसा मतपत्र वापस लिया गया है दायी हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और ऐसे मतपत्र पर अभिलिखित मत की, यदि कोई हो, गणना नहीं की जाएगी।

32. दृष्टिहीन तथा अशक्त मतदाता.— (1) यदि कोई निर्वाचक अन्धत्व या अन्य शारीरिक अशक्तता के कारण मतपत्र पर चिन्ह पहचानने तथा उस पर निशान लगाने में असमर्थ है, तो पीठासीन अधिकारी, निर्वाचक की इच्छानुसार मतपत्र पर उसका मत रिकार्ड करेगा, उसे इस प्रकार मोड़ेगा कि मत गुप्त रहे और मतपेटी में उसे डालेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी इस नियम के अधीन कार्य करते समय गोपनीयता का पालन करेगा और प्रत्येक ऐसे दृष्टांतों का संक्षिप्त रिकार्ड रखेगा किन्तु उस रीति को जिसमें कोई मत दिया गया इसमें उपदर्शित नहीं किया जायेगा।

33. महिला निर्वाचकों को सुविधाएं.— महिला निर्वाचकों को संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुसार विशेष सुविधाएं दी जा सकेंगी।

34. निर्वाचकों की पहचान.— जब कोई व्यक्ति स्वयं मतदान के लिये उपस्थित होता है और उसे मतपत्र प्रदान किये जाने से पूर्व किसी भी समय पीठासीन अधिकारी स्वप्रेरणा से और यदि किसी अभ्यर्था या उसके मतदान अभिकर्ता द्वारा ऐसा अपेक्षित किया जाए, तो ऐसे व्यक्ति से निम्नलिखित में से या तो एक या दोनों प्रश्न कर सकेगा :—

(एक) क्या आप निम्नलिखित रूप में नामांकित व्यक्ति हैं (नामावली से समस्त प्रविष्टि पढ़कर).

(दो) क्या आपने वर्तमान निर्वाचन में इस मतदान केन्द्र पर या किसी अन्य मतदान केन्द्र पर पूर्व में मतदान किया है ? और व्यक्ति को तब तक मतपत्र नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह उससे पूछे गये प्रश्न या प्रश्नों के बिना शर्त उत्तर, ऐसे प्रश्नों में से प्रथम सकारात्मक और द्वितीय नकारात्मक में नहीं दे देता। इसमें उल्लिखित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में पाया जाता है, मतपत्र दिये जाने हेतु हकदार होगा।

35. निविदत्त मत — (1) यदि कोई व्यक्ति स्वयं को विशिष्ट मतदाता दर्शाते हुए किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ऐसे मतदाता के रूप में पूर्व में ही मतदान कर लिये जाने के पश्चात् मतपत्र के लिये आवेदन करता है तो वह अपनी पहचान से संबंधित ऐसे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने पर, जैसा कि पीठासीन अधिकारी पूछे, निम्नलिखित उपबंध के अधीन रहते हुए मतपत्र को (इसमें इसके पश्चात् इन नियमों में "निविदत्त मतपत्र के रूप में निर्दिष्ट" है) उसी रीति में, जैसा कि कोई अन्य मतदाता चिन्हित करें, चिन्हित करने का हकदार होगा।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, निविदत्त मतपत्र प्रदाय किया जाने के पूर्व प्ररूप 13 में की सूची में उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने अपने हस्ताक्षर करेगा।

(3) निविदत्त मतपत्र मतदान में उपयोग में लाए गए, मतपत्र के समान होगा, सिवाय इसके कि यह :—

- (क) मतदान केन्द्रों में उपयोग के लिए जारी किए गए मतपत्रों के बंडल के नीचे से उत्तरोत्तर मामलों में क्रमवार लिया जाएगा ; और
- (ख) पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने स्वयं के हाथ से तथा अपने हस्ताक्षर से शब्द "निविदत्त मतपत्र" सहित उसके पीछे पृष्ठांकित किया जाएगा।
- (4) निर्वाचक, मतदान प्रकोष्ठ में निविदत्त मतपत्र देने के पश्चात् और उसके मोड़कर मतपेटी में डालने के स्थान पर पीठासीन अधिकारी को देगा जो उसे इस प्रयोजन के लिए विशिष्टतया रखे गए एक लिफाफे में रखेगा।

36. पहचान को चुनौती.— (1) कोई भी मतदान अभिकर्ता, कोई विशिष्ट निर्वाचक होने का दावा करने वाले व्यक्ति की पहचान को चुनौती, पीठासीन अधिकारी को प्रत्येक ऐसी चुनौती के लिये दस रूपये की राशि नकद में पहले जमा करने पर दे सकेगा।

(2) इस प्रकार जमा किये जाने पर पीठासीन अधिकारी :—

- (क) चुनौती दिये गये व्यक्ति को प्रतिरूपण की शास्ति की चेतावनी देगा;
- (ख) मतदाता सूची में सुसंगत प्रविष्टि पूर्णतः पढ़ेगा और उससे पूछेगा कि क्या वह प्रविष्टि में निर्दिष्ट किया गया व्यक्ति ही है ;
- (ग) प्ररूप 14 में आपत्ति किये गये मतों की सूची में उसके नाम तथा पते की प्रविष्टि करेगा; और
- (घ) उससे अपेक्षा करेगा कि वह उक्त सूची में अपने हस्ताक्षर करे या अंगूठे का निशान लगाए।

(3) पीठासीन अधिकारी इसके पश्चात् चुनौती के बारे में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिये :—

- (क) चुनौती के सबूत में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु चुनौतीकर्ता और उस व्यक्ति से, जिसे चुनौती दी गई है, अपनी पहचान के सबूत की साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ;
- (ख) उस व्यक्ति से, जिसे चुनौती दी गई है, अपनी पहचान स्थापित करने के प्रयोजन हेतु कोई भी आवश्यक प्रश्न पूछ सकेगा तथा शपथ पर उसके उत्तर की अपेक्षा कर सकेगा ; और
- (ग) चुनौतीकर्ता तथा किसी अन्य व्यक्ति को, जो साक्ष्य देना चाहता हो, शपथ दिला सकेगा।

(4) यदि जांच के पश्चात् पीठासीन अधिकारी यह समझता है कि चुनौती संस्थित नहीं हुई है तो वह उस व्यक्ति को, जिसे चुनौती दी गई है, मत देने के लिये अनुज्ञात

करेगा तथा यदि वह समझता है कि चुनौती सुस्थित हो चुकी है, तो वह उस व्यक्ति को, जिसे चुनौती दी गई है, मतदान करने से वंचित कर देगा।

(5) यदि पीठासीन अधिकारी की यह राय है कि चुनौती तुच्छ है या सदभावनापूर्ण नहीं दी गई है तो वह निर्देश देगा कि उपनियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप, सरकार को समपहृत हो जायेगा और किसी अन्य दशा में वह जांच की समाप्ति पर उसे चुनौतीकर्ता को वापस कर देगा।

37. प्रतिरूपण के विरुद्ध संरक्षण.— (1) प्रत्येक निर्वाचक जिसकी पहचान के बारे में, यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी का समाधान हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, उसकी बांयी तर्जनी का निरीक्षण किये जाने की तथा अलोप्य स्याही से उस पर निशान लगाए जाने की अनुज्ञा देगा।

(2) किसी निर्वाचक की बांयी तर्जनी के संबंध में इस नियम में किसी संदर्भ का यह अर्थ लगाया जाएगा कि जहां निर्वाचक की बांयी तर्जनी नहीं है वहां यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसका संदर्भ उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी अन्य उंगली से ही और ऐसे मामले में, जहां उसके दोनों हाथों की उंगलियां नहीं हैं वहां यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसका संदर्भ उसकी बांयी या दाईं भुजा से, जो भी वह रखता हो, है।

(3) पीठासीन अधिकारी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह किसी व्यक्ति को मतदान केन्द्र में मतदान करने के लिये मतपत्र देने से इंकार कर दें, यदि मतपत्र के लिये आवेदन करते समय ऐसे व्यक्ति को उपनियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट अलोप्य स्याही का निशान पूर्व से ही लगा है।

38. खराब तथा वापिस किया गया मतपत्र — (1) ऐसा निर्वाचक, जिसने अपने मतपत्र के प्रति आवश्यकता की है, पीठासीन अधिकारी को अपना मतपत्र परिदत्त करने पर और उसकी अनवधानता से उसका समाधान हो जाने पर उसे दूसरा मतपत्र दिया जा सकेगा और इस प्रकार वापस किये गये मतपत्र तथा ऐसे मतपत्र के प्रतिपण पर पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा "खराब रद्द किया गया" चिन्हित किया जायेगा।

(2) यदि कोई निर्वाचक मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् विनिश्चय करता है कि उसका उपयोग नहीं करना है तो वह पीठासीन अधिकारी को उसे वापस कर देगा और इस प्रकार वापस किया हुआ मतपत्र तथा मतपत्र का प्रतिपण, पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा "वापस किया गया रद्द किया गया" चिन्हित किया जायेगा।

(3) उपनियम (1) तथा उपनियम (2) के अधीन रद्द किये गये समस्त मतपत्र, एक पृथक पैकेट में रखे जायेंगे।

39. मतदान बंद किया जाना और मतदान के पश्चात् मतपेटियों और लिफाफों को सील करना.— (1) पीठासीन अधिकारी, नियम 11 के उपनियम (5) के खण्ड (ड.) के अधीन मतदान बन्द करने के लिये नियत किये गये समय पर मतदान को बन्द कर देगा और उसके पश्चात् मतदान केन्द्र में किसी भी निर्वाचक को प्रवेश नहीं देगा :

परन्तु मतदान बन्द होने के पूर्व उपस्थित समस्त निर्वाचकों को मत देने हेतु अनुज्ञात किया जायेगा।

(2) यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई निर्वाचक मतदान बन्द होने के पूर्व मतदान केन्द्र में उपस्थित था तो यह पीठासीन अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) प्रत्येक मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी, यथाशक्य शीघ्र, मतदान के बन्द होने के पश्चात् मतपेटी के दीर्घ (स्लिट) को बन्द करेगा और जहां मतपेटी में दीर्घ छिद्र को बन्द करने के लिये कोई यांत्रिकी युक्ति नहीं है तो वह दीर्घ छिद्र को सील करेगा और किसी भी उपस्थित मतदान अभिकर्ता को अपनी मुद्रा लगाने के लिये अनुज्ञान करेगा। उसके पश्चात् मतपेटी को सील बन्द किया जायेगा तथा उसे सुरक्षित रखा जाएगा।

(4) जहां प्रथम मतपेटी पूरी भर जाने के कारण दूसरी मतपेटी का उपयोग किया जाना आवश्यक हो तो दूसरी मतपेटी का उपयोग करने से पूर्व प्रथम पेटी बन्द की जायेगी, उसे सील किया जायेगा और उसे सुरक्षित रखा जायेगा जैसा कि उप नियम (3) में यथा उपबंधित हैं

(5) इस नियम के पूर्वगामी उपबंध किसी मतदान केन्द्र के ऐसे पीठासीन अधिकारी को लागू नहीं होंगे जिसको संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी ने निर्देश जारी कर उपनियम (6) के अनुसार कार्यवाही करने के लिये निर्देश जारी किये हैं।

(6) किसी ऐसे मतदान केन्द्र में, जैसा कि उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाये, पीठासीन अधिकारी, मतदान बन्द होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र —

(क) उस मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाई गई मतपेटी या मतपेटियों में के समस्त मतपत्रों को, उनकी जांच या उसकी गणना किये बिना तथा मतपत्र की गोपनीयता का सम्यक् ध्यान रखते हुये उपस्थित मतदान अभिकर्ता को यह प्रदर्शित करने के पश्चात् कि थैला या लिफाफा (कवर) खाली है, कपड़े के थैले या क्लथ लाइन कवर में अंतरित करेगा; और

(ख) उपस्थित मतदान अभिकर्ता को, प्रत्येक मतपेटी का निरीक्षण करने हेतु तथा उन्हें यह प्रदर्शित करने के लिये वह खाली रखी गई है, अनुज्ञात करेगा।

(7) उपस्थित मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी, मतदान बन्द होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, निम्न को पृथक् पैकेटों में रखेगा और अपनी स्वयं की मुद्रा तथा ऐसे अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं की मुद्रा सहित, जैसा कि उनकी मुद्रा लगाने के लिये विनिश्चय किया जाए, सील करेगा :

(एक) निविदत्त मतपत्र,

(दो) बिना उपयोग किये मतपत्र,

(तीन) खराब तथा वापस किये गये मतपत्र,

- (चार) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति,
- (पांच) निविदत्त मतदाताओं की सूची,
- (छह) नियम 36 के उपनियम (2) में उल्लिखित विवरण या विवरणों सहित उन मतों की सूची, जिनके संबंध में चुनौती दी गई है,
- (सात) उपयोग किये गये मतपत्रों के प्रतिपुर्ण, और
- (आठ) नियम 31 के अधीन मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण रद्द किये गये मतपत्र।

(8) प्रत्येक पेकेट को क्रमांकित किया जाएगा तथा उसमें उसकी विषय वस्तु, निर्वाचन तथा मतदान केन्द्रों के विवरण की बाबत एक टिप्पण होगा। जहां मतदान केन्द्र पर कोई मत अभिलिखित नहीं किया गया है, वहां पीठासीन अधिकारी प्ररूप 15 में विवरण सहित "निरंक" रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

40. मतपत्रों, मतपेटियों, पैकेटों आदि का लेखा.— (1) पैकेटों के साथ पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपेटियों में मतपत्रों तथा अप्रयुक्त, खराब, वापिस किये गये तथा निविदत्त मतपत्रों की संख्या दर्शाते हुए प्ररूप 15 में दिया गया एक पृथक् विवरण संलग्न होगा। पीठासीन अधिकारी तब निर्वाचन अधिकारी को ऐसे स्थान पर निम्नलिखित परिदत्त करेगा या करवाएगा, जैसा कि निर्वाचन अधिकारी निर्देश दें :

- (क) मतपेटियां या यथास्थिति, नियम 37 में निर्दिष्ट थैलियां (बैग्स) या लिफाफें,
- (ख) मतपत्रों का लेख या लेखे,
- (ग) नियम 37 में निर्दिष्ट सीलबन्द पैकेट या सीलबन्द पैकेटों के सेट, और
- (घ) मतदान में उपयोग में लाये गये समस्त अन्य कागज-पत्र।

(2) निर्वाचन अधिकारी, समस्त मतपेटियों, पैकेट तथा अन्य कागज-पत्र के सुरक्षित परिवहन के लिये यथोचित इन्तजाम करेगा और उनको तब तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा जब तक कि मतों की गिनती शुरू नहीं हो जाती है।

41. मतपेटियों को खोलने की जांच तथा मतों की गणना — (1) (क) मतगणना, इस निमित्त नियम किये गये दिन तथा स्थान और समय पर शुरू की जायेगी।

(ख) निर्वाचन अधिकारी, मतदान के लिये नियत की गई तारीख के कम से कम तीन दिन पूर्व या तारीखों के प्रथम दिन, स्थान या स्थानों, जहां कि मतों की गिनती होनी है और वह तारीख तथा समय, जिसको गणना शुरू होगी, तथा प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में उसकी सूचना देगा :

परन्तु यदि निर्वाचन अधिकारी किसी कारण से यह पाता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह इस प्रकार तारीख, समय तथा स्थान या स्थानों या उनमें से किसी को, प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को इसकी लिखित सूचना देकर परिवर्तित कर सकेगा।

(ग) मतों की गणना निर्वाचन अधिकारी द्वारा या उसके पर्यवेक्षण में की जायेगी। निर्वाचन अधिकारी ऐसी संख्या में गणना सहायकों को नियुक्त करेगा जैसा कि वह मतों की गणना करने में अपनी सहायता के लिये आवश्यक समझे;

(घ) सिवाय ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के, जिन्हें निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना में उसकी सहायता के लिये नियुक्त किया है प्रत्येक अभ्यर्थी तथा प्रत्येक अभ्यर्थी तथा प्रत्येक अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता और प्रत्येक अभ्यर्थी के एक प्रतिनिधि को, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किया गया है उपस्थित होने का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति जो किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से नियोजित किया गया है या कोई भी व्यक्ति, जो किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन से सम्बद्ध है मतों की गणना में सहायता के लिये नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(2) (क) निर्वाचन अधिकारी, एक से अधिक मतदान केन्द्रों पर उपयोग की गई मतपेटी या मतपेटियों को एक साथ खोल सकेगा या खुलवायेगा तथा ऐसी मतपेटी या मतपेटियों में पाये गये मतपत्रों की कुल संख्या की गणना करेगा और प्ररूप 15 में मतपत्र के भाग दो में लेखा अभिलिखित करेगा।

(ख) यथापूर्वोक्त अभिलिखित ऐसे मतपत्रों की कुल संख्या और प्ररूप 15 के भाग एक की मद 3 में यथादर्शित मतदाताओं को जारी किये गये मतपत्रों की कुल संख्या में से उसकी मद 4 में यथादर्शित रद्द किये गये मतपत्रों की संख्या और उसकी मद 5 में यथादर्शित पत्रों की संख्या घटाकर आई संख्या के बीच के फर्क यदि कोई हो को भी प्ररूप 15 के भाग 2 में अभिलिखित किया जायेगा।

(ग) मतगणना के लिये किसी मतपेटी को खोलने से पूर्व, वहां उपस्थित मतगणना अभिकर्ताओं को पेपर सील या ऐसी अन्य सील का जो उस पर लगी हो तथा उनका समाधान करने के लिए कि मतपेटी, जैसी की तैसी दशा में है, निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी।

(घ) निर्वाचन अधिकारी इस बात से स्वयं का समाधान करेगा कि किसी भी मतपेटी के साथ किसी भी प्रकार से वास्तव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।

(ङ) यदि निर्वाचन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी मतपेटी के साथ वास्तव में कोई गड़बड़ हुई है तो वह उस मतपेटी में अंतर्विष्ट मतपत्रों की गणना नहीं करेगा तथा उस मतदान केन्द्र के संबंध में नियम 46 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करेगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी, यथासाध्य मतों की गणना निरंतर चालू रखेगा तथा किन्हीं आवश्यक अन्तरालों के दौरान, जिनके दौरान मतगणना स्थगित की जाए, निर्वाचन से

संबंधित मतपत्रों, पैकेटों तथा अन्य दस्तावेजों को, उसकी स्वयं की मुद्रा तथा ऐसे अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं की मुद्रा, जैसी कि उन पर लगाने की वांछा की जाए, के अधीन रखेगा और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त सावधानी रखवाएगा।

42. गणना के लिये नियत स्थान पर प्रवेश.— पीठासीन अधिकारी मतगणना के नियत स्थान पर निम्नलिखित को छोड़कर सभी व्यक्तियों का प्रवेश अपवर्जित करेगा —

- (क) ऐसे व्यक्ति जो गणना पर्यवेक्षकों तथा गणना सहायकों के रूप में ज्ञात हों, जिन्हें वह गणना में अपनी सहायता के लिये नियुक्त करें;
- (ख) सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;
- (ग) निर्वाचन से संबंधित कर्तव्य पर उपस्थित लोक सेवक; और
- (घ) अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रतिनिधि जिसे अभ्यर्थियों द्वारा लिखित में गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया हो।

43. मतपत्रों का रद्द किया जाना — (1) ऐसे साधारण या विशेष निर्देशों के, यदि कोई हों, अध्याधीन रहते हुए जैसे कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त दिए जाएं, मतपत्रों की गणना मतदान केन्द्रवार की जायेगी।

(2) निर्वाचन अधिकारी मतपत्र को रद्द कर देगा —

- (क) यदि उस पर कोई चिन्ह या लिखावट है जिससे निर्वाचक की पहचान हो सके; या
- (ख) यदि उस पर कोई चिन्ह नहीं है जिससे मत उपदर्शित हो, उस पर और कहीं चिन्ह लगा है या मतपत्र में स्पष्टतः अभ्यर्थियों में से किसी अभ्यर्थी के चिन्ह के पास या इस प्रयोजन के लिये प्रदाय किये गये उपकरण से भिन्न किसी उपकरण से कोई चिन्ह लगा है ; या
- (ग) यदि उस पर एक से अधिक अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान किया गया है ; या
- (घ) यदि उस पर मत उपदर्शित करते हुए कोई निशान ऐसी रीति में दिया गया है जो यह शंकास्पद बनाता हो कि किस अभ्यर्थी को मत दिया गया है ; या
- (ङ.) यदि वह एक नकली मतपत्र है ; या
- (च) यदि वह ऐसा क्षतिग्रस्त या बिगड़े स्वरूप में है जिससे वास्तविक मतपत्र के रूप में उसकी पहचान न की जा सके ; या
- (छ) यदि उसका अनुक्रमांक या उसकी डिजाइन, यथास्थिति, उस मतपत्र के अनुक्रमांक या डिजाइन से भिन्न है जो विशिष्ट मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिये प्राधिकृत किया गया है ; या

- (ज) यदि उस पर दोनों सुभेदक चिन्ह नहीं है तथा हस्ताक्षर, नहीं है जो नियम 29 के उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन होने चाहिए :

परन्तु जहां निर्वाचन अधिकारी का समाधान हो जाता है कि खण्ड (छ) या खण्ड (ज) में वर्णित कोई ऐसी त्रुटि पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी की गलती या असफलता के कारण हुई है, जो मतपत्र केवल ऐसी त्रुटि के कारण निरस्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि मतपत्र केवल ऐसे आधार पर निरस्त नहीं किया जायेगा कि मत उपदर्शित करता हुआ निशान अस्पष्ट या एक से अधिकवार लगाया गया है, यदि उस तरीके से, जिससे मतपत्र पर निशान लगाया गया है, यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिये मत दिया गया है।

- (3) निर्वाचन अधिकारी, उपनियम (1) के अधीन किसी मतपत्र को निरस्त करने से पूर्व उपस्थित प्रत्येक मतगणना अभिकर्ता को मतपत्र का निरीक्षण करने हेतु युक्ति-युक्त अवसर अनुज्ञात करेगा, किन्तु उसको इसे या अन्य मतपत्र का प्रयोग करने को अनुज्ञात नहीं करेगा।
- (4) निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक मतपत्र पर जिसको वह निरस्त करता है, शब्द "निरस्त" तथा निरस्त करने का आधार संक्षिप्त रूप में या तो स्वयं के हाथ से या रबर स्टाम्प द्वारा प्रष्ठांकित करेगा और ऐसे पृष्ठांकन पर आद्याक्षर करेगा।
- (5) इन नियम के अधीन निरस्त किए गए समस्त मतपत्र एक साथ बांधें जायेंगे।
- (6) प्रत्येक मतपत्र की गणना जो इस नियम के अधीन निरस्त नहीं किए गए हैं, एक अधिमान्य मत के रूप में की जाएगी :

परन्तु ऐसे कवर, जिनमें निविदत्त मतपत्र अन्तर्विष्ट हों, खोले नहीं जाएंगे और किसी ऐसे मतपत्र की गणना नहीं की जाएगी।

- (7) किसी जल उपभोक्ता संथा में उपयोग की गई समस्त मतपेटियों में अन्तर्विष्ट समस्त मतपत्रों की गणना पूर्ण होने के पश्चात्, निर्वाचन अधिकारी, प्ररूप 16 में परिणाम-पत्रक (रिजल्ट शीट) में प्रविष्टियां करेगा तथा विशिष्टियों की उद्घोषणा करेगा।

- (8) मतपत्र की विधिमान्यता के बारे में निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय केवल जांच के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।

44. मतों की पुनर्गणना.— (1) नियम 43 के उपनियम (7) के अधीन की गई ऐसी उद्घोषणा के बाद, कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसका कोई मतगणना अभिकर्ता, निर्वाचन अधिकारी को मतों की या तो पूर्णतः या भागतः पुनर्गणना करने के लिए उन आधारों को कथित करते हुए जिन पर वह ऐसी पुनर्गणना की मांग करे आवेदन कर सकेगा।

(2) ऐसे आवेदन किये जाने पर निर्वाचन अधिकारी, मामले को विनिश्चित करेगा तथा आवेदन को पूर्णतः या भागतः मंजूर कर सकेगा या उसे पूर्णतः निरस्त कर सकेगा, यदि उसे यह तुच्छ या अयुक्तियुक्त प्रतीत होता हो।

(3) उपनियम (2) के अधीन निर्वाचन अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय लिखित में होगा तथा उसके लिये कारण अन्तर्विष्ट होंगे।

(4) यदि निर्वाचन अधिकारी, मतों की पुनर्गणना या तो पूर्णतः या अंशतः अनुज्ञात करने का उपनियम (2) के अधीन विनिश्चय करता है तो वह -

(क) नियम 42 तथा 43 के अनुसार पुनर्गणना के लिये इन्तजाम करेगा ;

(ख) ऐसी पुनर्गणना के बाद प्ररूप 16 में परिणाम पत्रक में आवश्यक सीमा तक संशोधन करेगा ;

(ग) उसके द्वारा इस प्रकार किए गये संशोधनों की उद्घोषणा करेगा।

(5) उपनियम (4) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा मतदान में प्राप्त मतों की कुल संख्या की उद्घोषणा कर दिये जाने के बाद निर्वाचन अधिकारी, प्ररूप 16 में परिणाम पत्रक पूर्ण करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा और उसके बाद और या द्वितीय पुनर्गणना के लिए आवेदन ग्रहण नहीं किये जाएंगे।

45. मतों का बराबर होना.— यदि मतों की गणना पूर्ण होने के पश्चात् किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मत बराबर होना पाया जाता है तथा उनमें से कोई अभ्यर्थी एक मत की बढ़त से निर्वाचित घोषित हो सकता है, तो निर्वाचन अधिकारी उन अभ्यर्थियों के बीच लाट द्वारा तुरंत विनिश्चय करेगा मानो कि जिसको लाट निकलता है उसने अतिरिक्त मत प्राप्त किया था।

46. मतों की गणना के समय विघ्न .— (1) यदि मतों की गणना पूर्ण होने के पूर्व किसी समय किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान पर उपयोग किये गये मतपत्र, निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा से अविधिमान्यतः ले लिये जाएं या दुर्घटनावश या आशयपूर्वक नष्ट कर दिए जाए या खो जाएं अथवा इस सीमा तक क्षतिग्रस्त या बिगाड़ दिये जाएं कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सके तो निर्वाचन अधिकारी मामले की रिपोर्ट संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को तत्काल करेगा।

(2) तदुपरांत संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी, समस्त तात्विक परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् या तो, -

(क) मतों की गणना को रोकने का निदेश दे सकेगा, उस मतदान केन्द्र या स्थान के मतदान को शून्य घोषित कर सकेगा, उस मतदान केन्द्र या स्थान पर नए मतदान कराने के लिए दिन तथा समय नियत कर सकेगा तथा इस प्रकार नियत तारीख और नियत समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे; या

(ख) यदि यह समाधान हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर नवीन मतदान का परिणाम, किसी भी रीति में निर्वाचन को प्रभावित नहीं करेगा निर्वाचन अधिकारी का ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा, जैसा कि निर्वाचन को फिर रो चालू करने तथा पूर्ण करने के लिए और उस निर्वाचन के जिसके संबंध में मतों की गणना की गई है, आगे संचालन और पूर्ण करने के लिए समुचित समझे।

(3) इन नियमों तथा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए किन्हीं आदेशों के उपबन्ध किसी तथा प्रत्येक ऐसे नए मतदान को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वह मूल मतदान को लागू होते हैं

47. उपयोग किये गये मत-पत्रों को सीलबन्द किया जाना.— प्रत्येक अभ्यर्थी के विधिमान्य मतपत्र तथा निरस्त मतपत्र उसके पश्चात् पृथक्-पृथक् बंडलों में बांधे जाएंगे और अलग-अलग बांधे गए बंडल, पृथक्-पृथक् पैकेट में होंगे जो निर्वाचन अधिकारी की मुद्रा सहित सीलबन्द होंगे और ऐसे अभ्यर्थियों के, उनके निर्वाचन अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता चाहे तो उस पर उनकी मुद्रा लगा सकते हैं तथा इस प्रकार सीलबन्द पैकेटों पर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित होंगी, अर्थात् —

(क) मतदान केन्द्र का क्रमांक, वार्ड का क्रमांक/जल उपभोक्ता संथा/जनपद पंचायत का नाम ; तथा

(ख) मतगणना की तारीख।

48. मतपत्रों का कपड़े के थैलों (बैग) में अंतरण.— नियम 42, 43, तथा 47 के उपबन्ध, जहां तक हो सके, मतपत्रों की गणना और उन मतों के संबंध में लागू होंगे जिनका नियम 39 के उपनियम (6) के अधीन मतपेटियों से कपड़े के थैलों में या क्लाइथ लाइन कवर में अन्तरण किया गया है :

परन्तु उक्त नियमों में मतपेटी के संबंध में प्रत्येक निदेश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे थैले या लिफाफे के प्रति संदर्भ है जिसमें मतपेटी की अंतरवस्तु अंतरित की गई है।

49. नए मतदान की दशा में मतों की गणना.— (1) यदि नियम 54 के उपनियम (7) के अधीन नया मतदान किया जाता है तो निर्वाचन अधिकारी, उस मतदान के पूर्ण होने के पश्चात्, ऐसी तारीख और समय तथा स्थान पर, जो कि उसके द्वारा इस निमित्त नियत किया गया है और जिसके लिये अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को पूर्व में सूचना दे दी गई हो, मतों की गणना पुनः प्रारंभ करेगा।

(2) ऐसी और गणना में, जहां तक हो सके, नियम 40 और 47 के उपबन्ध लागू होंगे।

50. परिणाम की घोषणा.— (1) नियम 45 के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए जहां तक वे किसी विशिष्ट मामले में लागू होते हो, निर्वाचन अधिकारी :-

- (क) प्ररूप 17 में ऐसे अभ्यर्थी की, जिसे कि सर्वाधिक विधिमान्य मत प्राप्त हों, (नियम 43 के अधीन निर्वाचित होना) घोषणा करेगा और उसकी हस्ताक्षरित प्रतियां संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी और जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा; और
- (ख) प्ररूप 16 में निर्वाचन के परिणाम की प्रविष्टियां पूर्ण करेगा तथा उसकी हस्ताक्षरित प्रतियां संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा।

(2) प्ररूप 16 में परिणाम पत्रक (शीट) की प्रतियां, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को फीस का भुगतान करने पर, जो कि अन्य सरकारी अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के प्रदाय के लिए प्रभारित की जाती है, प्रदाय की जाएंगी, प्ररूप 17 की प्रतियां भी प्रत्येक प्रति के लिए दस रुपये का भुगतान करने पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएंगी। जिला निर्वाचन प्राधिकारी या निर्वाचन अधिकारी, आवेदन प्राप्त होने पर ऊपर निर्दिष्ट प्रमाणित प्रतियां जारी करेगा।

51. निर्वाचन प्रमाण-पत्र का प्रदान किया जाना.— यथास्थिति, नियम 22 के अधीन या नियम 52 के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया जाने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी यथाशक्यशीघ्र, ऐसे अभ्यर्थी को प्ररूप 18 में निर्वाचन का प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा तथा अभ्यर्थी से इसकी उसके द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित की हुई अभिस्वीकृति अभिप्राप्त करेगा और अभिस्वीकृति, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को सूचित करते हुए जिला निर्वाचन प्राधिकारी को तत्काल भेजेगा।

52. परिणामों का प्रकाशन.— निर्वाचन अधिकारी, संबंधित जल उपभोक्ता संथा के कार्यालय में सूचना पटल पर उसके द्वारा हस्ताक्षरित एक अधिसूचना सम्यक् रूप से निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम कथित करते हुए प्रकाशित करेगा।

53. मतपत्रों का निपटारा.— (1) संभागीय निर्वाचन अधिकारी, परिणामों की घोषणा के पश्चात्, विवरणी की एक प्रति संबद्ध सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा तथा निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उन मतपत्रों के, जिनकी गणना की हुई हो, जो निरस्त हों या निविदत्त हों, पैकेट सौंपेगा। यह पैकेट खोले नहीं जाएंगे और निर्वाचन संबंधी विवादों का विनिश्चय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के सिवाय, उनकी अन्तर्वस्तुओं का निरीक्षण नहीं किया जाएगा या उन्हें प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

(2) इस प्रकार प्राधिकृत कोई अधिकारी, पैकेट और मतदाता सूची की चिन्हित प्रतियां एक वर्ष के भीतर वापस करेगा और इसके पश्चात् जब तक कि निर्वाचन संबंधी विवादों का विनिश्चय करने वाले किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेशों द्वारा अन्यथा निदेशित न किया जाये उन्हें नष्ट करवा देगा।

54. आपात स्थितियों में मतदान का स्थगन.— (1) जहां किसी मतदान केन्द्र पर की कार्यवाहियां किसी बलवा अथवा खुली हिंसा या अन्य कारण से गंभीररूप से बाधित या अवरुद्ध हो या जहां बड़ी संख्या में निर्वाचक, किसी मतदान केन्द्र पर किसी दैवीय घटना, जैसे बाढ़ या अग्नि के कारण मतदान करने के लिए उपस्थित होने में असमर्थ हों वहां पीठासीन अधिकारी, जिला

निर्वाचन प्राधिकारी के आदेशों की प्राप्ति के लंबित रहने तक मतदान रोकेगा। इस तथ्य की सूचना कि मतदान इस प्रकार रोक दिया गया है पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रों पर उपस्थित व्यक्तियों को तुरंत दी जायेगी।

(2) जहां कोई पीठासीन अधिकारी, उपनियम (1) के अधीन किसी मतदान को रोकता है तो वह नियम 39 तथा 40 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा तथा परिस्थितियों की एक विस्तृत रिपोर्ट निर्वाचन अधिकारी को तुरन्त भेजेगा जो उसे अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को तत्काल अग्रेषित करेगा।

(3) तदुपरांत संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी उस पर यह आदेश करेगा कि -

(क) मतदान केन्द्र पर मतदान उतने घंटों के लिये चालू किया जाये जितने समय के लिए वह पूर्व अवसर पर नहीं हुआ था बशर्ते कि 50 प्रतिशत मतदाताओं से अधिक ने अपने मत न डाले हों ; या

(ख) पूर्व अवसर पर मतदान केन्द्र पर की गई मतदान की कार्यवाही को अनदेखा किया जाये और ऐसे मतदान केन्द्र पर उतने पूर्ण घंटों के लिये नया मतदान कराया जाये, जितना कि यह पूर्व अवसर पर किया गया होता ; और

(ग) इस उपनियम के अधीन संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन पारित किसी आदेश में, निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी -

(एक) वह तारीख जिसको तथा वह समय, जिसके बीच, यथास्थिति, अनुवर्ती मतदान या नया मतदान किया जाएगा ; और

(दो) वह तारीख जिसको कि तथा वह स्थान और समय जिस पर कि नियम 49 के अधीन निर्वाचन अधिकारी मतों की गणना प्रारम्भ करेगा ; और

(तीन) निर्वाचन अधिकारी द्वारा, खण्ड (एक) के अधीन मतदान की तारीख, स्थान तथा समय नियत करने की घोषणा का सम्बंधित मतदान क्षेत्र में व्यापक प्रचार, ऐसी रीति में, जैसा कि जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाये, किया जाएगा।

(5) (क) जहां कोई आदेश उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन मतदान के जारी रखने के लिये पारित किया जाये तो निर्वाचन अधिकारी नियम 25 के उपनियम (1) के अधीन नई कार्यवाही करेगा तथा इस उपनियम के अधीन नियुक्त किये गये पीठासीन अधिकारी को, इस नियम के उपनियम (2) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये समस्त पैकेट वापस कर देगा।

(ख) पीठासीन अधिकारी, अनुवर्ती मतदान प्रारंभ होने के ठीक पूर्व ऐसे व्यक्तियों की उपस्थित में, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों, पैकेट खोलेगा और उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में उसके लिए नियत किए गये समय पर ऐसा मतदान प्रारंभ करेगा।

(ग) अनुवर्ती (कंटीन्यूएशन) मतदान में पीठासीन अधिकारी केवल ऐसे निर्वाचकों को मत देने के लिए अनुज्ञात करेगा जिन्होंने पूर्व अवसर पर मतदान नहीं किया हो।

(घ) निर्वाचन अधिकारी, ऐसे निर्वाचन में डाले गये मतों की गिनती तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसा अनुवर्ती मतदान या नया मतदान पूर्ण नहीं हो जाता।

(ङ) निर्वाचन अधिकारी ऐसे मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को, जहां कि अनुवर्ती मतदान होना है, सीलबन्द पैकेट, जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति अन्तर्विष्ट हो, मतपेटी तथा ऐसी अन्य सामग्री, जो कि मतदान के लिये अपेक्षित हो, प्रदान करेगा।

(6) जहां उपनियम (3) के खण्ड (ख) के अधीन नया मतदान कराय जाने का कोई आदेश पारित किया जाता है वहां निर्वाचन अधिकारी, नियम 25 के उपनियम (1) के अधीन नए सिरे से कार्यवाही करेगा तथा इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सभी दृष्टि से, संबंधित मतदान केन्द्रों पर इस प्रकार नया मतदान कराया जायेगा मानों कि ऐसे मतदान केन्द्र पर वह प्रथम बार कराया जा रहा हो।

स्पष्टीकरण :- इस उपनियम के अधीन आने वाले मामलों में कोई नया नामनिर्देशन नहीं होगा।

(7) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि उपनियम (3) के अधीन संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व या ऐसा आदेश जारी होने के पश्चात् किसी भी समय किन्तु अनुवर्ती नया मतदान प्रारंभ होने के पूर्व यथार्थिति, किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तो निर्वाचन अधिकारी, अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य से स्वयं का समाधान हो जाने पर, संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को उस तथ्य की सूचना देगा, निर्वाचन के संबंध में आगे की समस्त कार्यवाहियां रोक देगा और सभी दृष्टि से, निर्वाचन की ऐसी कार्यवाहियां नए सिरे से शुरू करेगा जैसी कि नए निर्वाचन के लिए की जाती है :

परन्तु उन शेष अभ्यर्थियों के मामले में, नए नामनिर्देशन की आवश्यकता नहीं होगी, जो कि मतदान रोके जाने के समय नामनिर्दिष्ट हो चुके थे।

55. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.— जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य या अध्यक्ष के पद की कोई आकस्मिक रिक्ति, ऐसी रिक्ति होने की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर, इन नियमों तथा उनके अधीन किये गये आदेशों के उपबन्धों का अनुसरण करते हुए संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी करके भरी जायेगी।

56. कतिपय मामलों में सरकार की शक्ति.— यदि इन नियमों के निर्वाचन के संबंध में, नियमों के अधीन की गई जांच से संसक्त से अन्यथा किसी भी निर्वाचन की विधिमान्यता के बारे में विवादों का विनिश्चय करने के लिए या अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में होने वाली किसी कठिनाई को दूर करने में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह प्रश्न सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

57. कतिपय मामलों में तारीख आदि नियत करने की निर्वाचन अधिकारी की शक्ति.— इन नियमों के पूर्ववर्ती उपबन्धों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार या संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी विशिष्टतया किसी जल उपभोक्ता संस्था के मामले में नामनिर्दिशेन फाइल किये जाने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी को, निर्वाचन संबंधी कार्यवाही या उससे संबंधित या उससे संबंधित

सभी या उसके किसी भी चरण के लिये इन नियमों द्वारा उनके अधीन विनिर्दिष्ट या नियत की गई तारीखों तथा कालावधि से भिन्न तारीखें नियत करने के लिये, सशक्त कर सकेगा।

अध्याय — चार

58. जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन

(1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (5) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का निर्वाचन धारा 4 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के सदस्यों, के विशेष सम्मिलन में, अधिसूचित जनपद पंचायत के कार्यालय में किया जाएगा, जिसका निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी होगा।

(2) जल उपभोक्ता संथा के सभी प्रादेशिक सदस्यों से मिलकर गठित होने वाली प्रत्येक जल उपभोक्ता संथा के लिए एक प्रबंध समिति होगी।

(3) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के कुल पचास प्रतिशत पद भर जाने की दशा में, अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए, निर्वाचन अधिकारी द्वारा जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों का विशेष सम्मिलन बुलाया जाएगा।

(4) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए, जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों के परिणामों की घोषणा के पश्चात्, निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथानिर्देशित 7 दिन के भीतर, निर्वाचन के स्थान पर, नीचे यथाविहित रीति में उपस्थित होंगे —

(क) निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन के प्रयोजन के लिए मतदाता सूची संप्रदर्शित करेगा तथा उसे जनपद पंचायत के सूचना पटल पर निर्वाचन के लिए सूचना के साथ प्रदर्शित करेगा।

(ख) निर्वाचन की सूचना, निर्वाचन की तारीख, स्थान तथा समय देते हुए प्ररूप 19 में हिन्दी भाषा में संप्रदर्शित की जाएगी तथा निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के सदस्यों को अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन की तारीख से कम से कम स्पष्ट दो दिन अग्रिम में भेजी जाएगी।

(ग) निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा कराया जायेगा तथा एक दिन में सम्पन्न होगा। कार्यक्रम निम्नानुसार होगा :-

(एक) नामनिर्देशनों की प्राप्ति—पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 12.00 बजे तक

(दो) नामनिर्देशनों की जांच तथा नाम निर्देशनों की अंतिम सूची का प्रकाशन अपराह्न 12.30 से अपराह्न 1.00 बजे तक

(तीन) नाम निर्देशनों की वापसी—अपराह्न 1.00 से अपराह्न 1.30 तक

- (चार) निर्वाचन लड़ने वालों की अंतिम सूची का प्रकाशन—अपराह्न 2.00 बजे
- (पांच) निर्वाचन की दशा में मतदान— अपराह्न 3.00 से अपराह्न 5.00 बजे तक
- (छह) मतगणना तथा परिणाम की घोषणा— मतदान के तत्काल बाद :

परंतु नाम निर्देशन फाइल करने की प्रक्रिया नियम 15 से 21 के अनुसार होगी।

- (घ) यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है तो मतदान कराया जाएगा। यदि केवल एक विधिमान्य नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी है तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे अभ्यर्थी को तत्काल प्ररूप 27 में सम्यकरूप से निर्वाचित घोषित करेगा तथा उसे संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा।
- (ङ) यदि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों में से कुछ सदस्य नियत समय में स्थल पर उपस्थित नहीं रहते हैं तो भी अध्यक्ष के पदों का निर्वाचन उपस्थित सदस्यों द्वारा ही निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आयोजित किया जायेगा।
- (च) यदि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के कोई भी सदस्य अपने निर्धारित समय पर नहीं आते हैं या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का केवल एक ही सदस्य आता है, तब निर्वाचन अधिकारी 30 मिनट तक उस स्थल पर इंतजार करेगा और इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो निर्वाचन अधिकारी अध्यक्ष से पदों को अधिनियम की धारा 15 के अधीन आगामी निर्वाचन के होने तक आकस्मिक रिक्तियों के रूप में घोषित करेगा और प्ररूप 47 में अभिलिखित करेगा और इसे जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा। यदि निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के पद कुल पदों के पचास प्रतिशत से कम भरे जाते हैं तो इसी प्रक्रिया का अनुसरा किया जाएगा।
- (छ) इस अवधि तक, आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाएँ की जाएगी या यदि इस तरह की व्यवस्थाएँ पहले से ही विद्यमान हैं तो उन्हें अधिनियम की धारा 34 के अनुसार जारी रखा जा सकेगा।
- (ज) यदि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य विशेष बैठक में उपस्थित होते हैं, परंतु निर्धारित समय में अध्यक्ष का निर्वाचन करने में विफल रहते हैं तो उपखण्ड (च) के अधीन यथाउल्लिखित प्रक्रिया ही अनुसरण किया जाएगा।
- (5) निर्वाचन की दशा में मतपत्र, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम वर्णानुक्रम में, प्ररूप 26 में, हिन्दी भाषा में तैयार किये जायेंगे जो जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष पद के लिये तैयार किए जायेंगे तथा निर्वाचन, संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा यथा निर्देशित किए गए अनुसार संचालित किया जाएगा।
- (6) मतदान की समाप्ति पर, निर्वाचन अधिकारी प्रबंध समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिये दिये गये मतों की गणना करने की तत्काल व्यवस्था करेगा तथा

अभ्यर्थियों को प्ररूप 27 में निर्वाचित घोषित करेगा और अभ्यर्थी जिसने अध्यक्ष पद के लिये दिये गये मतों में सबसे अधिक मत प्राप्त किये हैं, जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित करेगा।

(7) दो अभ्यर्थियों के मध्य मतों की समानता की दशा में, निर्वाचन अधिकारी, सदस्यों की उपस्थित में लाट निकालेगा तथा जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम निकलेगा, वह सम्यकरूप से निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(8) निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के तत्काल पश्चात्, निर्वाचन अधिकारी, सम्मिलन की कार्यवाहियों का एक अभिलेख तैयार करेगा तथा उसमें किये गये प्रत्येक सुधार पर अपने आद्यक्षर सहित अनुप्रमाणित कर हस्ताक्षर करेगा तथा कार्यवाहियों के उक्त अभिलेख को सम्मिलन में भाग लेने वाले सदस्यों की बहु संख्या द्वारा भी अनुप्रमाणित किया जायेगा। वह जनपद पंचायत के सूचना पटल पर भी एक सूचना अपने हस्ताक्षर से, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित व्यक्ति का नाम कथित करते हुए प्रकाशित करेगा तथा ऐसी सूचना की एक प्रति संबंधित जिला निर्वाचन प्राधिकारी तथा संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा। इस सूचना की एक प्रति उस अभ्यर्थी को भी दी जाएगी जो जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित हुआ है।

(9) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन अधिकारी लिखित में अभिलिखित पर्याप्त कारणों से नियम 58 के अधीन बुलाए गए विशेष सम्मिलन की तारीख में, परिवर्तन का समय-समय पर निदेश दे सकेगा तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी तथा संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को सूचित करेगा।

अध्याय – पांच

59. वितरिका समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन.— इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अध्यक्ष का निर्वाचन, धारा 5 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट वितरिका समिति के सदस्यों के विशेष सम्मिलन में अधिसूचित जनपद पंचायत के कार्यालय में किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर या जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी होगा।

60. प्रत्येक वितरिका समिति की एक प्रबंध समिति होगी जो उसके साधारण निकाय के सभी सदस्यों से मिलकर बनेगी।

61. निर्वाचन कराया जाना.—

(1) वितरिका समिति के गठन के लिए एक विशेष बैठक में वितरिका समिति की पदावधि पूर्ण होने पर या रिक्तियों के, जो या तो मृत्यु, त्यागपत्र, वापस बुलाया जाना या अन्य कारणों से, होने पर निर्वाचन कराए जाएंगे।

(2) बैठक का कोरम नीचे वर्णित किए गए अनुसार होगा,—

- (क) वितरिका समिति के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन कराए जाने के लिए कोई भी बैठक तब तक नहीं बुलाई जाएगी जब तक कि वितरिका समिति के कम से कम कुल सदस्यों के आधे सदस्य उपस्थित न हो जो कि निर्वाचन में मत देने के लिए अधिकृत हो ।

स्पष्टीकरण:—

- जहां वितरिका समिति की प्रबंध समिति के सदस्यों की कुल संख्या विषम अंकों में आती है, तो पचास प्रतिशत की गणना करने के लिए उस संख्या को अगली उच्चतर संख्या में परिवर्तित कर दिया जाए
- (ख) यदि वितरिका समिति के अध्यक्ष को निर्वाचित करने के लिए प्रथम विशेष बैठक में आवश्यक कोरम पूरा नहीं हो पाता है या यदि उपस्थित सदस्य गण वितरिका समिति का अध्यक्ष कोरम पूरा होने पर भी निर्वाचित करने में असफल रहते हैं तो एक द्वितीय एवं अंतिम बैठक, पहली बैठक के दिनांक से स्पष्ट 5 दिन के समय के अंतराल के बाद के दिनांक पर आयोजित की जाएगी।
- (ग) यदि द्वितीय एवं अंतिम बैठक आयोजित करने पर भी आवश्यक कोरम पूरा नहीं हो पाता है या यदि उपस्थित सदस्य गण वितरिका समिति का अध्यक्ष कोरम पूरा होने पर भी निर्वाचित करने में असफल रहते हैं तो निर्वाचन अधिकारी, अध्यक्ष के पद को अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निर्वाचन होने तक आकस्मिक रिक्त घोषित करेगा एवं प्ररूप 47 में दर्ज करेगा एवं उसे जिला निर्वाचन प्राधिकारी को जमा करेगा।
- (घ) ऐसे समय तक, आवश्यक संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं बनाई जाएं, या यदि ऐसी व्यवस्थाएं पहले से विद्यमान हैं, तो वे व्यवस्थाएं अधिनियम की धारा 34 के अनुसार निरंतर बनाये रखी जाएंगी।

62. निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन के प्रयोजन के लिये मतदाता सूची संप्रदर्शित करेगा तथा उसे जनपद पंचायत के सूचना पट्ट पर, निर्वाचन के लिये सूचना के साथ प्रदर्शित करेगा।

63. निर्वाचन की सूचना, निर्वाचन की तारीख, स्थान तथा समय देते हुए प्ररूप 19 में हिन्दी भाषा में संप्रदर्शित की जायेगी तथा निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट वितरिका समिति के सदस्यों को, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन की तारीख से कम से कम स्पष्ट दो दिन अग्रिम में भेजी जाएगी।

64. निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा कराया जायेगा तथा एक दिन में सम्पन्न होगा। कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :

- (एक) नामनिर्देशनों की प्राप्ति—पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 12.00 बजे तक
- (दो) नामनिर्देशनों की जांच तथा नामनिर्देशनों की अंतिम सूची का प्रकाशन अपराह्न 12.30 से अपराह्न 1.00 बजे तक

- (तीन) नामनिर्देशनों की वापसी अपरान्ह 1.00 से अपरान्ह 1.30 तक
- (चार) निर्वाचन लड़ने वालों की अंतिम सूची का प्रकाशन अपरान्ह 2.00 बजे
- (पांच) निर्वाचन की दशा में मतदान अपरान्ह 3.00 से अपरान्ह 5.00 बजे तक
- (छह) मतगणना तथा परिणाम की घोषणा मतदान के तत्काल बाद:

परन्तु नामनिर्देशन फाइल करने की प्रक्रिया नियम 15 से 21 के अनुसार होगी।

65. यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है तो मतदान कराया जायेगा। यदि केवल एक ही विधिमान्य रूप से नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी है तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे अभ्यर्थी को तत्काल प्ररूप 36 में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा तथा उसे संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा।

66. निर्वाचन की दशा में मतपत्र, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम वर्णानुक्रम में प्ररूप 35 में हिन्दी भाषा में तैयार किये जाएंगे जो अध्यक्ष के पद के लिये तैयार किए जाएंगे तथा निर्वाचन, संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा यथा निर्देशित रूप से संचालित किया जाएगा।

67. मतदान की समाप्ति पर, निर्वाचन अधिकारी प्रबंध समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिये दिये गये मतों की गणना करने की तत्काल व्यवस्था करेगा तथा अभ्यर्थी जिसने अध्यक्ष पद के लिए दिए गए मतों में सबसे अधिक मत प्राप्त हुए हैं, वितरिका समिति के अध्यक्ष के पद पर प्ररूप 36 में निर्वाचित घोषित करेगा।

68. दो अभ्यर्थियों के बीच मतों के बराबर होने की दशा में, निर्वाचन अधिकारी, सदस्यों की उपस्थित में लाट निकालेगा तथा जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम निकलेगा, वह सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

69. निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के तत्काल पश्चात् निर्वाचन अधिकारी, सम्मिलन की कार्यवाहियों का एक अभिलेख तैयार करेगा तथा उसमें किये गये प्रत्येक सुधार को अपने आद्यक्षर सहित अनुप्रमाणित करते हुए हस्ताक्षर करेगा और कार्यवाहियों के उक्त अभिलेख को सम्मिलन में भाग लेने वाले सदस्यों की बहु संख्या द्वारा भी अनुप्रमाणित किया जायेगा। वह जनपद पंचायत के सूचना पट्ट पर भी अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट वितरिका समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन व्यक्ति का नाम कथित करते हुए अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक सूचना भी प्रकाशित करेगा तथा ऐसी सूचना की एक प्रति संबंधित जिला निर्वाचन प्राधिकारी तथा संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा। इस सूचना की एक प्रति उस अभ्यर्थी को भी जो वितरिका समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया है दी जाएगी।

70. इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन अधिकारी लिखित में अभिलिखित पर्याप्त कारणों से नियम 59 के अधीन बुलाए जाने वाले विशेष सम्मिलन की तारीख

में, परिवर्तन का समय-समय पर निदेश दे सकेगा तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी तथा संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को सूचित करेगा।

अध्याय — छह

71. परियोजना समिति के सभापति (चेयरपर्सन) का निर्वाचन.— इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट सभापति का निर्वाचन धारा 7 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट परियोजना समिति के सदस्यों के विशेष सम्मिलन में, अधिसूचित जनपद पंचायत के कार्यालय में होगा। निर्वाचन अधिकारी, कलेक्टर या जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी होगा।

72. प्रत्येक परियोजना समिति की एक प्रबंध समिति होगी जो उसके साधारण निकाय के सभी सदस्यों से मिलकर बनेगी।

73. निर्वाचन कराया जाना.—

- (1) परियोजना समिति के गठन के लिए एक विशेष बैठक में परियोजना समिति की पदावधि पूर्ण होने पर या रिक्तियों के जो या तो मृत्यु, त्यागपत्र, वापस बुलाया जाना या अन्य कारणों से होने पर निर्वाचन कराए जाएंगे।
- (2) बैठक का कोरम नीचे वर्णित किए गए अनुसार होगा:—
 - (क) परियोजना समिति के सभापति पद के लिए निर्वाचन कराए जाने के लिए कोई भी बैठक तब तक नहीं बुलाई जाएगी जब तक की परियोजना समिति के कम से कम कुल सदस्यों के आधे सदस्य उपस्थित न हो जो कि निर्वाचन में मत देने के लिए अधिकृत हों।

स्पष्टीकरण:—

जहां परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सदस्यों की कुल संख्या विषम अंको में आती है, तो पचास प्रतिशत की गणना करने के लिए उस संख्या को अगली उच्चतर संख्या में परिवर्तित की जाएगी।

- (ख) यदि परियोजना समिति के अध्यक्ष को निर्वाचन करने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक में आवश्यक कोरम पूरा नहीं हो पाता है या यदि उपस्थित सदस्य परियोजना समिति का अध्यक्ष कोरम पूरा होने पर भी निर्वाचित करने में असफल रहते हैं तो एक द्वितीय एवं अंतिम बैठक, पहली बैठक के दिनांक से स्पष्ट 5 दिन के समय के अंतराल के बाद के दिनांक पर आयोजित की जाएगी।
- (ग) यदि द्वितीय एवं अंतिम बैठक आयोजित करने पर भी आवश्यक कोरम पूरा नहीं हो पाता है या यदि उपस्थित सदस्य गण परियोजना समिति का अध्यक्ष कोरम पूरा होने पर भी निर्वाचित करने में असफल रहते हैं तो निर्वाचन अधिकारी अध्यक्ष के पद को अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निर्वाचन होने तक आकस्मिक रिक्त घोषित करेगा एवं प्रपत्र 47 में दर्ज करेगा और उसे जिला निर्वाचन प्राधिकारी को जमा करेगा।

(घ) ऐसे समय तक, आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई जाएं या यदि ऐसी व्यवस्थाएं पहले से विद्यमान हैं, तो वे व्यवस्थाएं अधिनियम की धारा 34 के अनुसार निरंतर बनाये रखी जाएंगी।

74. निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन के प्रयोजन के लिये मतदाता सूची संप्रदर्शित करेगा तथा इसे जनपद पंचायत के सूचना पट्ट पर निर्वाचन के लिये सूचना के साथ प्रदर्शित करेगा।

75. निर्वाचन की सूचना, निर्वाचन की तारीख, स्थान तथा समय देते हुये प्ररूप 37 में हिन्दी भाषा में संप्रदर्शित की जाएगी और अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट परियोजना समिति के सदस्यों को निर्वाचन अधिकारी द्वारा, अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन की तारीख से कम से कम स्पष्ट दो दिन अग्रिम में दी जाएगी।

76. निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा और एक ही दिन में सम्पन्न होगा। कार्यक्रम निम्नानुसार होगा :-

- (एक) नामनिर्देशनों की प्राप्ति पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 12.00 बजे तक
- (दो) नामनिर्देशनों की जांच तथा नामनिर्देशनों की अंतिम सूची का प्रकाशन अपरान्ह 12.30 से अपरान्ह 1.00 बजे तक
- (तीन) नामनिर्देशनों की वापसी अपरान्ह 1.00 से अपरान्ह 1.30 तक
- (चार) निर्वाचन लड़ने वालों की अंतिम सूची का प्रकाशन अपरान्ह 2.00 बजे
- (पांच) विरोध की दशा में मतदान अपरान्ह 3.00 से अपरान्ह 5.00 बजे तक
- (छह) मतों की गिनती तथा परिणाम की घोषणा मतदान के तत्काल बाद:

परन्तु नामनिर्देशन फाइल करने की प्रक्रिया निर्वाचन नियम के अध्याय तीन के नियम 15 से 21 के अनुसार होगी।

77. यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है तो मतदान कराया जाएगा। यदि एक ही विधिमान्य रूप से नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी है तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे अभ्यर्थी को तत्काल प्ररूप 45 में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा और एक प्रति संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी तथा जिला निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा।

78. निर्वाचन की दशा में, प्रबंध समिति के सभापति के पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के हिन्दी भाषा में वर्णक्रमानुसार नाम अन्तर्विष्ट करते हुए मतपत्र प्ररूप 44 में तैयार किए जाएंगे और निर्वाचन, इस प्रकार संचालित कराए जाएंगे जैसा कि संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें।

79. मतदान पश्चात् निर्वाचन अधिकारी प्रबंध समिति के सभापति के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को दिए गए मतों की गणना की तत्काल व्यवस्था करेगा तथा उस अभ्यर्थी

को जिसे प्रबंध समिति में सभापति पद के लिए दिए गए मतों में सबसे अधिक मत प्राप्त हुए हैं, उस परियोजना समिति के सभापति के पद पर प्ररूप 45 में निर्वाचित घोषित करेगा।

80. दो अभ्यर्थियों के बीच मतों के बराबर होने की दशा में, निर्वाचन अधिकारी, सदस्यों की उपस्थिति में लॉट निकालेगा तथा जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम निकलेगा, वह सम्यकरूप से निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

81. निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के तत्काल पश्चात् निर्वाचन अधिकारी, सम्मिलन की कार्यवाहियों का एक अभिलेख तैयार करेगा तथा उसमें किये गये प्रत्येक सुधार को अनुप्रमाणित करते हुए अपने आद्याक्षर सहित हस्ताक्षर करेगा और कार्यवाहियों के उक्त अभिलेख को सम्मिलन में भाग लेने वाले सदस्यों की बहुसंख्या द्वारा भी अनुप्रमाणित किया जायेगा। वह जनपद पंचायत के सूचना पट्ट पर अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट परियोजना समिति के सभापति (चेयरपर्सन) के पद के लिए निर्वाचित व्यक्ति का नाम कथित करते हुए अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक सूचना भी प्रकाशित करेगा तथा ऐसी सूचना की एक प्रति संबंधित जिला निर्वाचन प्राधिकारी तथा संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा। इस सूचना की एक प्रति ऐसे अभ्यर्थी को भी जो परियोजना समिति के सभापति के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया है, दी जाएगी।

82. इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचित अधिकारी लिखित में अभिलिखित पर्याप्त कारणों से, नियम 59 के अधीन बुलाए गए विशेष सम्मिलन की तारीख में परिवर्तन का समय-समय पर निर्देश दे सकेगा और जिला निर्वाचन प्राधिकारी और संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी को सूचित करेगा।

अध्याय—सात

83. निर्वाचन याचिका फाइल करने की रीति, समय—सीमा तथा फीस.—निर्वाचन के परिणाम या इस प्रकार अपनाई गई प्रक्रिया से व्यथित कोई व्यक्ति, समय—सीमा के भीतर उसके लिए, सम्यक रूप से फीस का भुगतान करके, नीचे यथा उल्लिखित अधिकारियों को एक निर्वाचन याचिका फाइल कर सकेगा—

(एक) जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य एवं अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित विवाद के लिये याचिका अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को फाइल की जाएगी।

(दो) वित्तिका समिति तथा परियोजना समिति के अध्यक्ष/सभापति (चेयरपर्सन) के निर्वाचन से संबंधित विवाद के लिये याचिका संबंधित जिले के कलेक्टर (जिला मजिस्ट्रेट) को फाइल की जाएगी।

(तीन) याचिका ग्रहण करने के लिये तीस दिन की कालावधि की संगणना, मतदान परिणाम की घोषणा की तारीख से की जाएगी जिसमें असफल रहने पर याचिका ग्रहण नहीं की जाएगी।

(चार) उक्त याचिका फाइल करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा फीस रुपये 200/— संबंधित कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग को जमा की जाएगी और तत्पश्चात्

यह फीस कार्यपालन यंत्री द्वारा शीर्ष 0702-01 (राजस्व प्राप्तियों) के अधीन प्रेषित की जाएगी जो किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं होगी तथा समपहत हुई समझी जाएगी।

(पांच) संबंधित अधिकारी द्वारा इस प्रकार दिया गया विनिश्चय अंतिम तथा याचिकाकर्ता पर आबद्धकर होगा तथा किसी भी दशा में कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी।

(छह) किसी निर्वाचन के पूर्ण होने और निर्वाचन का परिणाम घोषित होने की दशा में, ऊपर यथा उल्लेखित समस्त ऐसे मामलों में निर्वाचन याचिका फाइल करने के लिये समय सीमा, निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तारीख से तीस दिन की होगी।

परन्तु कोई याचिका तीस दिन की विहित कालावधि के पश्चात् ग्रहण की जा सकेगी यदि याचिकाकर्ता, संबंधित अधिकारी का यह समाधान कर दे कि ऐसी कालावधि के भीतर याचिका प्रस्तुत न करने का उसके पास पर्याप्त कारण था तथा कोई याचिका मतदान परिणाम की घोषणा की तारीख से छह मास की कालावधि से परे ग्रहण नहीं की जाएगी।

84. निरसन तथा व्यावृत्ति — (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त मध्य प्रदेश कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 1999 एतद्वारा निरसित किए जाते हैं:

(2) इस निरसन के होते हुए भी, ऐसी विद्यमान जल उपभोक्ता संथाओं की आवश्यकताओं के अनुसार, जिनकी अवधि का इन नियमों के प्रारंभ पर अवसान नहीं हुआ है, यह समझा जायेगा कि निरसित नियमों के सम्बन्धित उपबंध प्रवर्तन में हैं।

प्ररूप 1

(नियम 11 (2) देखिए)

जल उपभोक्ता संथा (संथाओ) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों के निर्वाचन हेतु सूचना

जिला में

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि जिला में जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों के निर्वाचनों का संचालन निम्नानुसार किया जाएगा :

(एक) नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे—

(क) तारीख को

(ख) समय बजे से बजे के बीच

(दो) नामनिर्देशन पत्रों की जांच की तारीख

(तीन) अभ्यर्थिता वापस लेने की तारीख

(चार) मतदान की तारीख

(पांच) निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतों की गणना की तारीख

(छह) परिणामों की घोषणा एवं प्रकाशन

संभागीय निर्वाचन प्राधिकारी/

जिला निर्वाचन प्राधिकारी.

प्ररूप 2

(नियम 11(4) देखिए)

.....जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के पद के लिये निर्वाचन हेतु सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि -

- (1) जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के निर्वाचन हेतु निर्वाचन किया जाना है।
- (2) नामनिर्देशन पत्र अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को, तारीख से तक 10.30 बजे पूर्वान्ह से 5.00 बजे अपरान्ह के मध्य परिदत्त किये जा सकते हैं।
- (3) नामनिर्देशन पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान एवं समय पर प्राप्त किये जा सकते हैं।
- (4) नामनिर्देशन पत्रों की जांच (स्थान) पर तारीख को बजे की जाएगी।
- (5) अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में को अपरान्ह 3 बजे के पूर्व परिदत्त की जा सकती है।
- (6) निर्वाचन कराये जाने की दशा में मतदान तारीख को 8.00 बजे पूर्वान्ह से 2.00 बजे अपरान्ह तक कराया जाएगा।
- (7) मतदान समाप्ति के पश्चात् मतगणना शुरू हो जाएगी और उसके तुरन्त पश्चात् परिणाम घोषित किये जाएंगे।

निर्वाचन अधिकारी

प्ररूप 3

(नियम 15(1) देखिए)

जल उपभोक्ता 'संथा'

नामनिर्देशन-पत्र

1. जल उपभोक्ता संथा के कार्यालय का नाम
2. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक
3. अभ्यर्थी का पूरा नाम
4. पिता अथवा पति का नाम
5. निर्वाचक नामावली में अनुक्रमांक
6. आयु
7. लिंग
8. व्यवसाय तथा पता
9. प्रस्तावक का पूरा नाम
10. निर्वाचक नामावली में प्रस्तावक का अनुक्रमांक
11. प्रस्तावक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं निर्वाचन हेतु पात्र हूँ एवं निर्वाचन में खड़ा होने का इच्छुक हूँ तथा ऊपर दशाई गई मेरी आयु सही है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

उपरोक्त घोषणा का मेरे (ब्लॉक अक्षरों में अधिकारी का नाम) समक्ष श्री द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जिसे श्री ग्राम द्वारा मेरे समाधानप्रद रूप में पहचाना गया।

ग्राम प्रशासनिक अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी के हस्ताक्षर, जो मंडल राजस्व अधिकारी के पद से नीचे की श्रेणी का न हो। (निर्वाचन अधिकारी या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पृष्ठांकन अनुक्रमांक):

यह नामनिर्देशन-पत्र मुझे प्रस्तुत किया गया(व्यक्ति का नाम)

स्थान, तारीख तथा समय

निर्वाचन अधिकारी या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नामनिर्देशन-पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाने हेतु का निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय.

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को नियम 8 के अनुसार समझा दिया है और नियमानुसार विनिश्चय करता हूँ:

तारीख

निर्वाचन अधिकारी

नामनिर्देशन-पत्र की प्राप्ति और जांच की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को सौंपे जाने के लिये)

नामनिर्देशन-पत्र का अनुक्रमांक

जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य के निर्वाचन के लिए/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक से (निर्वाचन हेतु) अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र मुझे स्थान, तारीख, समय अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया।

सभी नाम निर्देशन पत्रों की जांच (तारीख) को (समय) (स्थान) पर की जाएगी।

तारीख

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 4

(नियम 18 देखिए)

जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकके सदस्य पद हेतु
..... (तारीख) को प्राप्त नाम निर्देशनों की सूची

नाम निर्देशन पत्र का अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	आयु	व्यवसाय एवं पता	मतदाता सूची में अभ्यर्थी का क्रमांक	प्रस्तावक का नाम	प्रस्तावक का मतदाता सूची क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

नामनिर्देशन पत्रों की जांच तारीख को पूर्वाह्न/अपराह्न (स्थान) पर की जाएगी।

स्थान:

निर्वाचन अधिकारी

तारीख :

या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्ररूप 5

(नियम 19(5) देखिए)

विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची

जिले का नाम

जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक

जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य का निर्वाचन.

आबटित अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी का पता (3)
1.		
2.		
3.		
4.		

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 6

(नियम 20 (1) देखिए)

नाम वापसी की सूचना

..... जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के पद हेतु निर्वाचन प्रति,

निर्वाचन अधिकारी,

मैं, उपर्युक्त निर्वाचन में विधिमानतः नामनिर्देशित अभ्यर्थी, एतद्द्वारा, सूचना देता हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूँ।

स्थान:

तारीख:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

यह सूचना मेरे कार्यालय में (नाम) श्री द्वारा (तारीख) को (समय) दी गई।

तारीख

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम वापसी की सूचना के लिये पावती

(सूचना देने वाले व्यक्ति को सौंपे जाने के लिये)

जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के पद निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी श्री द्वारा मुझे अपनी अभ्यर्थिता की वापसी हेतु यह सूचना मेरे कार्यालय में द्वारा (तारीख) को (समय) पर दी गई।

तारीख :

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 7

(नियम 20(2) देखिए)

अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना

..... जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त निर्वाचन में निम्नलिखित विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने आज उसकी/उनकी अभ्यर्थिता वापस ली.

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	आवंटित दिन्ह (3)
1		
2		
3		
4		

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान:

प्ररूप 8

(नियम 21(1) देखिए)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

..... जल उपभोक्ता संथा (डब्ल्यू.यू.ए.) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद हेतु निर्वाचन

आवंटित अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी का पता (3)
1.		
2.		
3.		
4.		

स्थान :

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 9

(नियम 22(2) देखिए)

निर्वाचन नियमों के नियम 22(2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

निर्वाचन नियमों के नियम 22(2) के अनुसार मैं घोषणा करता हूँ कि निम्नलिखित अभ्यर्थी जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र .. सदस्य के पद के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ।

नाम :

पता:

स्थान :

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 10

(नियम 24(1)(क) देखिए)

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति

(दो प्रतियों में प्रस्तुत करें)

..... जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य के पद हेतु निर्वाचन प्रति,

निर्वाचन अधिकारी,

मैं उक्त निर्वाचन में जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद हेतु अभ्यर्थी हूँ, एतद्द्वारा को आज तारीख से उक्त निर्वाचन हेतु अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता हूँ।

स्थान :

तारीख :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं, उक्त नियुक्ति को स्वीकार करता हूँ।

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं एतद्द्वारा उक्त नियुक्ति स्वीकार और अनुमोदित करता हूँ।

स्थान :

तारीख :

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 11

(नियम 24(2)(ख) देखिए)

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र..... सदस्य हेतु निर्वाचन

में, अभ्यर्थी / श्री

जो उक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी है, का चुनाव अभिकर्ता, एतद्वारा को
 के मतदान हेतु नियत में स्थित मतदान केन्द्र
 क्रमांक पर उपस्थित होने हेतु मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ।

अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

में, एतद्वारा उक्त नियुक्ति स्वीकार और अनुमोदित करता हूँ।

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 12

(नियम 24(3)(ख) देखिए)

मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

..... जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद हेतु निर्वाचन

प्रति,

निर्वाचन अधिकारी,

में, एक अभ्यर्थी / श्री

जो उक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी है, का चुनाव अभिकर्ता, एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को
(स्थान) पर मतगणना में उपस्थित रहने हेतु मेरे मतगणना
 अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त करता हूँ।

मतगणना अभिकर्ताओं के नाम

मतगणना अभिकर्ताओं के पते

- 1.
- 2.
- 3.

अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं / हम मतगणना अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हैं।

अभिकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख :

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 13

(नियम 35(2) देखिए)

निविदत्त मतपत्रों की सूची

मतदान केन्द्र क्रमांक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक

जल उपभोक्ता संस्था के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

अनुक्रमांक	निर्वाचक का नाम	मतदाता सूची में क्रमांक/ अनुभाग क्रमांक जल उपभोक्ता संस्था का नाम	निविदत्त मतपत्र का अनुक्रमांक	निर्वाचक के हस्ताक्षर या मत निविदत्त करने वाले व्यक्ति के अंगूठे का निशान	वह व्यक्ति जो पूर्व में ही मतदान कर चुका है, उसको जारी किए गए मतपत्र का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

स्थान :

तारीख :

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 14

(नियम 34(2)(ग) देखिए)

चुनौती दिए गए मतों की सूची

मतदान केन्द्र क्रमांक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक

जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य के पद हेतु निर्वाचन.

अनुक्रमांक	मतदाता सूची में क्रमांक / अनुभाग क्रमांक जल उपभोक्ता संथा का नाम	निर्वाचक का नाम	चुनौती दिए गये व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान एवं उसका पता	चुनौती देने वाले का नाम	पहचान करने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान यदि कोई हो तो	मतदान अधिकारी का आदेश	निक्षेप का प्रतिदाय प्राप्त होने पर चुनौतीकर्ता के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

स्थान:

तारीख :

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 15

(नियम 40(1) देखिए)

भाग-1

मतपत्र लेखा

जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक
तथा नाम	जल उपभोक्ता संथा
	अनुक्रमांक से तक
	कुल संख्या

1. प्राप्त मतपत्र
2. उपयोग नहीं किए गए मतपत्र
(अर्थात् जो मतदाताओं को प्रदाय नहीं किये गये)
(क) मतदान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित
(ख) मतदान अधिकारी के हस्ताक्षरों के बिना
कुल* (क + ख)
3. *मतदान केन्द्र पर उपयोग किये गये मतपत्र (1-2=3)
4. मतदान केन्द्र पर उपयोग किये गये मतपत्र जो मतपेटी में नहीं डाले गये
क. नियम 22 के अधीन मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किये गये मतपत्र.
ख. अन्य कारणों से रद्द किये गये मतपत्र.
ग. निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग किये गये मतपत्र.
कुल* (क + ख + ग)
5. *मत पेटी में पाये जाने वाले मतपत्र
(3-4 = 5)

* (क्रम संख्या देने की आवश्यकता नहीं है .)

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग-2

मतगणना का परिणाम

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	डाले गए वैध मतों की संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

दो. — निरस्त किये गये मतपत्र

तीन. — योग

क्या मद क्रमांक तीन के सामने दर्शाये गए मतपत्रों की कुल संख्या भाग-एक के मद क्रमांक 5 के सामने दर्शाये गए योग के अनुरूप हैं, अथवा इन दोनों योगों के बीच कोई फर्क जानकारी में आया है.....

स्थान:

तारीख:

मतगणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

* शब्द जो लागू न हों उन्हें काट दें.

प्ररूप 16

(नियम 44(5) तथा 50(1)(ख) देखिए)

अन्तिम परिणाम पत्रक

(मतदान केन्द्र पर मतदान के परिणाम के अभिलेखन हेतु उपयोग किया जाए)

जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य के पद हेतु निर्वाचन

अनुक्रमांक	मतदान केन्द्र क्रमांक	के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या				वैध मतों की कुल संख्या	निरस्त किये गये मतों की कुल संख्या	योग	निविदत्त मतों की संख्या
		क	ख	ग	घ				

मतदान केन्द्रों पर दर्ज किये गये मतों की कुल संख्या.

डाक मतपत्र पर दर्ज किये गये मतों की संख्या.

स्थान:

दिनांक:

निर्वाचन अधिकारी. के हस्ताक्षर

प्ररूप 17

(नियम 50(1)(क) देखिए)

(जब किसी स्थान के लिए निर्वाचन होना हो, तब निर्वाचन में उपयोग के लिये)

निर्वाचन नियमों के नियम 50 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

मध्यप्रदेश कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 2014 के नियम 52 के अनुसरण में मैं, घोषित करता हूँ कि निम्नलिखित अभ्यर्थी जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए।

जल उपभोक्ता संथा की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य।

नाम

पता

.....

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

शब्दों को जो लागू न हों दें.

प्ररूप 18

(नियम 51 देखिए)

निर्वाचन का प्रमाण-पत्र

मैं, जल उपभोक्ता संथा के लिये निर्वाचन अधिकारी, प्रमाणित करता हूँ कि (दिवस) 20 को मैंने श्री को जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य कमांक पद हेतु सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया है और उसके प्रमाण स्वरूप मैंने उसे यह निर्वाचन प्रमाण-पत्र प्रदान किया है।

.....

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

मुद्रा

प्ररूप 19

(नियम 58 (4)(ख), 63 देखिए)

जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन की सूचना

जल उपभोक्ता संथा की सिंचाई प्रणाली

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि --

1. जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष को निर्वाचित करने हेतु निर्वाचन (तारीख) को किया जाएगा।
2. नामनिर्देशन पत्र अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा (तारीख) को पूर्वाह्न 11.00 से 12.00 अपराह्न के मध्य (स्थान) पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिदत्त या उसके समक्ष दाखिल किए जा सकते हैं।
3. नामनिर्देशन पत्र के प्ररूप, अधोहस्ताक्षरकर्ता से पूर्वोक्तानुसार दाखिल करने के लिये विनिर्दिष्ट समय से एक घण्टे पूर्व प्राप्त किये जा सकते हैं।
4. नामनिर्देशन पत्रों की जांच (तारीख) को अपराह्न 12.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे के मध्य (स्थान) में की जाएगी।
5. किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना (तारीख) को 1.00 अपराह्न से 1.30 अपराह्न के मध्य में दी जा सकती है।
6. निर्वाचन कराए जाने की स्थिति में मतदान (तारीख) को 15.00 बजे से 17.00 बजे के मध्य कराया जाएगा।
7. गणना, मतदान पूर्ण होने के पश्चात् प्रारंभ की जाएगी और परिणाम उसके तुरन्त बाद घोषित कर दिए जाएंगे।

स्थान:

दिनांक:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 20

(नियम 15(1) देखिए)

जल उपभोक्ता संथा

नामनिर्देशन-पत्र

1. कार्यालय का नाम :
(क) जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष
2. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक जिसके लिए वह सदस्य निर्वाचित हुआ है
3. अभ्यर्थी का पूरा नाम, उपनाम सहित
4. पिता या पति का नाम
5. आयु :
6. लिंग :
7. (क) व्यवसाय :
- (ख) स्थायी पता :
- अस्थायी पता :
8. प्रस्तावक का पूरा नाम :
9. जल उपभोक्ता संस्था : जिसके लिये वह अध्यक्ष घोषित किया गया
10. प्रस्तावक के हस्ताक्षर :

(नाम स्वच्छ अक्षरों में)

तारीख

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं, घोषणा करता हूँ कि मैं पात्र हूँ और निर्वाचन में खड़े होने का इच्छुक हूँ.

.....
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(नाम स्वच्छ अक्षरों में)

यह नामनिर्देशन पत्र मुझे (व्यक्ति)

द्वारा में तारीख और समय पर प्रस्तुत किया गया।

निर्वाचन अधिकारी या

अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नामनिर्देशन पत्र स्वीकृत या अस्वीकृत करने वाले निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय

मैंने, इस नामनिर्देशन पत्र की जांच की और निम्नानुसार विनिश्चय करता हूँ :

तारीख :

निर्वाचन अधिकारी

नामनिर्देशन पत्र प्राप्ति हेतु पावती और जांच हेतु सूचना
(नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाए)

नाम निर्देशन पत्र का अनुक्रमांक जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध
समिति के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी श्री
का नाम निर्देशन पत्र मुझे अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा
..... (तारीख) (समय) को दिया गया.

सभी नामनिर्देशन पत्रों की जांच (तारीख) को
(समय) स्थान में की जाएगी।

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 21

(नियम 18 देखिए)

..... जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद के लिए तारीख
 को प्राप्त नामनिर्देशनों की सूची

जल उपभोक्ता संथा

नाम निर्देशन पत्र का अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जल उपभोक्ता संथा का नाम	व्यवसाय एवं पता	मतदाता सूची में अनुक्रमांक	प्रस्तावक का नाम	प्रस्तावक के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

नामनिर्देशन पत्रों की जांच तारीख को 12.30 बजे अपरान्ह से 1.00
 बजे अपरान्ह के बीच (स्थान) में की जाएगी।

स्थान:

निर्वाचन अधिकारी या

तारीख:

अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्ररूप 22

(नियम 19 (5) देखिए)

जांच के पश्चात् वैध नामनिर्देशनों की सूची

जल उपभोक्ता संथा का नाम

..... जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन

आवंटित अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

स्थान:

.....
निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख:

प्ररूप 23

[नियम 20(1) देखिए]

अभ्यर्थी द्वारा दी गई नाम वापसी की सूचना

..... जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद हेतु निर्वाचन

में, उपरोक्त निर्वाचन में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी के रूप में एतद्द्वारा सूचना देता हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूँ।

स्थान:

.....

तारीख:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

यह सूचना मुझे मेरे कार्यालय में श्री (नाम) द्वारा तारीख को (दिनांक) में परिदत्त की गई।

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम वापसी की सूचना के लिये पावती

(सूचना देने वाले व्यक्ति को सौंपे जाने के लिये)

जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी श्री द्वारा मुझे अपनी अभ्यर्थिता की वापसी हेतु यह सूचना मेरे कार्यालय में द्वारा (तारीख) को (समय) पर दी गई।

तारीख :

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 24

(नियम 20 (2) देखिए)

अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी को प्रज्ञापित करने वाली सूचना

..... जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद हेतु निर्वाचन

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	वह तारीख जिसको नाम वापसी की सूचना परिदत्त की गई
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 25

(नियम 21(1) देखिए)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

..... जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद हेतु निर्वाचन

अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम
(1)	(2)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

स्थान

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 26

[नियम 58(5) देखिए]

मतपत्र

..... जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के लिए मतपत्र
मतदाता का अनुक्रमांक

पंजीयन क्रमांक हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

..... जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद हेतु मतपत्र

पंजीयन क्रमांक

पंजीयन क्रमांक

अभ्यर्थी का नाम हिन्दी में वर्णक्रमानुसार	खाने में दिए गये स्थान में सिर्फ एक नाम के सामने (✓) चिन्ह लगाये
1. नाम	<input type="checkbox"/>
2. नाम	<input type="checkbox"/>
3. नाम	<input type="checkbox"/>
4. नाम	<input type="checkbox"/>
5. नाम	<input type="checkbox"/>
6. नाम	<input type="checkbox"/>

1. जल उपभोक्ता संथा का नाम

2. मतदान की तारीख

3. मतदान का स्थान

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 27

(नियम 58 (4)(घ) देखिए)

निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

नियम 58 (6) के अनुसार, मैं घोषणा करता हूँ कि निम्नलिखित अभ्यर्थी को जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद हेतु, सम्यक् रूप से, निर्वाचित किया जाता है।

नाम:

पता:

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 28

(नियम 75 देखिए)

..... की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद हेतु निर्वाचन की सूचना

सिंचाई प्रणाली की वितरिका समिति

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि --

1. सिंचाई प्रणाली की वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष को निर्वाचित करने हेतु निर्वाचन (तारीख) को किया जाएगा।
2. नामनिर्देशन पत्र किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा (तारीख)..... को पूर्वाह्न 11.00 से 12.00 अपराह्न के मध्य (स्थान) पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिदत्त या उसके समक्ष दाखिल किए जा सकते हैं।
3. नामनिर्देशन पत्र के प्ररूप, अधोहस्ताक्षरकर्ता से पूर्वोक्तानुसार दाखिल करने के लिये विनिर्दिष्ट समय से एक घण्टा पूर्व प्राप्त किये जा सकते हैं।
4. नामनिर्देशन पत्रों की जांच तारीख को 12.00 अपराह्न से 1.00 अपराह्न के मध्य (स्थान) में की जाएगी।
5. किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना (तारीख) को अपराह्न 1.00 से 1.30 अपराह्न के मध्य (स्थान) में दी जा सकती है।
6. निर्वाचन कराए जाने की स्थिति में मतदान (तारीख) को 15.00 बजे से 17.00 बजे के मध्य कराया जाएगा।
7. मतगणना, मतदान पूर्ण होने पर प्रारंभ की जाएगी और उसके तुरन्त बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

स्थान:

दिनांक:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 29

(नियम 15(1) देखिए)

वितरिका समिति

नामनिर्देशन-पत्र

1. कार्यालय का नाम :
(क) अध्यक्ष, प्रबंध समिति
2. जल उपभोक्ता संस्था का नाम, जिसके लिये वह अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ है
.....
3. अभ्यर्थी का पूरा नाम, उपनाम सहित
4. पिता या पति का नाम :
5. आयु :
6. लिंग :
7. (क) व्यवसाय
(ख) स्थायी पता
अस्थायी पता
8. प्रस्तावक का पूरा नाम :
9. जल उपभोक्ता संस्था जिसके लिए वह अध्यक्ष घोषित किया गया है
10. प्रस्तावक के हस्ताक्षर :

(नाम स्वच्छ अक्षरों में)

तारीख

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं, घोषणा करता हूं कि मैं पात्र हूं और निर्वाचन में खड़े होने का इच्छुक हूं

.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(नाम स्वच्छ अक्षरों में)

यह नामनिर्देशन पत्र मुझेव्यक्ति
द्वारा स्थान में तारीख और समय प्रस्तुत किया गया।

.....
निर्वाचन अधिकारी या
अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नामनिर्देशन पत्र स्वीकृत या अस्वीकृत करने वाले निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय
मैंने, इस नामनिर्देशन पत्र की जांच की और निम्नानुसार विनिश्चय (डीकोड) करता हूँ
तारीख निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

नामनिर्देशन पत्र प्राप्ति हेतु पावती और जांच हेतु सूचना
(नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाए)

नामनिर्देशन पत्र का अनुक्रमांक वितरिका समिति की प्रबंध समिति
के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी श्री का
नामनिर्देशन पत्र मुझे अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा
..... (तारीख) (समय) पर दिया गया।

सभी नामनिर्देशन पत्रों की जांच (तारीख) को
(समय) स्थान में की जाएगी।

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 30

(नियम 18 देखिए)

..... की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद के लिये

तारीख को प्राप्त नाम निर्देशनों की सूची

वितरिका समिति

नाम निर्देशन पत्र का अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जल उपभोक्ता संस्था का नाम	व्यवसाय एवं पता	मतदाता सूची में अनुक्रमांक	प्रस्तावक का नाम	प्रस्तावक की जल उपभोक्ता संस्था का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

नामनिर्देशन पत्रों की जांच तारीख को 12.30 बजे अपरान्ह से 1.00 बजे अपरान्ह के बीच (स्थान) में की जाएगी।

स्थान:

निर्वाचन अधिकारी या

तारीख:

अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्ररूप 31

(नियम 19 (5) देखिए)

जांच के पश्चात् वैध नाम निर्देशनों की सूची

वितरिका समिति का नाम

..... वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन

आवंटित अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	जल उपभोक्ता संथा का नाम, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है (3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 32

(नियम 20(1) देखिए)

अभ्यर्थी द्वारा दी गई नाम वापसी की सूचना

वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन

मैं, उपरोक्त निर्वाचन में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी एतद्द्वारा सूचना देता हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूँ.

स्थान:

तारीख:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

यह सूचना मुझे मेरे कार्यालय में श्री (नाम) द्वारा तारीख को (स्थान) (समय) पर परिदत्त की गई.

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी

नाम वापसी की सूचना के लिये पावती

(सूचना देने वाले व्यक्ति को सौंपे जाने के लिये)

..... परियोजना की वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी श्री द्वारा मुझे अपनी अभ्यर्थिता की वापसी हेतु यह सूचना मेरे कार्यालय में द्वारा (तारीख) को (समय) पर दी गई।

तारीख :

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 33

(नियम 20 (2) देखिए)

अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी को प्रज्ञापित करने वाली सूचना

वित्तिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	वह तारीख जिसको नाम वापसी की सूचना परिदत्त की गई (3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 34

(नियम 21(1) देखिए)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

..... वित्तिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पद हेतु निर्वाचन

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 35

(नियम 66 देखिए)

मतपत्र

..... वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद हेतु मतपत्र

मतदाता का अनुक्रमांक

पंजीयन क्रमांक

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

..... वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद के लिए मतपत्र

पंजीयन क्रमांक

पंजीयन क्रमांक

अभ्यर्थी का नाम हिन्दी के वर्णक्रमानुसार

खाने में दिए गये स्थान में सिर्फ एक नाम के सामने (✓) चिन्ह लगाएं

1.	नाम	<input type="checkbox"/>
2.	नाम	<input type="checkbox"/>
3.	नाम	<input type="checkbox"/>
4.	नाम	<input type="checkbox"/>
5.	नाम	<input type="checkbox"/>
6.	नाम	<input type="checkbox"/>

4. वितरिका समिति का नाम

5. मतदान की तारीख

6. मतदान का स्थान

.....
निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 36

(नियम 65 तथा 67 देखिए)

निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

नियम 65 तथा 67 के अनुसार, मैं घोषणा करता हूँ कि निम्नलिखित अभ्यर्थी वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद हेतु, सम्यक् रूप से, निर्वाचित किये गये।

नाम:

पता:

स्थान

तारीख:

.....
निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 37

(नियम 75 देखिए)

..... की प्रबंध समिति के सभापति के लिए निर्वाचन की सूचना

सिंचाई प्रणाली की परियोजना समिति

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि -

1. सिंचाई प्रणाली की परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति को निर्वाचित करने हेतु निर्वाचन (तारीख) को कराया जायेगा।
2. नामनिर्देशन-पत्र अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा (तारीख)को (स्थान) पर पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 12.00 बजे के मध्य अधोहस्ताक्षकर्ता को परिदत्त या उसके समक्ष दाखिल किये जा सकते हैं।
3. नामनिर्देशन पत्र के प्ररूप अधोहस्ताक्षकर्ता से पूर्वोक्तानुसार दाखिल करने के लिये विनिर्दिष्ट समय से एक घण्टा पूर्व प्राप्त किये जा सकते हैं।
4. नामनिर्देशन पत्रों की जांच (तारीख) को(स्थान) 12.00 अपराहन् से 1.00 बजे अपराहन् के मध्य की जाएगी।
5. अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा अधोहस्ताक्षकर्ता को अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना तारीख को (स्थान) में अपरान्ह 1.00 बजे से अपराहन् 1.30 बजे के मध्य दी जा सकती है।
6. निर्वाचन कराये जाने की स्थिति में मतदान (तारीख) को अपराहन् 3.00 बजे से अपराहन् 5.00 बजे के मध्य कराया जाएगा।
7. मतगणना, मतदान पूर्ण होने के पश्चात् प्रारंभ की जाएगी एवं परिणाम उसके तुरन्त बाद घोषित कर दिये जाएंगे।

स्थान:

तारीख

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 38

(नियम 15(1) देखिए)

परियोजना समिति

नामनिर्देशन-पत्र

1. कार्यालय का नाम :
प्रबंध समिति का सभापति
2. जल उपभोक्ता संथा/वितरिका समिति का नाम जिसके लिए वह अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है।
3. अभ्यर्थी का पूरा नाम, उपनाम सहित
4. पिता अथवा पति का नाम
5. आयु :
6. लिंग :
7. (क) व्यवसाय :
(ख) स्थायी पता :
अस्थायी पता :
8. प्रस्तावक का पूरा नाम :
9. उस जल उपभोक्ता संथा/वितरिका समिति का नाम, जिसके लिए वह अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है
10. प्रस्तावक के हस्ताक्षर :

(नाम स्वच्छ अक्षरों में)

तारीख

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं पात्र हूँ एवं निर्वाचन में खड़ा होना चाहता हूँ

.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(नाम स्वच्छ अक्षरों में)

यह नामनिर्देशन पत्र मुझे श्री (व्यक्ति)
द्वारा तारीख एवं समय को (स्थान) में प्रस्तुत किया गया।

.....
निर्वाचन अधिकारी या अन्य

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नामनिर्देशन-पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय
मैने इस नाम निर्देशन-पत्र का परीक्षण किया तथा निम्नानुसार विनिश्चय करता हूँ

.....
तारीख :

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

नामनिर्देशन-पत्र के लिए पावती और जांच हेतु सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को सौंपा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र का अनुक्रमांक श्री का ..
..... परियोजना समिति की प्रबंध समिति के
सभापति के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी का नामनिर्देशन-पत्र
मुझे (तारीख) को (समय) अभ्यर्थी/प्रस्तावक
द्वारा दिया गया।

सभी नामनिर्देशन-पत्रों की जांच तारीख को (समय) ...

..... (स्थान) पर की जाएगी।

तारीख :

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

*प्ररूप 39

(नियम 18 देखिए)

..... परियोजना समिति के सभापति पद के लिये (तारीख) को
प्राप्त नामनिर्देशनों की सूची

नाम निर्देशन पत्र का अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जल उपभोक्ता संथा / वितरिका समिति का नाम तथा क्रमांक	व्यवसाय एवं पता	मतदाता सूची में अनुक्रमांक	प्रस्तावक का नाम	प्रस्तावक की जल उपभोक्ता संथा / वितरिका समिति का नाम तथा क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

नामनिर्देशन-पत्रों की जांच तारीख को अपरान्ह 12.30 बजे से अपरान्ह
1.00 बजे के मध्य (स्थान) में की जाएगी.

स्थान:

निर्वाचन अधिकारी या

तारीख:

अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

*प्ररूप 40

(नियम 19(5) देखिए)

जांच के पश्चात् वैध नामनिर्देशनों की सूची

परियोजना समिति का नाम

.....परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति का

निर्वाचन

आबंटित अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	उस जल उपभोक्ता संथा / वितरिका समिति का नाम तथा क्रमांक जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है (3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 41

(नियम 20(1) देखिए)

अभ्यर्थी द्वारा दी गई अभ्यर्थिता वापसी की सूचना

..... परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति का निर्वाचन

मैं, उपर्युक्त निर्वाचन में विधिमान्य रूप से नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी, एतद्वारा, सूचना देता हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूँ.

स्थान :

.....

तारीख :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

यह सूचना मुझे मेरे कार्यालय में श्री (नाम) द्वारा तारीख को (समय) पर दी गई।

तारीख:

.....

निर्वाचन अधिकारी

नाम वापसी की सूचना के लिये पावती

(सूचना देने वाले व्यक्ति को सौंपे जाने के लिये)

..... परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति के पद निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी श्री द्वारा मुझे अपनी अभ्यर्थिता की वापसी हेतु यह सूचना मेरे कार्यालय में द्वारा (तारीख) को (समय) पर दी गई।

तारीख :

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 42

(नियम 20 (2) देखिए)

अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी को प्रज्ञापित करने वाली सूचना

..... परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति हेतु निर्वाचन

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	वह तारीख जिसको नाम वापसी की सूचना परिदत्त की गई (3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

स्थान :

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 43

(नियम 21(1) देखिए)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

..... परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति के लिए निर्वाचन

अनुक्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

स्थान:

तारीख:

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 44

(नियम 78 देखिए)

मतपत्र

..... परियोजना समिति
प्रबंध समिति के सभापति के लिये मतपत्र

मतदाता का अनुक्रमांक

पंजीयन क्रमांक

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

..... परियोजना समिति
प्रबंध समिति के सभापति के लिये मतपत्र

पंजीयन क्रमांक

पंजीयन क्रमांक

अभ्यर्थी का नाम

हिन्दी में वर्णक्रमानुसार

खाने में दिए गये स्थान में सिर्फ एक नाम के सामने (✓) चिन्ह लगाएं

1. नाम
2. नाम
3. नाम
4. नाम
5. नाम
6. नाम

1. परियोजना समिति का नाम
2. मतदान की तारीख
3. मतदान का स्थान

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 45

(नियम 79 देखिए)

निर्वाचन नियमों के नियम 73 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

निर्वाचन नियम के नियम 73 के अनुसरण में, मैं यह घोषणा करता हूँ कि परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति के पद के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों को सम्यक् रूप से निर्वाचित किया जाता है।

नाम :

पता :

स्थान :

तारीख :

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-46
(नियम 17(1)(ख))
(मूल प्रति)
नकद प्राप्ति

अनुक्रमांक तारीख

श्री/श्रीमती/कु०.....
(जल उपभोक्ता संथा का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का पूरा नाम)

पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ग्राम

तहसील (जिला) से पद के

(अभिलेखानुसार जल उपभोक्ता संथा/वित्तिका समिति/परियोजना समिति का पूरा नाम)

निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन शुल्क के रूप मेंरूपए (रूपएमात्र)
प्राप्त किए।

हस्ताक्षर
(निर्वाचन अधिकारी)

रूपए

(सुधार, यदि कोई हों, निर्वाचन अधिकारी से प्रमाणित करवाए जाएंगे)
.....कृपया यहां से काटें.....

प्ररूप-46

(द्वितीय प्रति)
नकद प्राप्ति

अनुक्रमांक तारीख

श्री/श्रीमती/कु०.....
(जल उपभोक्ता संथा का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का पूरा नाम)

पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ग्राम

तहसील (जिला) से पद के

(अभिलेखानुसार जल उपभोक्ता संथा/वित्तिका समिति/परियोजना समिति का पूरा नाम)

निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन शुल्क के रूप मेंरूपए (रूपएमात्र)
प्राप्त किए।

हस्ताक्षर
(निर्वाचन अधिकारी)

रूपए

(सुधार, यदि कोई हों, निर्वाचन अधिकारी से प्रमाणित करवाए जाएंगे)

प्ररूप 47
(नियम 58,59,73 देखिए)

कृषक संगठन में आकस्मिक रिक्तियों की घोषणा

मध्यप्रदेश कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 2014 के *नियम 58 *नियम 59 *नियम 73 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए:-

मैं निर्वाचन अधिकारी (कृषक संगठन का नाम) निम्नलिखित पद या पदों के आकस्मिक रूप से रिक्त होने की घोषणा करता हूँ क्योंकि निम्नलिखित कृषक संगठन की प्रबंध समिति के सदस्य अपने संबंधित कार्यकारिणी की विशेष बैठक में दिनांक..... को निम्न कारणों से निर्वाचन करने में असफल रहे हैं।

(क) *कोरम पूरा न होने पर (जल उपभोक्ता संथा, वितरिका समिति और परियोजना समिति के निर्वाचनों के लिए लागू)

(ख) *सदस्यों में आम सहमति के न बनने पर।

(ग) *किसी भी सदस्य के उपस्थित न होने कारण।

(घ) *केवल एक सदस्य के उपस्थित होने पर।

(ङ) *जल उपभोक्ता संथा/वितरिका समिति/परियोजना समिति के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के पचास प्रतिशत से कम होने पर।

(च) पद का नाम

(एक) (दो)

कृषक संगठन का नाम

ग्राम..... तहसील.....

जिला

हस्ताक्षर

स्थान

पूरा नाम

तारीख / / 20

(स्वच्छ अक्षरों में) (निर्वाचन अधिकारी)

*जो लागू न हों उसे काट दें

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम.एस.धाकड़)
सचिव.

भोपाल, दिनांक...1.....दिसम्बर 2014

क्रमांक 809/2014/म/31 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 809/2014/म/31 दिनांक 1 दिसम्बर, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(एम.एस.धाकड़)
सचिव.

Bhopal, the 1 December, 2014

No. 809/2014/म/31 In exercise of the powers conferred by section 43 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), the State Government, hereby, makes the following rules for the elections of Farmers' Organization in Madhya Pradesh, namely:-

RULES CHAPTER-I

1. **Short title, application and Commencement.**-(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Farmers' Organization Election Rules, 2014.
 - (2) These Rules shall apply to such water users' Association who have completed their term of election and shall not apply to such water users' Associations whose term of election has not expired at the commencement of these rules.
 - (3) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
2. **Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means The Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999);
 - (b) "competent authority " means the Authority appointed under section 21 of the Act;
 - (c) "District Election Officer" means the Collector of the District to conduct the election under these rules;

- (d) "forms" means the Forms appended to these rules;
- (e) "Returning Officer" means an officer appointed by the District Election Officer;
- (f) "voter list" means the list prepared under sub-rule (1) of rule 4 of the Madhya Pradesh Farmers' Organisation Constitution Rules, 1999.

CHAPTER-II

3. **Administrative Machinery for the Conduct of elections.-** (1) The Commissioner of a revenue division appointed under Section 33 of the Act shall be Divisional Election Authority for the purpose of conducting elections within their respective jurisdiction.
- (2) The elections of members of Territorial Constituency of the Water Users' Association and President/ Chairperson of the Farmers' Organisation shall be conducted under the superintendence, direction, control of the District Election Authority.
- (3) The District Collector shall be the District Election Authority. The functions of the Divisional Election Authority under these rules may also be performed by the District Election Authority within his jurisdictions, as may be authorized by Divisional Election Authority.
- (4) The Additional Collector of the District shall be the Additional District Election Authority. The Tehsildar or the Sub-divisional Officer (Revenue), as the case may be, in the district shall be the Deputy District Election Authority.
- (5) The Additional District Election Authority and the Deputy District Election Authority shall perform such of those functions, as may be assigned to them by the District Election Authority. The District Election Authority may authorize in writing, the Additional District Election Officer or the Deputy Election Authority to exercise in any local area in the District in regard to any Water Users' Association, the Distributory Committee or the Project Committee in that area any of the powers vested in him under these rules.
4. **Conduct of elections.-** Subject to the general superintendence, direction and control of the Divisional Election Authority, the district Election Authority shall be responsible for the conduct, co-ordination and supervisory of all

works in connection with the conduct of elections of the members of the Territorial Constituencies, President of Water Users' Association, Distributory Committee and the Chairperson of the Project Committee.

5. **Appointment of an Election Officer.-** For every election to fill the seats of member of Territorial Constituency, President of Water Users' Association and the Distributory Committee, and for the office of the Chairperson of the Project Committee, the District Election Authority shall designate or nominate by order an officer as an Election Officer, who shall be as far as possible be a Gazetted Officer of the State Government or of a local authority not below the rank of a Tehsildar.

6. **Appointment of Assistant Election Officer.-** The District Election Authority may appoint one or more persons as Assistant Election Officers to assist any Election Officer:

Provided that every such person shall be an officer of the State Government or of a local authority.

7. **Functions of an Assistant Election Officer.-** Every Assistant Election Officer shall subject to the control of the Election Officer, be competent to perform all or any of the functions of the Election Officer:

Provided that no Assistant Election Officer shall perform any functions of the Election Officer, which relate to the scrutiny of nominations papers unless the Election Officer is unavoidably prevented from performing the said functions.

8. **General duty of an Election Officer.-** It shall be the general duty of the Election Officer at any election to do all such acts and things as may be necessary for conducting the election in the manner provided under the Act and under these Rules or orders made thereunder.

9. **Arrangement of polling stations for elections.-** The District Election Authority shall, subject to such directions as may be issued by the Election Authority, provide as many polling stations as are necessary for the conduct of elections and shall in such manner as the Election Authority may direct a list

showing the polling stations and the areas or groups of voters for which they have been provided respectively.

10. **Appointment of Presiding Officer for polling station.-** (1) The District Election Authority or any officer authorized by him shall appoint a Presiding Officer for each polling station and such other polling officers as he thinks necessary but he shall not appoint any person who has been employed by or on behalf of, or has been otherwise working for a candidate in or about election:

Provided that if a polling officer is absent, the Presiding Officer may appoint any person who is present at the polling station other than a person who has been employed by or on behalf of, or has been otherwise working for a candidate in or about the election to be the Polling Officer and inform the Election Officer accordingly:

Provided further that the polling personnel appointed for the conduct of poll for member of the Territorial Constituencies of Water Users' Association, any other officer authorized by him in this behalf under this rule may also conduct the poll for any other elective office for which the election is conducted simultaneously.

- (2) A polling officer shall, if so directed the Presiding Officer, perform all or any of the functions of a presiding officer under these rules.
- (3) If a Presiding Officer owing to illness or due to unavoidable cause, absents from the polling station his functions, shall be performed by such Polling Officer, as has been authorized by the Election Officer to perform such function during any such absence.
- (4) It shall be the general duty of the Presiding Officer at the polling station to keep and maintain public order thereat, and to see that the poll is taken in a fair manner.

CHAPTER-III

ELECTION OF MEMBER OF THE TERRITORIAL CONSTITUENCY AND PRESIDENT OF WATER USERS' ASSOCIATION

11. Public Notice of Election- (1) The election shall be held for the purpose of constituting a Water Users' Association after the commencement of the Act and on the expiration of the term of the members of Territorial Constituencies of Water Users' Association or on vacancy in such office either by death, resignation or recall or disqualified, as the case may be.

(2) For the purpose of sub-rule (1) the Divisional Election Authority shall, subject to such directions as may be issued by the State Government in pursuance of and in consonance with the provisions of the Act in this behalf, publish a notice in Form-1, for conducting the election of the members of the Territorial Constituency of the Water Users' Association in accordance with the provisions of the Act, and rules and Orders made thereunder.

(3) The defaulter list shall be displayed 15 days in advance before the date of publication of this notice in Form-1.

Explanation.—'Defaulter' means a person who has not paid any sum due by him under the Madhya Pradesh Irrigation Act, 1931 (No. 3 of 1931) for a period of three years or more.

(4) On the issue of the notice under sub-rule (2), the Election Officer shall give public notice of the elections for members of Territorial Constituencies Water Users' Association, in Form-2 in Hindi language which shall be published at prominent places and in such manner as the Election Officer may direct.

(5) The dates fixed for the various stages of the election shall be, subject to the following conditions, namely:-

- (a) The last date for making nominations shall not be earlier than the fourth day and not later than the tenth day after the publication of the notice referred to in sub-rule (2), whether or not it is a public holiday;
- (b) The date for the scrutiny of nominations shall be the day immediately following the last date for making nominations whether or not it is a public holiday;
- (c) The last date and time for withdrawal of the candidature shall not be later than 3.00 p.m. of the third day succeeding the day appointed for scrutiny of the nominations, whether or not it is a public holiday;

- (d) The date or dates on a poll shall be taken, which or first of which shall be a date not earlier than the tenth day after the last date for withdrawal of the candidature;
- (e) The poll shall commence on the day fixed at 8.00 a.m. and shall be closed by 2.00 p.m. soon after the polling is over, counting shall commence and the results shall be declared on the same day.

12. Fixing the tenure of members of Territorial Constituencies at the time of first election.- In accordance to the proviso to sub-section (3) of section 4 of the Act the tenure of the members of Territorial Constituencies shall be fixed in a manner prescribed in rule 4A of Madhya Pradesh Farmers Organization Constitution Rules, 1999.

13. Restriction against holding more than one post in Water Users' Associations: There shall be a provision for restriction against holding more than one post under Rule 4 B of Madhya Pradesh Farmers Organization Constitution Rules, 1999.

14. Special Election Programme.— Notwithstanding anything contained in these rules, where the election process is interrupted or the election programme has to be altered on account of the orders of any Court of Law or for other valid reasons to be recorded in writing, it shall be competent for the Election Authority either generally or in respect of specified Water Users' Association to alter the election programme as he thinks fit, in the circumstances of the case without having regard to sub-rule (5) of rule 11 and the Election Officer shall give effect to the same :

Provided that where the election programme is re-notified under this rule commencing from the making of nominations, the nominations already made shall be disregarded and the deposits, if any, made under rule 17 shall be refunded.

15. Nomination of Candidates.—(1) Any person may be nominated as a candidate to fill the office of members of the Territorial Constituencies and President of Water Users' Association and Distributory Committee, Chairperson of Managing Committee of Project Committee, if he is qualified

to be chosen to fill the seat under the provisions of the Act. Every nomination paper shall be in Form-3, for Territorial Constituencies member, in Form 20 for President of Water Users' Association, in Form-29 for the Distributory Committee and in Form-38 for the Project committee and shall be presented on or before the date appointed, by the candidate or by his proposer in person in Form-3 for Territorial Constituencies member, in Form 20 for president of Water Users' Association, in Form-29 for the distributory Committee and in Form-38 for the Project Committee, between the hours specified (in sub-rule (5) of rule 11) duly signed by the candidate and by the proposer. The candidate shall sign the declaration on the nomination paper.

- (2) A candidate for the office of member of Territorial Constituencies or President of Water Users' Association, Distributory Committee and Chairperson of Project Committee and his proposer shall be such persons whose names are registered in the voters' list for that Particular Territorial Constituency of Water Users' Association, Distributory Committee or Project Committee respectively.
- (3) Each candidate shall be nominated on a separate nomination paper.
- (4) A candidate may be nominated by more than one proposer separately for the same elective office in a separate nomination form:

Provided that not more than four nominations shall be filed by or on behalf of a candidate.

16. Presentation of nomination paper and requirements of valid nomination.—(1) On or before the date appointed, each candidate either in person or, by his proposer deliver to the authorized election officer, during the time and the place specified in the notice issued under rule 11, a duly completed nomination paper in Form-3 and signed by the candidate and an eligible voter of the concerning Water Users' Association as proposer.

(2) On receiving nomination paper, the Election Officer shall forthwith number of the nomination paper serially in the order in which it is presented and give a receipt as provided in Form-3 for territorial constituency, in Form 20 for President of Water Users' Association, in Form-29 for the Distributory Committee and Form-38 for Project Committee and the election officer or such

other authorized person shall satisfied himself that the name and number of the candidate and his proposer, as entered in the nomination paper, are the same as those entered in the electoral roll. Whether necessary, he shall direct that the nomination form be amended so as to be in accordance with the electoral roll.

(3) The Election Officer may while interpreting an entry in the voters' list overlook the clerical or printing errors, only, but he shall record the interpretation adopted by him, together with the reasons thereof, while making the formal acceptance or rejection on scrutiny of a nomination.

17. (a) Security Deposit/Nomination fee-

(1) Any eligible candidate who is desirous of contesting for the post of the member of the Territorial Constituency, President of Water Users Association, President of Distributory Committee, Chairman of Project Committee shall pay a nomination fee as mentioned hereunder in the table and obtain the nomination form from the Election Officer concerned.

Explanation: The above fees prescribed for various posts in Farmers Organizations, are exclusive for that post and are independent of each other.

Table

(see rule 17) Table: Security Deposit/ Nomination fee in Farmer Organization		
	Posts in Farmers Organisation	Security Deposit/ Nomination Fees
(a)	Water Users Associations (Major, Medium and Minor Irrigation Systems) (i) Member of Territorial Constituency (ii) President	Rs. 200 (Rupees two hundred only) Rs. 300 (Rupees three hundred only)
(b)	Distributory Committees (Major Irrigation Systems) (i) President	Rs. 500 (Rupees five hundred only)
(c)	Project Committees (Medium Irrigation Systems) (i) Chairman	Rs. 1000 (Rupees one thousand only)
(d)	Project Committees (Major Irrigation Systems) (i) Chairman	Rs. 2000 (Rupees two thousand only)

Note:- All amounts to be received from the contesting candidates towards security deposit nomination fee shall compulsorily be in cash only and no cheque or demand draft etc, shall be accepted by the Election Officer.

(b) Receipt book

- (i) Method of Printing of receipt books.-
- (a) the receipt for acknowledgment the nomination fee shall be in Form-46 in duplicate.
- (b) each receipt book shall contain twenty original receipts and twenty duplicate receipts printed in A4 Size paper (two receipts per sheet) with continuous serial numbers for the district.
- (c) each receipt book shall also contain an abstract of collections, instructions to Election Officer and District Election Authority and also instructions for printing of receipt books along with details of nomination fee payable by the contesting candidates.
- (d) all the sheets shall be pinned/stitched in booklet form with printed cover page, as per model receipt book.
- (e) each receipt book shall contain book numbers i.e. with continuous serial numbers.
- (ii) Issue and use of receipt book.-
- (a) receipt book shall be issued in sufficient numbers to each Election Officer for every election in Farmers Organization. The Election Officer shall use the next receipt book only after completion of current receipt book.
- (b) Receipt book partly used in one election shall not be issued for another election.
- (c) No receipt shall be cancelled by the Election Officer, except in the case of any defects in printing:

Provided that where a candidate has been nominated in more than one nomination paper, not more than one security deposit shall be required to be made.

(2) Refund of Deposit/Nomination Fee.-

If no nomination paper is received within the time appointed in that behalf, in respect of any person by whom/or whose behalf the security deposit referred to in sub-rule (1) has been made or if the nomination of any such person is rejected, or if he withdraws his candidature in the manner and within the time specified in sub-rule (1) of rule 20, the security deposit shall be returned immediately to the person by whom it made and if any candidate dies before commencement of the poll, any such security deposit if made by him shall be returned to his legal representative, if not made by the candidate, shall be returned to the person by whom it was made.

- (3) If a candidate by whom or on whose behalf the security deposit referred to in sub-rule (1) has been made, is not elected and the number of valid votes polled to him does not exceed one eighth of the total number of valid votes polled by all the candidates, the security deposit shall be forfeited to the Government.
- (4) The security deposit made in respect of a candidate shall, if it is not forfeited under sub-rule (3) be returned to the candidate or to the person who has made the security deposit on his behalf, as the case may be, within thirty days after publication of the result of election in accordance with rule 54.
- (5) A security deposit required to be returned to any person under sub-rule (4) shall, if such person is dead, be returned to his legal representative.
- (6) Notwithstanding anything contained in this rule immediately after publication of the result of election, the Election Officer or the person authorised by the District Election Authority in this behalf, shall pass an order as to whether a security deposit made under sub-rule (1) shall be refunded or forfeited. The Competent Authority of the concerning Water Users' Association shall within thirty days from the date of publication of the result, return the security deposit to the person who made the security deposit or to his legal representative when such security deposit is refundable. In the case of forfeited of security deposit under sub-rule (2), the Election Officer shall communicate an order to the person concerned who made the security deposit by giving the reasons for such forfeiture.

- (7) The amounts received towards election security deposit etc., credited to the Water Users' Association / Distributory Committee /Project Committee, as the case may be, the fund shall be remitted to Government Account by the concerning Competent Authority after deducting any refunds made to the concerned person for any reason provided under these rule.
- 18. Publication of Nominations.**—Immediately after expiration of the time specified for receipt of the nomination papers on the date fixed for that purpose, the Election Officer or such other authorised person shall publish at his office in Hindi language a list in Form-4 for territorial constituency member, in Form 21 for President of for Water Users' Association, in Form-30 for Distributory Committee and in Form-39 for Project Committee of all the nominations received, with a notice that the nomination papers shall be taken up by the Election Officer for scrutiny at the specifying place, the date and time.
- 19. Scrutiny of Nomination Papers.**—(1) On the date appointed for scrutiny of the nominations, the candidates, the proposer of each candidate and one other person duly authorized in writing by each candidate, may attend at such time and place as may be specified under rule 18. No other person shall be entitled to be present. The Election Officer may, however, admit such other persons as he thinks fit to assist him. The Election Officer give such persons all reasonable facilities to examine the nomination papers of all the candidates.
- (2) The Election Officer shall then examine the nomination papers and shall decide on all the objections which may be made to any nomination and may either on such objection or on his own motion after summary enquiry as he thinks necessary, reject any nomination on any of the following grounds, namely :
- (a) that the candidate is disqualified for election as Member of Territorial Constituency, President of Water Users' Association/Distributory Committee, and Chairperson of Project Committee as the case may be, under Section 14 of the Act; or
- (b) that the name of the candidate or of his proposer or both is or are not registered in the voters' list; or

- (c) that the candidate or his proposer has failed to comply with any of the provisions of rule 15 or 17; or
- (d) that the signature or the thumb impression of the candidate or the proposer in the nomination paper is not genuine :

Provided that the Election Officer shall not reject any nomination paper on the ground of mere clerical or printing error or any defect which is not of a substantial character.

(3) The Election Officer shall endorse on each nomination paper, his decision, accepting or rejecting the same and, if the nomination paper is rejected, he shall record in writing brief statement of his reasons for such rejection. The scrutiny shall as far as practicable, be completed on the date appointed in this behalf under rule 18 and no adjournment of the proceedings shall ordinarily be permissible except to provide an opportunity to a candidate to rebut any contention raised against his candidature.

(4) For the purpose of this rule, a certified copy of an entry in the voters' list in force of a Territorial Constituencies/Water Users' Association/Distributory Committee/ Project Committee, as the case may be, shall be conclusive evidence of the fact that the person referred to in that entry is an elector for the Water Users Association/Distributory Committee/ Project Committee, unless it is proved that he is subject to any disqualification mentioned in the Act.

(5) Immediately after all the nomination papers have been scrutinized and the decision regarding accepting or rejecting the same have been recorded, the Election Officer shall prepare a list of validly nominated candidates, and affix it on the notice board of his office in Form 5 for territorial constituency member, in Form 22 for President of Water Users' Association, in Form 31 for Distributory Committee and in Form 40 for Project Committee as the case may be.

20. **Withdrawal of Candidature.**—(1) Any candidate may withdraw his candidature by notice in writing in Form 6 for territorial constituency member, in form 23 for President of Water Users' Association, in Form 32 for President

of Distributory Committee and in Form 41 for Chairperson of Project Committee, signed by him and delivered to the Election Officer either by such candidate in person or by his proposer or by his election agent at any time after the presentation of his nomination paper and not later than 3.00 p.m. of the third day succeeding the day appointed for scrutiny of the nominations in case of Territorial Constituency and between 1.00 p.m. to 1.30 p.m. of the same date in case of WUA Distributory Committee and Project Committee, whether or not it is public holiday. The Election Officer shall give a receipt for the same as provided in Form 6 for territorial constituency member, in Form 23 for President of Water Users Association, in Form 32 for President of Distributory Committee, in Form 41 for Chairperson of Project Committee on being satisfied as to the genuineness of the notice of withdrawal and the identity of the person delivering it.

(2) The Election Officer on receiving a notice of withdrawal under sub-rule (1) shall, as soon as may be, cause a notice of the withdrawal to be published in Form 7 for territorial constituency member, in Form 24 for President of Water Users' Association, in Form 33 for Distributory Committee and in Form 42 for Project Committee, as the case may be.

(3) A candidate who has withdrawn his candidature under sub-rule (1) shall not be allowed to cancel the withdrawal or to be re-nominated as a candidate for the same election.

21. **Publication of list of contesting candidates.** (1) Two days after scrutiny of the nominations, the Election Officer shall prepare in Hindi language a list in Form 8 for territorial constituency member, in form 25 for President of Water Users' Association, and on the same day in Form 34 for Distributory Committee and in Form 43 for Project Committee of persons whose nominations have not been rejected and who have not withdrawn their candidature and affix it on the notice board of his office.

(2) The list shall contain the names of the candidates in alphabetical order in Hindi and shall describe them as in their nomination paper and if poll is found to be necessary it shall also specify the distinctive symbols allotted to them under sub-rule (3).

(3) If a poll is found to be necessary, the Election Officer shall assign to each candidate subject to such directions as may be issued by the Divisional Election Authority in that behalf, a distinctive symbol,

(4) In every case where a symbol is assigned to a candidate under sub-rule (3) such candidate or his election agent shall be informed forthwith regarding the symbol so assigned and be supplied with a specimen thereof by the election officer.

22. Declaration of Result of Uncontested Candidate—(1) If number of contesting candidates is more than one, poll shall be conducted.

(2) If there is only one validly nominated candidate, the Election Officer shall forthwith declare such candidate as duly elected in Form 9 for member of Territorial Constituting President of Water Users' Association, in Form 27 for President of W.U.A. in Form 36 for Distributory Committee and in Form 45 for Project Committee and send the same to the Divisional Election Authority and the District Election Authority.

23. Death of Candidate Before poll.- If a contesting candidate dies and a report of his death is received before commencement of the poll, the Election Officer shall after being satisfied of the fact of the death of the candidate, countermand the poll and election proceedings shall be started afresh in all respects as if it is a new election:

Provided that no fresh nomination, shall be necessary in the case a candidate who stood validly nominated at the time of countermanding of the poll:

Provided further that no person who has given a notice of withdrawal of his candidature under rule 20 before the countermanding of the poll, shall be ineligible for being nominated as a candidate for the election of after such countermanding.

24. Appointment of agents.-(1) (a) A candidate at an election to the member of Territorial Constituencies of a Water Users Association, may appoint any one person to be his election agent. Such appointment shall be given in Form 10 by forwarding the same in duplicate to the Election Officer who shall return one

copy thereof to the election agent after affixing therein his seal and signature in token of his approval of the appointment.

- (b) An election agent may perform such functions in connection with the election as are authorized by or under these rules to be performed by an election agent.
- (2) (a) The number of polling agents that may be appointed by a contesting candidate of his election agent, shall, in respect of each polling station, be one agent and a relief agent.
- (b) Every such appointment shall be made in Form 11 and shall be handed over to the polling agent for production at the polling station.
- (c) No polling agent shall be admitted into the polling station unless he has delivered to the Presiding Officer the instrument of the appointment under sub-rule (2) after duly completing and signing. Before the Presiding Officer the declaration contained thereon.
- (d) A polling agent may perform such functions in connection with the poll are authorized by or under these rules.
- (3) (a) Each candidate may appoint such number of counting agents at the place or places fixed for counting as may be specified by the District Election Authority.
- (b) Every such appointment shall be made in Form 12 in duplicate, one copy of which shall be forwarded to the Election Officer while the other copy shall be made over to the counting agent for production before the Election Officer not later than one hour before the time fixed for counting.
- (c) A counting agent may perform such functions in connection with counting of votes as are authorized by or under these rules.
- (4) (a) At every election where a poll is taken, each contesting candidate at such election and his election agent shall have a right to be present at any polling station.

(b) A contesting candidate himself or his election agent may do any act of thing which any polling agent or the counting agent of such contesting candidate if appointed, would have been authorized by or under these rules so to do, or may assist any polling agent or counting agent or such contesting candidate in doing any such act or thing.

(5) Where any act or thing is required or authorised by or under these rules to be done in the presence of the polling or counting agents, the non attendance of any such agent or agents at the time and place appointed for the purpose shall not, if the act of thing is otherwise duly done, invalidate the act or thing done.

25. Voting.— (1) If poll has to be taken, the Election Officer shall appoint forthwith one or more presiding officers at each polling station and may pay the remuneration as fixed by the Government for their services. The Election Officer shall provided for each Presiding Officer such number of Polling Officers as may be necessary and also if necessary appoint one or more identifying officers to assist the presiding Officer in identifying the electors.

(2) The Presiding Officer shall see that the election is fairly conducted and to that end keep order at the polling station to regulate the number of electors to be admitted at one time, and shall exclude all persons other than,-

- (a) the candidates, and at each booth one polling agent at a time of each candidate appointed in writing by the candidate.
- (b) the police or other public servants on duty;
- (c) Polling officers and such persons as the presiding officers may from time to time admit for the purpose of identifying electors;
- (d) persons authorised by Government;
- (e) a child in arms accompanying an elector; and
- (f) a person accompanying a blind or infirm elector who cannot move without help

(3) Where a woman elector cannot be identified by the identifying officers appointed under sub-rule (1) by reason of her observing purda, she may be

required to be identified by any of her near relatives unless she otherwise satisfied the Presiding Officer of her identity.

Explanation: If any question arises as to whether a person is or is not a near relative within the meaning of this sub-rule be decided by the Presiding Officer and his decision shall be final.

26. Right to vote. — All electors voting shall vote in person at the polling station as provided under the rules.

27. Arrangements of polling station — (1) Outside each polling station there shall be displayed prominently-

- (a) a notice specifying the polling area, the serial number of electors in relevant voters' list who are entitled to vote at the polling station and when the polling area has more than one polling station, the particulars of the electors so entitled;
- (b) copy of the list of contesting candidates with the serial numbers and the symbols assigned to them; and
- (c) each of the polling station shall contain one compartment in which electors are to cast their votes.

Note : the polling station should be able to accommodate voters by the Divisional Election Authority.

(2) There shall be one ballot box in the polling booths for the member of the Territorial Constituency of Water Users' Association

(3) The Election Officer shall provide at each polling station sufficient number of ballot boxes, together with copies of the electoral roll or such part thereof, may as contain the names of the electors entitled to vote at the station, and such other papers, and articles necessary for electors to mark the ballot papers, stationery and forms as may be necessary.

28. Preparation of ballot boxes.—(1) Where a paper seal is used for securing a ballot box, the Presiding Officer shall affix his own signature on the paper seal and obtain thereon the signature of such candidates their election agents or the polling agents present as are desirous of affixing the same.

- (2) The Presiding officer shall thereafter fix the paper seal so signed in the space meant therefore in the ballot box and shall secure and seal the box in such manner that the slit for the insertion of ballot paper therein remains open.
- (3) The seals used for securing a ballot box shall be affixed in such manner that after the box has been closed it is not possible to open it without breaking the seal.
- (4) Where it is not necessary to use paper seals or securing the ballot boxes, the Presiding Officer shall secure and seal the ballot box in such manner that the slit for the insertion of ballot papers remains open and shall allow the polling agents present to affix, if they so desire, their seals.
- (5) Every ballot box used at a polling station shall bear label both inside and outside marked with-
 - (a) the description of the polling station;
 - (b) the serial number of the ballot box (to be filled in at the one of the polls on the label outside the ballot box only); and
 - (c) the date of poll.
- (6) Immediately before the commencement of the poll the Presiding officer shall demonstrate to the polling agents and other persons present that the ballot box is empty and bears the labels referred to in sub-rule(5).
- (7) The ballot box shall be closed, sealed and secured and placed in full view of the Presiding Officer and polling agents.
- (8) Immediately before commencement of the poll, the Presiding Officer shall demonstrate to the polling agents and other present the marked copy or, as the case may be, marked copies of the voters' list to be used during the poll.
29. **Form of ballot paper.**—(1) Every ballot paper shall have a counterfoil attached and the said ballot paper and the counterfoil shall be in such form as the Divisional Election Authority may, by order, direct.
 - (2) Every ballot paper shall, before issue to an elector, be
 - (a) Stamped or shall be written on its back such of the details as may be specified by the Divisional Election Authority;
 - (b) Name and number of the polling station;

- (c) Name of the Water User Association and number of Territorial Constituencies;
- (d) signed in full on its back by the Presiding Officer.

30. **Issue of Ballot Papers.**—(1) Immediately before any ballot paper is issued to an elector the Presiding Officer shall-

- (a) call upon the number, name and description of the elector as stated in the voter list, and
- (b) record on its counterfoil the voters' list number of the elector as entered in the marked copy of the voters' list and obtain the signature or the thumb impression of the elector on the said counterfoil:

Provided that no ballot paper shall be delivered to an elector unless he has put his signature or thumb impression on the counter-foil of that ballot paper.

- (2) The Presiding Officer or Polling Officer, as the case may be, shall underline the entry relating to the elector in the marked copy of the voters' list with him in every case and where the elector is a female shall put a (√) mark also on the left hand side of the name of the female elector.
- (3) The Presiding Officer or Polling Officer, as the case may be, shall apply the indelible mark on the rid between the skin and the root of the nail of left-hand forefinger to him.
- (4) No person in the polling station shall note down the serial numbers of the ballot papers issued to any elector.

31. **Maintenance of Secrecy of voting by Electors and Voting Procedure.**—(1) Every elector to whom a ballot paper has been issued under rule 30 or under any other provisions of these rules shall maintain secrecy of voting within the polling station and for that purpose observe the voting procedure hereafter laid down.

- (2) The elector on receiving the ballot paper shall forthwith-
 - (a) proceed to the voting compartment,

- (b) make a mark on the ballot paper with the instrument supplied for the purpose on or near the symbol allotted to the candidate for whom he intends to vote,
 - (c) fold the ballot paper vertically first and thereafter horizontally so as to conceal vote,
 - (d) insert the folded ballot paper into the specified ballot box; and
 - (e) leave the polling station by the exit provided.
- (3) Every elector shall vote without undue delay.
 - (4) No elector shall be allowed to enter a voting compartment when another elector is inside it.
 - (5) If an elector to whom a ballot paper has been issued refuses, after warning given by Presiding Officer to observe the procedure laid shown in sub-rule (2) the ballot paper issued to him shall, whether he has recorded his vote thereon or not, be taken back from him by the Presiding Officer or Polling Officer under the direction of the Presiding Officer.
 - (6) After the ballot paper has been taken back, the Presiding Officer shall record on its back the word "Cancelled voting procedure violated" and put his signature below these words and all such papers shall be kept in a separate cover which shall bear on its face the words "Ballot papers-voting procedure violated".
 - (7) Without prejudice to any other penalty to which an elector, from whom a ballot paper has been taken back under sub-rule (5), may be liable and the vote, if any recorded on such ballot paper shall not be counted.
- 32. Blind and Infirm Voters.**—(1) If owing to blindness or other physical infirmity an elector is unable to recognize the symbols on the ballot paper or to make thereon, the Presiding Officer shall record the vote on the ballot paper in accordance with the wishes of the elector, fold it so as to conceal the vote and insert it into the ballot-box.

- (2) While acting under this rule, the Presiding Officer shall observe secrecy and shall keep a brief record of each such instances but shall not indicate therein the manner in which any vote has been given.
33. **Facilities to Women Electors.**—Special facilities in accordance with the instructions, if any, issued by Divisional Election Authority in that behalf may be accorded to women elector.
34. **Identification of Electors.**— When a person presents himself to vote and at any time before a ballot paper is supplied to him, the Presiding Officer may of his own accord and shall, if so required by a candidate or his polling agent, put to such person either one or both of the following questions,-
- (i) Are you the person enrolled as follows (reading the whole entry from the roll)?
- (ii) Have you already at the present election at this polling station or at any other polling station? And the person shall not be supplied with a ballot paper unless he gives an unqualified answer to the question or questions put to him/her in the affirmative to the first and in the negative to the second or such questions except as mentioned herein, every person whose name is found on the voters' list shall be entitled to be supplied with a ballot paper.
35. **Tendered Votes.**—(1) If a person representing himself to be particular elector, applies for a ballot paper after another person has already voted as such elector, he shall, on satisfactorily answering such questions relating to his identity as the Presiding Officer may ask, be entitled, subject to the following provisions to mark ballot paper (hereinafter in these rules referred to as a "Tendered Ballot Paper") in the same manner as any other elector.
- (2) Every such person, shall before being supplied with a tendered ballot paper, sign his name against entry relating to him in a list in Form-13.
- (3) A tendered ballot paper shall be the same as the ballot paper used at the polling except that shall be-
- (a) taken serially from the bottom of the bundle of ballot papers issued for use at the polling stations in successive cases; and

- (b) endorsed on the back with the words "Tendered Ballot Paper" by the Presiding Officer in his hand and signed by him.
- (4) The elector, after making a tendered ballot paper in the voting compartment and folding it, shall instead of putting it into the ballot box, give it to the Presiding Officer, who shall place it in a cover specifically kept for the purpose.

36. Challenging of Identity.--(1) Any polling agent may challenge the identity of a person claiming to be a particular elector by first depositing a sum of Ten rupees in cash with the Presiding Officer for each such challenge.

- (2) On such a deposit being made, the Presiding Officer shall, —
 - (a) warn the person challenged of the penalty impression;
 - (b) read the relevant in the voters' list in full and ask him whether he is the person referred to in the entry;
 - (c) enter his name and address in the list of challenger votes in form-14; and
 - (d) require him to put his signature or thumb impression in the list.
- (3) The Presiding Officer shall thereafter hold a summary inquiry into the challenge and may for that purpose.-
 - (a) require the challenger to produce evidence' in proof of the challenge and the person challenged to produce evidence in proof of his identity;
 - (b) put the person challenged any question necessary for the purpose of establishing his identity and enquire him to answer them on oath; and
 - (c) administer on oath to the challenger and any, other person offering to give evidence.
- (4) If after the enquiry the Presiding Officer considers that the challenge has not been established, he shall allow the person, challenged to vote and if he considers that the challenge has been established, he shall debar the person challenged from voting.

(5) If the Presiding Officer is of the opinion that the challenge is frivolous or has not been made in good faith, he shall direct that the deposit made under sub-rule (1) be forfeited to the Government and in any other case he shall return it to the challenger at the conclusion of the inquiry.

37. Safeguards against Impersonation.—(1) Every. Elector about whose identity the Presiding Officer or the Polling Officer, as the case may be, is satisfied shall allow his left forefinger to be inspected by the Presiding Officer or polling Officer and an indelible ink mark to be put on it.

(2) Any reference in this rule to the left forefinger of an elector shall in case where the elector has his left forefinger missing be construed as a reference to any other finger of his left hand and shall, in case where all the fingers of his left hand are missing, be construed as a reference to the forefingers or any other finger of his right hand, and shall in case where all his fingers of both hands are missing, be construed as a reference in such extremity of his left or right arms as he possesses.

(3) The Presiding Officer shall be at liberty to refuse to deliver ballot paper to any person for voting at the polling station if at the time such person applies for a ballot paper has already an indelible ink mark referred in sub-rule (1) and (2). -

38. Spoilt and Returned ballot Papers.—(1) An elector who has inadvertently dealt with his ballot may, be delivering it to the Presiding Officer and on satisfying him of the inadvertence, be given another ballot paper and the ballot paper so returned and the counterfoil of, such ballot paper shall be marked as "Spoilt Cancelled" by the Presiding Officer.

(2) If an elector after obtaining a ballot paper decides not to use it, he shall return it to the Presiding Officer and the ballot paper so returned and the counterfoil of such ballot paper shall be marked as "Returned Cancelled" by the Presiding Officer.

(3) All ballot paper cancelled under sub-rule (1) and sub-rule (2) shall be kept in a separate packet.

39. Closing of poll and sealing of Ballot Boxes and covers after poll.-(1) The Presiding Officer shall close the polling station at the hour appointed for closing under clause (e) of sub-rule (5) of rule 11 and shall not thereafter admit any elector into a polling station :

Provided that all elector present at the polling station before it is closed shall be allowed to cast their votes.

- (2) If any question arises whether an elector was present at the polling station before it was closed it shall be decided by the Presiding Officer and his decision thereon shall be final.
- (3) The Presiding Officer of each polling station as soon as practicable after the close of the poll shall close the slit of ballot box and where the box does not contain any mechanical devise for closing the slit, he shall seal up the slit and also allow any polling agent present to affix his seal. The ballot box shall thereafter be sealed and secured.
- (4) Where it becomes necessary to use a second ballot box by reason of the first ballot box getting full, the first box shall be closed, sealed and secured as provided in sub-rule (3) before another ballot box is put into use.
- (5) The foregoing provisions of this rule shall not apply to a Presiding Officer of a polling station to whom Divisional Election Authority has issued a direction asking him to proceed in accordance with sub-rule (6).
- (6) At any such polling station as may be specified under sub-rule (5) as soon as practicable, after the close of poll, the Presiding Officer shall-
 - (a) transfer all the ballot papers, contained in the ballot boxes used at that polling station, without examining or counting them and due regard to the secrecy of the ballot, into a cloth bag or cloth lined cover after demonstrating to the polling agents present that the bag or cover is empty; and
 - (b) allow the polling agent present to inspect each ballot box and demonstrate to them that it has been emptied.

- (7) The Presiding Officer of each polling station, as soon as practicable after the close of the poll, shall in the presence of any candidate or polling agents who may be present make up the following into separate packets and seal with his own seal and the seals of such candidates or agents as may decide to affix their seals
- (i) the tendered ballot papers;
 - (ii) the unused ballot papers;
 - (iii) the spoilt and returned ballot papers;
 - (iv) the marked copy of the electoral roll;
 - (v) the tendered voters' list;
 - (vi) the list of challenged votes with the statement or statements mentioned in sub-rule (2) of rule 36;
 - (vii) counterfoils of used ballot papers; and
 - (viii) the ballot papers cancelled for violation of voting procedure under rule 31.
- (8) Each packet shall be numbered and shall bear a note as to its contents, description of the election and the polling stations. Where no vote has been recorded at any polling station, the Presiding Officer shall submit a 'Nil' report together with the statement in Form-15.
- 40. Account of Ballot Papers, Ballot Boxes, packet etc.**-(1) the packets shall be accompanied by a statement in a separate cover in Form-15, made by the Presiding Officer showing the number of ballot papers, in the ballot boxes and unused, spoilt, returned and tendered ballot papers. The Presiding Officer shall deliver or cause to be delivered to the election Officer at such place as the Election Officer may direct,-
- (a) the ballot boxes or, as the case may be, the bags or covers referred to in rule 30;
 - (b) the ballot paper account or accounts;
 - (c) sealed packets or sets of sealed packets referred to in rule 39;

- (d) all other papers used at the poll.
- (2) The Election Officer shall make adequate arrangements for the safe transport of all ballot boxes, packets and other papers and for their safe custody until commencement of the counting of votes.
- 41. Scrutiny of opening of ballot boxes and counting of votes-**(1) (a) The counting of votes shall commence on the day and at the place and hour appointed in this behalf.
- (b) the Election Officer shall at least three days before the date or the first of the dates, fixed for the poll appoint the place or places where the counting of votes will be done and the date and time at which the counting will commence and shall give notice of the same in writing to each candidate or his election agent:
- Provided that, if for any reason the election officer finds it necessary to do so, he may alter the date, time and place or places so fixed, or any of them, after giving notice of the same in writing to each candidate or his election agent.
- (c) votes shall be counted by or under the supervision of the Election Officer. The Election Officer shall appoint such number of counting assistants as may be necessary to assist him in counting of votes.
- (d) each candidate, election agent of each candidate, and one representative of each candidate authorised in writing by the candidate shall have a right to be present except such person or persons as Election Officer may appoint to assist him in counting votes. No person shall be appointed to assist in counting the votes, who has been employed by or on behalf of any candidate or any person whatsoever connected with the election of a candidate.
- (2) (a) the Election Officer shall open, or cause to be opened, simultaneously the ballot box or boxes used at more than one polling station and shall have the total number of ballot papers found in such box or boxes counted and recorded in Part II of Ballot Paper Account in Form-15;

- (b) Discrepancy, if any, between the total number of such ballot papers recorded as aforesaid and the total number of ballot papers issued to voters as shown in item 3 of Part I of the Form-15 minus the number of ballot papers cancelled as shown in item 4 thereof and the number of papers as shown in item 5 thereof, shall also be recorded in Part II of Form-15;
 - (c) Before any ballot box is opened for counting of votes the counting agents presents thereat shall be allowed to inspect the paper seal or such other seal as might have been affixed thereon and to satisfy themselves that the ballot box is intact;
 - (d) The Election Officer shall satisfy himself that none of the ballot boxes has in fact been tampered with in any way;
 - (e) If the Election Officer is satisfied that any ballot box has in fact been tempered with, he shall not count the ballot papers contained in that box and shall follow the procedure laid in rule 46 in respect of that polling station.
- (3) The Election Officer shall, as far as practicable, precede continuously, with the counting of votes, and shall, during any necessary intervals during which the counting has to be suspended. Ballot papers, packets and other documents relating to the election under his own seal and seals of such candidates or agents as may desire to affix them and shall cause adequate precautions to be taken for their safe custody.
- 42. Admission to the place fixed for counting.**—The Presiding Officer shall exclude from the place fixed for counting of votes all persons except-
- (a) such persons to be known as counting supervisors and-counting assistants as he may appoint to assist him in the counting;
 - (b) persons authorised by the Government;
 - (c) public servants on duty in connection with the election; and
 - (d) candidates, their election agents and one representative of each candidate appointed in writing by the candidates as counting agents.

- 43. Rejection of ballot papers.**—(1) Subject to such general or special directions, if any, as may be given by the Divisional Election Authority in this behalf, the ballot papers shall be counted polling station wise.
- (2) the election officer shall reject a ballot paper;
 - (a) if it bears any mark of writing by which the elector can be identified; or
 - (b) if it bears no mark at all to indicate the vote, it bears a mark elsewhere thereon or near the symbol of one of the candidates on the face of the ballot paper or, it bears a mark made otherthan with the instrument supplied to the purpose; or
 - (c) if votes are given on it is favour of more than one candidate; or
 - (d) if the mark indicating the vote thereon is placed in such manner as to make it doubtful as to which candidate the vote has been given, or
 - (e) if it is a spurious ballot paper; or
 - (f) if it is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established; or
 - (g) if it bears a serial number or is of a design, different from the serial numbers or, as the case may be, design of the ballot papers authorised for use at the particular polling station; or
 - (h) if it does not bear both the distinguishing mark and the signature which it should have borne under the provisions of sub-rule (2) of rule 29:

Provided that where the Election Officer is satisfied that any such defect as is mentioned in clause (g) or clause (h) has been caused by any mistake or failure on the part of a Presiding Officer or Polling Officer the ballot paper shall not be rejected merely by the reason of such defect:

Provided further that a ballot paper shall not be rejected merely on the ground that the mark indicating the vote is indistinct or made more than once, if the intention that the vote shall be given for a particular candidate clearly appears from the way the paper is marked.

- (3) Before rejecting and ballot paper under sub-rule (1), the Election Officer shall allow each counting agent present a reasonable opportunity to inspect the ballot paper but shall not allow him to handle it or any other ballot paper.
- (4) The Election Officer shall endorse on every ballot paper which he rejects the word "Rejected" and the grounds of rejection in abbreviated form either in his own hand or by means of a rubber stamp and shall initial such endorsement.
- (5) All ballot papers rejected under this rule shall be bundled together.
- (6) Every ballot paper which is not rejected under this Rule shall counted as one valid vote:

Provided that no cover containing tendered ballot papers shall be opened and no such paper shall be counted.

- (7) After counting of all ballot papers contained in all the ballot boxes used in a Water Users' Association have been completed, the Election Officer shall make the entries in a result sheet in Form 16, and announce the particulars.
 - (8) The decision of the Election Officer as to the validity of a ballot paper shall be final subject to security only.
- 44. Recount of votes.--**(1) After such announcement has been made under sub-rule (7) of rule 43, a candidate or, in his absence, his election agent or any of his counting agents may apply in writing to the Election Officer for recounting of the votes either wholly or in part stating the grounds on which he demands such recount.
- (2) On such an application being made the Election Officer shall decide the matter and may allow the application in whole or in part or may reject in wholly if it appears to him, to be frivolous or unreasonable.
 - (3) Every decision of the Election Officer under sub-rule (2) shall be in writing and contain the reason thereof.
 - (4) If the Election Officer decide under sub-rule (2) to allow a recount of the votes either wholly or in part he shall -
 - (a) arrange for the recounting in accordance with Rule 42 and 43;

- (b) amend the result sheet in Form 16 to the extent necessary after such recount; and
- (c) announce the amendments so made by him.
- (5) After the total number of votes polled by each candidate has been announced under sub-rule (4), the Election Officer shall complete and sign the Result Sheet in Form 16 and no application for a further or second recount shall be entertained thereafter.
45. **Equality of votes.**—If, after the counting of the votes is completed an equality of votes is found to exist between any candidates and the addition of one vote will lead to any of those candidates being declared elected, the Election Officer shall forthwith decide between those candidates by lot, and proceed as if the candidate on whom the lot falls had received the additional vote.
46. **Disturbances at the time of counting of votes.**—(1) If at any time before the counting of votes is completed and ballot papers used at a polling station or at a place fixed for the poll are unlawfully taken out of the custody of the Election Officer or are accidentally or intentionally destroyed or lost or are damaged or tampered with, to such an extent that the result of the poll at that polling station or place can not be ascertained, the Election Officer forthwith report the matter to the Divisional Election Authority.
- (2) Thereupon, the Divisional Election Authority after taking all material, circumstances in to account, either -
- (a) direct that the counting of votes shall be stopped, declare the poll at that polling station or place to be void, appoint a day, and fix the hours for taking a fresh poll at that polling station or place and notify the date so appointed and hours so fixed in such manner as he, may deem fit; or
- (b) if satisfied that the result of a fresh poll at that polling station or place shall not, in any way, affect the result of the election, issue such directions to the Election Officer as may deem proper for the resumption and completion of the election and for further conduct and completion of the election in relation to which the votes have been counted.

- (3) The provisions of these rules and any rules or orders made thereunder shall apply to any and every such fresh poll as they apply to the original poll.
47. **Sealing of used ballot papers.**—The valid ballot papers of each candidate and the rejected ballot papers shall thereafter be bundled separately and the several bundles made up into a separate packet which, shall be sealed with the seals of the Election Officer and of such of the candidates, their election agents or counting agents as may desire to affix their seals, thereon, and on the packets be sealed shall be recorded the following particulars namely-
- (a) the number of the polling station, number of ward/name of Water User Association / Janpad Panchayat; and
- (b) the date of counting.
48. **Transfer of ballot papers to cloth bags.**—The provisions of Rules 42, 43 and 47 shall apply so far as may be in relation to counting of ballot papers and votes, which have been transferred from ballot boxes to cloth bags or cloth lined covers under sub-rule (6) of Rule 39:
- Provided that every reference in the said rules to a ballot box, shall be construed as a reference to a bag or cover to which the contents of a ballot box have been transferred.
49. **Counting of votes in case of fresh poll.**—(1) If a fresh poll is held under sub-rule (7) of Rule 54, the Election Officer shall after completion of the poll recommence the counting of votes on the date and at the time and place which have been fixed by him- in that behalf and for which notice has been previously given to the candidates or their election agents.
- (2) The provisions of rules 40 and 47, shall apply so far as may be to such, further counting.
50. **Declaration of Result.**—(1) The Election Officer shall, subject to the provisions of rule 45, in so far as they apply to any particular case;
- (a) declare in Form 17 the candidate to whom the largest number of valid votes have been given (to be elected under Rule 43 and send signed

copies thereof to the Divisional Election Authority and the District Election Authority; and

(b) complete the entries of the result of election in Form 16 and send signed copies thereof to the Divisional Election Authority and the District Election Authority.

(2) Copies of result sheet in Form 16 shall be supplied to the contesting candidates on payment of fee as charged for supply of certified copies of other Government records, copies of Form 17 shall also be supplied to the contesting candidate on payment of rupees ten for each copy. The District Election Authority or Election Officer on receipt of an application shall issue the certified copies referred to above.

51. Grant of Election Certificate—As soon as may be, after a candidate has been declared by the Election Officer under rule 22 or as the case may be under rule 52, to be elected, the Election Officer shall grant such candidate a certificate of election in Form 18, and obtain from the candidate an acknowledgement of its receipt duly signed by him and immediately send the acknowledgement by a registered post to the District Election Authority under intimation to the Divisional Election Authority.

52. Publication of Results:—The Election Officer shall publish on the notice Board in the office of the Water Users' Association concerned a notification signed by him, stating the name of the candidate duly elected.

53. Disposal of ballot papers. (1) The Divisional Election Officer shall, after declaring the results forward a copy of the return of the competent authority concerned and shall hand-over to the officer authorised by the Election Authority the packets of ballot papers, whether counted, rejected or tendered. These packets shall not be opened and their contents shall not be inspected or produced except under the orders of an authority competent to decide election disputes.

(2) The Officer so authorised shall return packets and the marked copies of the voters' list for a year and shall then, unless otherwise directed by the

orders of an authority competent to decide election disputes, cause them to be destroyed.

- 54. Adjournment of poll in emergencies.**—(1) Where the proceedings at any polling station are seriously interrupted or obstructed by any riot or open violence or other wise or where a large number of electors are unable to attend the poll at a polling station by reason of an Act of God, such as flood or fire, the Presiding Officer shall stop the poll, pending receipt of the orders of the District Election Authority. The fact that the poll has been so stopped shall be immediately announced by the Presiding Officer to the persons present at the polling stations.
- (2) Where a presiding Officer stops a poll under sub-rule (1), he shall observe the procedure laid down in Rules 39 and 40 and forthwith make a full report of the circumstances to the Election Officer, who shall forward the same expeditiously with his remarks thereon, if any to the Division Election Authority.
- (3) The Divisional Election Authority shall thereupon order-
- (a) that the poll continued at the polling station for the number of hours for which it was not held on the previous occasion provided that not more than 50% of the voters have cast their votes; or
- (b) that the proceedings at the poll held at the polling station on the previous occasion be ignored and that a fresh poll be held at such polling station for the full number of hours for which it should have been held on the previous occasion; and
- (c) any order passed by the Divisional Election Authority under this sub-rule shall be final.
- (4) An order passed under sub-rule (3), the particular shall contain-
- (i) the date on which, and the hours between which the continuation poll or the fresh-poll, the case may be as, shall be held; and
- (ii) the date on which and the place and hour at which the Election Officer, will commence the counting of votes under rule 49; and

- (iii) be given wide publicity in the polling area concerned by the Election Officer, in such manner as the District Election Authority may direct, announcing the date, place and hour of polling fixed under clause (i).
- (5) (a) where an order is passed under clause (a) of sub-rule (3) for the continuation of the poll, the Election Officer shall proceed afresh under sub-rule (1) of rule-25 and return to the Presiding Officer appointment under that sub-rule all the packets received by him under sub-rule (2) of this rule.
- (b) the Presiding Officer shall open the packets just before commencement of the continuation poll in the presence of such persons as may present at the polling station and commence such poll precisely at the hour fixed therefore in the order passed by the Divisional Election Authority under clause (a) of sub-rule (3).
- (c) at the continuation poll, the Presiding Officer shall allow only such electors to vote as did not vote in the previous occasion.
- (d) the Election Officer shall not count votes cast at such election until such continuation poll or fresh poll has been completed.
- (e) the Election Officer shall provide the Presiding Officer of the polling station, at which such continuation poll is held with the sealed packet containing the marked copy of the electoral roll, ballot-boxes and such-other material required for the poll.
- (6) Where an order is passed under clause (b) of sub-rule (3) for holding a fresh poll the Election Officer shall proceed afresh under sub-rule (1) of Rule 25 and a fresh poll shall be held at the polling station concerned in accordance with the provisions of these rules in all respects as if, it is being held at such polling station for the first time.

Explanation.- There shall be no fresh nominations in case falling under this sub-rule.

- (7) Notwithstanding anything contained in this rule, if a candidate dies at any time before orders are passed by the Divisional Election Authority under sub-rule (3) or at any time after the passing of such orders but before commencement of the continuation poll, as the case may be, the Election Officer shall upon being

satisfied of the fact of the death of the candidate intimate such fact to the Divisional Election Authority, stop all further proceedings in connection with the election and start election proceedings afresh in all respects as if for a new election:

Provided that no fresh nomination shall be necessary in the case of the remaining candidates who stood nominated at the time when the poll was stopped.

55. **Filling up of-casual vacancies.**— Any casual vacancy of Member of Territorial Constituencies of a Water Users' Association shall be filled up with in a period of thirty days from the date of occurrence of such vacancy on issue of a notification by the Divisional Election Authority following the provisions of these rules and orders made thereunder.
56. **Power of Government in certain cases.**- If any question arises to the interpretation of these rules otherwise than in connection with an enquiry held under these rules for the decision of disputes as to the validity of an election or in removing any difficulty in giving effect to the provisions of the Act, the question shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.
57. **Power of Election Officer to fix dates etc, in certain cases**— Notwithstanding anything in these foregoing provisions of these rules, the Government or the Divisional Election Authority may, before the filing of nominations in the case of any Water Users' Association, in particular empower the Election Officer to fix dates and period other than those specified or fixed by or under these rules for all or any of the stages of the election proceedings connected therewith.

CHAPTER-IV

58. Election of the President of the managing committee of water Users Association

- (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the election of the members specified in sub-section (5) of section 4 of the Act, shall be held in the office of

the notified Janpad Panchayat at a special meeting of the members of the Managing Committee of the Water Users Association specified in sub-section (1) of section 4 thereof the Election Officer shall be the Collector or any Gazetted officer of the Government authorised by the District Election Authority.

- (2) There shall be a managing Committee for every Water Users Association consisting of all Territorial members of the Water Users Association.
- (3) Special meeting of members of the Territorial Constituencies of Water Users Association shall be held by the Election Officer to elect the President in case fifty percent of total Territorial Constituency posts are filled up.
- (4) The elected members of Territorial Constituencies shall be present at the venue of election within 7 days as directed by the Election Officer, after the declaration of the results of Territorial Constituency members of the Water Users Association for electing the President a manner as prescribed below.-
 - (a) the Election Officer shall display the voters' list for the purpose of the election, and exhibit it on the notice board of the Janpad Panchayat along with the notice for election.
 - (b) the notice of election giving the date, place and time of the election in Form 19 shall be displayed in Hindi language and sent to the members of the Managing Committee of Water Users Association specified in sub-section (1) of section 4 of the Act atleast two clear days in advance of the date of election of the members under sub-section (5) of section 4 of the Act, by-the Election Officer
 - (c) The election shall be by secret ballot and shall conclude on a single day. The Programme shall be as follows:
 - (i) Receipt of Nominations- 11.00 A. M. to 12.00 Noon
 - (ii) Scrutiny of nominations 12:30 P.M. to 1.00 P.M.
and publication of final list of nominations
 - (iii) Withdrawal of nominations 1.00 P.M. to 1.30 P.M.
 - (iv) Publication of final list of contestants 2.00 P.M.
 - (v) Elections in the event of contest 3.00 P.M. to 5.00 P.M.
 - (vi) Counting and declaration of results- Immediately after the poll:

Provided that the procedure for filling of nominations shall be according to rules 15 to 21.

- (d) If the number of contesting candidates is more than one, poll shall be conducted. If there is only one validly nominated candidate, the Election Officer shall forthwith declare such candidate as duly elected in Form 27 and send the same to the Divisional Election Authority and the District Election Authority;
 - (e) Even if some of the elected members of Territorial Constituencies are not present at the venue by the appointed time, the election to the posts of President shall be held with the members present, as per schedule;
 - (f) If none of the members of Territorial Constituencies turns up at the appointed time or only one member of Territorial Constituency turns up, the Election Officer shall wait at the venue for 30 minutes and if there is no change in the situation, the Election Officer shall declare the posts of President as casual vacancies until the elections are held for these posts under Section 15 of the Act and record in Form 47 and same shall be submitted to District Election Authority. If the Territorial Constituency posts filled by election are less than fifty percent of the total posts, the same procedure shall be followed.
 - (g) Till such time, necessary transitional arrangements shall be made or if such arrangements are already in existence, the same may be continued as per Section 34 of the Act;
 - (h) If the members of Territorial Constituencies, though present in the special meeting fail to elect the President within the scheduled time, the same procedure as mentioned under sub-clause (f) shall be followed.
- (5) In the event of the contest, ballot papers shall be prepared in Form 26 containing names of the contesting candidates in Hindi language in alphabetical order, for the post of President of the Water User Association and the election shall be conducted as directed by the Divisional Election Authority.
- (6) At the end of the poll, the Election Officer shall arrange forthwith the counting of votes polled for the contesting candidates for President of the Managing

Committee and declare the candidates as elected in Form 27, and the candidate who secured the highest number of votes polled, for the post of President, as elected to the post of President of that Water Users Association.

- (7) In the event of equality of votes between the two candidates, the Election Officer shall draw lots in the presence of the members and the candidate whose name is first drawn shall be declared to have been duly elected.
- (8) Immediately after the declaration of the result of the election, the Election officer shall prepare a record of the proceedings of the meeting and sign it attesting with his initials every correction made therein and shall also have the said record of proceedings attested by a majority of the number of members who participated in the meeting. He shall also publish on the notice board of the Janpad Panchayat a notice signed by him stating the name of the person elected as a President of the Water Users' Association as specified under subsection (5) of section 4 of the Act and send a copy of such notice of the District Election Authority concerned and the Divisional Election Authority. A copy of this notice shall also be given to the candidate who is declared elected as president of Water User Association.
- (9) Notwithstanding anything contained in these rules, Election Officer may for sufficient reason to be recorded in writing, direct from time to time, the alteration of the date of the special meeting convened under rule 58 and inform the District Election Authority and Divisional Election Authority.

Chapter - V

59. **Election of President of the distributory committee-** Notwithstanding anything contained in these rules, the election of the president specified in sub-section (2) of section 6 of the Act, shall be held in the office of the notified Janpad Panchayat at a special meeting of the members of the Distributory Committee specified in sub-section (3) of section 5 thereof The Election Officer shall be the Collector or any Gazetted officer of the Government authorised by the District Election Authority.

60. There shall be a Managing Committee for every Distributory Committee consisting of all members of the General Body of Distributory Committee.

61. **Holding of elections.-**

(1) Elections shall be held in a special meeting for the purpose of constituting Distributory Committees and on expiration of the term of the Distributory Committees or on vacation of such office or offices either by death, resignation, recall or for any other reasons.

(2) The quorum for the meeting shall be as described below,-

(a) No meeting for the conduct of election to the post of the President of a Distributory Committee shall be held, unless there shall be present at the meeting at least one-half of the total members of the Distributory Committee, who are entitled to vote at the election;

Explanation: Where the strength of the members of the Managing Committee of the Distributory Committee is an odd number, for the purpose of reckoning the fifty percent strength, it shall be rounded off to the next higher number.

(b) If the required quorum is not achieved for the first special meeting to elect the President of the Distributory Committee or if members present failed to elect the President though the quorum is achieved, a second and final meeting shall be held after a clear gap of **five days** from the date of the first meeting;

(c) If the required quorum is not achieved even in the second and final meeting also or if the members present failed to elect the President though the quorum is achieved, the Election Officer shall declare the posts of President as casual vacancies until the elections are held for these posts under Section 15 of the Act and record in Form-47 and the same shall be submitted to the District Election Authority;

(d) Till such time, necessary transitional arrangements shall be made or if such arrangements are already in existence, the same may be continued as per section 34 of the Act.

62. The Election Officer shall display the voters' list for the purpose of the election, and exhibit it on the notice board of the Janpad Panchayat along with the notice for election.
63. The notice of election giving the date, place and time of the election in Form 19 shall be displayed in Hindi language and sent to the members of the Distributory Committee specified in sub-section (3) of section 5 of the Act atleast two clear days in advance of the date of election of the members under sub-section (2) of section 6 of the Act, by the Election Officer.
64. The election shall be by secret ballot and shall conclude on a single day. The Programme shall be as follows:
- | | | |
|-------|--|---------------------------|
| (i) | Receipt of Nominations- | 11.00 A. M. to 12.00 Noon |
| (ii) | Scrutiny of nominations
and publication of final
list of nominations | 12:30 P.M. to 1.00 P.M. |
| (iii) | Withdrawal of nominations | 1.00 P.M. to 1.30 P.M. |
| (iv) | Publication of final list
of contestants | 2.00 P.M. |
| (v) | Elections in the event of
contest | 3.00 P.M. to 5.00 P.M. |
| (vi) | Counting and declaration of results- Immediately after the poll: | |

Provided that the procedure for filling of nominations shall be according to rules 15 to 21.

65. If the number of contesting candidates is more than one, poll shall be conducted. If there is only one validly nominated candidate, the Election Officer shall forthwith declare such candidate as duly elected in Form 36 and send the same to the Divisional Election Authority and the District Election Authority.
66. In the event of the contest, ballot papers shall be prepared in Form 35 containing names of the contesting candidates in Hindi language in alphabetical order, for the post of President and the election shall be conducted as directed by the Divisional Election Authority.

67. At the end of the poll, the Election Officer shall arrange forthwith the counting of votes polled for the contesting candidates for President of the Managing Committee and declare the candidates as elected in Form 36 and the candidate who secured the highest number of votes polled for the post of president, as elected to the post of President of that Distributory Committee.
68. In the event of equality of votes between the two candidates, the Election Officer shall draw lots in the presence of the members and the candidate whose name is first drawn shall be declared to have been duly elected.
69. Immediately after the declaration of the result of the election, the Election officer shall prepare a record of the proceedings of the meeting and sign it attesting with his initials every correction made therein and shall also have the said record of proceedings attested by a majority of the number of members who participated in the meeting. He shall also publish on the notice board of the Janpad Panchayat a notice signed by him stating the name of the person elected as a President of the Distributory Committee as specified under subsection (2) of section 6 of the Act and send a copy of such notice of the District Election Authority concerned and the Divisional Election Authority. A copy of this notice shall also be given to the candidate who is declared elected as president of the Distributory Committee.
70. Notwithstanding anything contained in these rules, Election Officer may for sufficient reason to be recorded in writing, direct from time to time, the alteration of the date of the special meeting convened under rule 59 and inform the District Election Authority and Divisional Election Authority.

Chapter- VI

71. **Election of Chairperson of the Project Committee** — Notwithstanding anything contained in these rules, the election of the Chairpersons specified in clause (a) and (b) of sub-section (2) of section 8 of the Act, shall be held in the office of the notified Janpad Panchayat at a special meeting of the members of the Project Committee specified in sub-section (3) of section 7 thereof, the

Election Officer shall be the Collector or any Gazetted Officer of the Government authorised by the District Election Authority.

72. There shall be a Managing Committee, for every Project Committee, consisting of all members of General Body of Project Committee.

73. **Holding of elections.-**

(1) Elections shall be held in a special meeting for the purpose of constituting Project Committees and on expiration of the term of the Project Committees or on vacation of such office or offices either by death, resignation, recall or for any other reasons.

(2) The quorum for the meeting shall be as described below:

(a) No meeting for the conduct of election to the post of the Chairperson of a Project Committee shall be held, unless there shall be present at the meeting at least one-half of the total members of the Project Committee, who are entitled to vote at the election.

Explanation: Where the strength of the members of the Managing Committee of the Project Committee is an odd number, for the purpose of reckoning the fifty percent strength, it shall be rounded off to the next higher number.

(b) If the required quorum is not achieved for the first special meeting to elect the Chairperson of the Project Committee or if members present failed to elect the Chairperson though the quorum is achieved, a second and final meeting shall be held after a clear gap of **five days** from the date of the first meeting;

(c) If the required quorum is not achieved even in the second and final meeting also or if the members present failed to elect the Chairperson though the quorum is achieved, the Election Officer shall declare the posts of Chairperson as casual vacancies until the elections are held for these posts under Section 15 of the Act and record in Form-47 and the same shall be submitted to the District Election Authority;

(d) till such time, necessary transitional arrangements shall be made or if such arrangements are already in existence, the same may be continued as per section 34 of the Act.

74. The Election Officer shall display the voters' list for the purpose of election and exhibit it on the notice board of the Janpad Panchayat along with the notice for election.
75. The notice of election giving the date, place and time of the election shall be displayed in Form 37 in Hindi language and sent to the members of the Project Committee specified in sub-section (3) of section 7 of the Act atleast two clear days in advance of the date of election of the members under clause (a) and (b) of sub-section (2) of section 8 of the Act, by the Election Officer.
76. The election shall be by secret ballot and shall conclude on a single day. The programme shall be as follows;
- | | | |
|-------|--|-----------------------------|
| (i) | Receipt of Nominations- | 11.00 A. M. to 12.00 Noon |
| (ii) | Scrutiny of nominations
and publication of final
list of nominations | 12.30 P.M. to 1.00 P.M. |
| (iii) | Withdrawal of nominations | 1.00 P.M. to 1.30 P.M. |
| (iv) | Publication of final list of
contestants | 2.00 P.M. |
| (v) | Elections in the event of contest | 3.00 P.M. to 5.00 P.M. |
| (vi) | Counting and declaration of results | Immediately after the poll: |

Provided that the procedure for filling of nominations shall be according to rules 15 to 21 in Chapter-III of the Election rules.

77. If the number of contesting candidates is more than one, poll shall be conducted. If there is only one validly nominated candidate, the Election Officer shall forthwith declare such candidate as duly elected in Form 45 and send a copy to the Divisional Election Authority and the District Election Authority.
78. In the event of the contest, ballot papers shall be prepared in Form 44 containing names of the contesting candidates in Hindi language in alphabetical order, for the post of Chairperson of the managing Committee, and the election shall be conducted as specified by the divisional Election Authority.

79. At the end of the poll, the Election Officer shall arrange forthwith, the counting of votes polled for the contesting candidates for Chairperson of the Managing Committee and declare the candidates as elected in Form 45, and the candidate who secured the highest number of votes polled, for the post of Chairperson as elected to the post of Chairperson of that Project Committee.
80. In the event of equality of votes between the two candidates, the Election Officer shall draw lots in the presence of the members and the candidate whose name is first drawn shall be declared to have been duly elected.
81. Immediately after the declaration of the result of the election, the Election Officer shall prepare a record of the Proceedings of the meeting and sign it attesting with his initials every correction made therein and shall also have the said record of proceedings attested by a majority of the number of members who participated in the meeting. He shall also publish on the notice board of the Janpad Panchayat a notice signed by him stating the name of the person elected as Chairperson of the Project Committee as specified under sub-section (2) of section 8 of the Act and send a copy of such notice to the District Election Authority concerned and the Divisional Election Authority. A copy of this notice shall also be given to the candidate who is declared elected as Chairperson of the project committee.
82. Notwithstanding anything contained in these rules, the Election Officer may, for sufficient reasons to be recorded in writing, direct from time to time, the alteration of the date of the special meeting convened under rule 59 and inform the District Election Authority and Divisional Election Authority.

Chapter- VII

83. Manner, time limit and fee for filling of the election petition.-

Any person aggrieved by the result or procedure of election so adopted, may file an election petition, duly paying the fee thereof with in the time limit and to Officers as mentioned below:

- (i) Dispute regarding election of Water Users Association's President, and member of Territorial Constituency the petition shall be filed with Sub-Divisional Officer (Revenue).

- (ii) Dispute regarding election of Distributory Committee and Project Committees' President/Chairperson, the petition shall be filed with Collector (District Magistrate) of concerned District.
- (iii) From the date of declaration of polling result, a period of thirty days shall be reckoned to entertain the petition, failing which the petition shall not be entertained.
- (iv) For filing the said petition, a fee of Rs. 200/- shall be deposited by the appellant to the concerned Executive Engineer, Water Resources Department and thereafter this fee shall be remitted by Executive Engineer under the Head 0702-01 (Revenue Receipts), which shall not be refundable in any case and shall be deemed as forfeited.
- (v) The decision so awarded by the concerning officer, shall be final and binding on the petitioner and in case no appeal shall be entertained.
- (vi) In the event of completion of any election and declaration of election results, the time limit to file the election petition in all such cases as mentioned above, shall be thirty days from the date of declaration of election results:

Provided that any petition may be entertained after the prescribed period of thirty days if the petitioner satisfies the concerning officer that he had sufficient cause for not preferring the petition within such period and no petition shall be entertained beyond a period of six months from the date of declaration of election results.

84. **Repeal and saving.-** (1) The Madhya Pradesh Farmer's Organisation Election rule, 1999 which are in force before the commencement of these rules are hereby repealed:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Notwithstanding such repeal, as per the requirement of existing Water Users' Association whose term has not been expired on the commencement of these rules, it shall be deemed that the concerning provisions of repealed rules are in force.

FORM 1

[See Rule 11(2)]

Notice For The Election Of The Member Of
The Territorial Constituency..... Of The
Water Users' Association (S).....
in District.

It is hereby notified that the elections to the members of the Territorial Constituencies of the Water Users' Associations inDistrict shall be conducted as per the following:

- (i) Nomination papers shall be presented:
 - (a) on (date)
 - (b) Time..... between to hours
- (ii) Date of scrutiny of nomination papers
- (iii) Date of withdrawal of candidature
- (iv) Date of polling
- (v) Date of counting of votes by the Election Officer.
- (vi) Declaration and publication of results.

Divisional Election Authority / District Election Authority

FORM 2

[See Rule 11(4)]

Notice For The Election For Member Of The Territorial Constituency..... Of
TheWater Users Association

Notice is hereby given that-

- (1) An election to be held for election of the Member of the Territorial Constituency of the water Users Association.
- (2) Nomination papers may be delivered by a candidate or his proposer to the undersigned between 10.30 A.M. and 5.00 P.M. from to(date).

- (3) Forms of nomination papers may be obtained at the place and time aforesaid.
- (4) The nomination papers will be taken up for scrutiny at (place) on Date at(hrs)
- (5) Notice of withdrawal candidature may be delivered by a candidate or his proposer or his Election agent to the undersigned at office before 3.00 P.M. on the.....
- (6) In the event of election being contested the poll will be taken on..... between the 8.00 A.M. to 2.00 P.M.
- (7) Counting will commence after the Poll is over and results declared immediately thereafter.

ELECTION OFFICER

FORM 3

[See Rule 15(1)]

Water Users' Association'

NOMINATION PAPER

1. Name of the Office of the WUA.
2. Number of the territorial constituency.
3. Full name of the candidate
4. Father's or husband's name.
5. Serial number of candidate in the electoral roll
6. Age
7. Sex
8. Occupation and address
9. Full name of the proposer
10. Serial number of proposer in the electoral roll
11. Signature of the proposer;

Candidates' Declaration

I declare that I am eligible and willing to stand for election and my age as shown above is correct.

SIGNATURE OF THE CANDIDATE

The above declaration is solemnly affirmed before me (name of the officer in block letters) by..... who is personally known to me (who has been identified to my satisfaction-byof

Signature of village administrative officer or any other officer not below the rank of a mandal revenue officer (Endorsement by the Election Officer or other authorised person serial number):

This nomination paper was presented to me (person) at..... (date and hour).....

Signature of the election officer
or other authorised person

Decision of election officer accepting or rejecting the nomination paper.

I have explained this nomination paper in accordance with Rule 8 and decide as follows:

Election Officer

Date:

RECEIPT FOR NOMINATION PAPER AND NOTICE FOR SCRUTINY

(To be handed over to the person presenting the nomination paper)

Serial No. of Nomination PaperThe nomination Paper ofa candidate for election of the Member of the Territorial Constituency of the water user association , territorial constituency No..... was delivered to me at (hour) an date) by the

Candidate/Proposer.

All nomination papers will be taken up for scrutiny at (houron..... (date) at(Place).

Date:

SIGNATURE OF ELECTION OFFICER

FORM 4
(See Rule 18)

LIST OF NOMINATIONS FOR MEMBERS OF TERRITORIAL CONSTITUENCY

No..... RECEIVED ON (DATE)

OF.....WATER USERS ASSOCIATION

S. No. of Nomination paper	Name of the Candidate	Father's Name	Age	Occupation and Address	Voters List No. of Candidate	Name of the Proposer	Voters List No. of Proposer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

The nomination papers will be taken up for scrutiny at AM/PM.
on..... the dateat (Place)

Place

Date:

Signature of the election officer
or other authorised person

FORM 5

[See Rule 19(5)]

LIST OF VALIDLY NOMINATED CANDIDATES

Name of District

Number of territorial constituency of Water User's Association

Election to the member of the Territorial Constituency ofWater User
Association

S. No. Allotted	Name of the candidate	Address of the Candidate
(1)	(2)	(3)

1.

2.

3.

4.

Date:

Place:

Signature of Election officer

FORM 6

[See Rule 20 (1)]

NOTICE OF WITHDRAWAL

Election to the Member of Territorial Constituency No..... of Water
User Association.....

To,

The Election Officer,

I, a candidate validly nominated at the above election
do hereby give notice that I withdraw my candidature.

Place:

Date:

Signature of Candidate

This notice was delivered to my office at..... (Hours) on.....
..... (date) by (name) .

Date:

Signature of Election Officer

RECEIPT FOR NOTICE OF WITHDRAWAL

(to be-handed over to the person delivering the notice)

This notice of withdrawal of candidature by..... a candidate at the election to
the Member of the Territorial Constituency. of WUA..... as delivered to
me by the at my office at (hours) on date.

Date:

Signature of Election officer

FORM 7

[See Rule 20 (2)]

NOTICE OF WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

Election to the Member of the Territorial Constituency No.....of
WUA.....

Notice is hereby given that the following validly nominated candidate/
candidates at the above election withdraws/withdraw his candidature/their candidature
today.

S. No.	Name of the candidate	Symbol Allotted
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		

Date:

Place:

Signature of Election officer

FORM 8

[See Rule 21(1)]

NOTICE OF CONTESTING CANDIDATE

**Election to the Member of the Territorial Constituency No.....of
WUA.....**

S. No. Allotted	Name of the candidate	Address of the Candidate
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		

Date:

Place:

Signature of Election officer

FORM 9

[See Rule 22 (2)]

**DECLARATION OF THE RESULTS OF ELECTION UNDER RULE 22(2) OF
THE ELECTION RULES**

In accordance with rule 22 (2) of the Election rules, I declare that the following candidate has been duly elected for the Member of the Territorial Constituency No.....of Water Users Association

Name

Address

Place:

Date:

Signature of Election Officer

FORM 10

[See Rule 24(1) (a)]

APPOINTMENT OF ELECTION AGENT

(To be submitted in two copies)

Election to the Member of the Territorial Constituency No.....of
WUA.....

To,

The Election Officer,

I a candidate at the above election for the post of the member of Territorial Constituency of Water User Association do hereby appoint of my election agent from this day at the above election.

Place:

Date:

Signature of Candidate

I accept the above appointment

Signature of Election Agent

I, hereby accept and approve the above appointment.

Place:

Date:

Signature of the Election Officer

FORM 11

[See Rule 24(2) (b)]

APPOINTMENT OF POLLING AGENT

**Election to the Member of the Territorial Constituency No.....of
Water User's Association.....**

I, a candidate/ the election agent of
..... who is a candidate at the above election do hereby appoint
..... as a Polling Agent to attend polling station No.
..... fixed for the poll at

Signature of candidate election agent

I, hereby accept and approve the above appointment.

Place:

Date:

Signature of Election Officer

FORM 12

[See Rule 24(3)(b)]

APPOINTMENT OF COUNTING AGENT

(To be submitted in duplicate)

Election to the Member of the Territorial Constituency No.....of WUA

To,

The Election Officer,

I, a candidate the election agent of
..... who is a candidate at the above election do hereby appoint the
following persons as may counting agent to attend the counting of votes at
.....

Name of the counting Agent	Address of the counting Agents
1.	
2.	
3.	

Signature of candidate election agent

I/We agree to act as such counting agents.

Signature of the agent

Place:

Date:

Signature of Election Officer

FORM 13

[See Rule 35 (2)]

LIST OF TENDERED BALLOT PAPERS

Polling station No Territorial Constituency No.
 WUA Election to the Member of
 the Territorial Constituency of the WUA.

S.No.	Name of the Elector	No. in the Voters List / Section No. Name of WUA	Serial No. of Tendered Ballot Paper	Signature of Elector or thumb impression of person tendering vote	Serial No. of Ballot paper issued to the person who has already voted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Place:

Date:

Signature of Presiding Officer

FORM 14

[See Rule 36 (2)(c)]

LIST OF CHALLENGED VOTES

Polling station No. Territorial Constituency No.
 WUA Election to the Member of
 the Territorial Constituency of the WUA.

S.No.	No. in the Voters List/Section No. Name of WUA	Name of the Elector	Signature or thumb impression of the person challenged and his address	Name of challenger	Signature or thumb impression of identifier, if any	Order of the Polling Officer	Signature of challenger on receiving refund of deposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Place:

Date:

Signature of Presiding Officer

FORM 15

[See Rule 40 (1)]

PART-I

BALLOT PAPER ACCOUNT

Election to the Member of the Territorial Constituency of WUA

No. and name of the polling station

Territory Consistency No.

WUA

S.Nos. Total No.

From To

1. Ballot papers received
2. Ballot papers unused
(i.e. not issued to voters)
 - (a) with the signature of polling Officer
 - (b) without the signature of Polling Officer

Total* (A+B)

3. * Ballot papers used at the Polling station (1-2=3)

4. Ballot papers used at the Polling stations but not inserted into the Ballot Box.)
 - (a) Ballot papers cancelled for violation of voting procedure under rule 22.
 - (b) Ballot papers cancelled for other reasons.
 - (c) Ballot papers used as tendered ballot papers.

Total* (A+B+C)

5. * Ballot papers to be found in the ballot box

(3 - 4 = 5)

* Strike Numbers need not be given.

Signature of the Presiding Officer

Part - II

RESULT OF COUNTING

S.No.	Name of Candidate	Name of Valid Votes Cast
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

II. Rejected Ballot Papers

III. Total

Whether the total number of ballot papers shown against item No. III above tally with the total shown against item No. 5 of Part-I or any discrepancy noticed between these two totals

Place :

Date:

Signature of Counting Supervisor

Place:

Date:

Signature of Election Officer.

* Strike of the words which are not applicable.

FORM 16

[See Rule 44 (5) and 50 (1) (b)]

FINAL RESULT SHEET

(To be used for recording the result of voting at Polling Station)

**Election to the Member of the Territorial Constituency No.....of
the WUA.....**

S.No.	Polling station No.	Name of valid votes cast in favour of				Total No. of valid votes	Total No. of rejected votes	Total	No. of Tendered Votes
		A	B	C	D				

Total No of votes recorded at Polling Stations.

Number of votes recorded on Postal Ballot Papers.

Place:

Date:

Signature of Election Officer.

FORM 17

[See Rule 50(1) (a)]

(For use in election when the seat is contested)

DECLARATION OF RESULT OF ELECTION UNDER RULE 52

In accordance with rule 52 of the Madhya Pradesh Farmers' Organisation Election Rules, 2014. I declare that the following candidates has been duly elected to the Member of the Territorial Constituency No.....of the WUA.....

Member, Territorial Constituency of WUA.....

Name

Address

.....

Signature of Election Officer.

Strike off the words which are not applicable.

Form 18

(See Rule 51)

CERTIFICATE OF ELECTION

I, election Officer for the Water User Association certify that on the (day) of 20 I have declared Shri to have duly elected to the Member of the Territorial Constituency No.....of the WUA..... and that in token thereof, I have granted to him this certificate of election.

.....

Signature of Election Officer

Seal

FORM 19

(See Rule 58(4)(b), 63)

**NOTICE OF ELECTION FOR THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE
MANAGING COMMITTEE OF**

WATER USERS ASSOCIATION OF IRRIGATION SYSTEM.....

Notice is hereby given that -

1. An election will be held for electing the President of the Managing Committee ofWater Users Association Irrigation system on (Date).
2. Nomination papers may be delivered or filed by a candidate or his proposer or file before the undersigned between 11.00 A.M. and 12.00 Noon on (date) at (Place).
3. Forms of nomination papers may be obtained from the undersigned one hour before the time specified for filling as aforesaid.
4. The nomination papers will be taken up for scrutiny at (place) of Date between 12.00 P.M. to 1.00 P.M.
5. Notice of withdraw of candidature may be delivered by a candidate or his proposer to undersigned between 1.00 P.M. to 1.30 P.M. on theat
6. In the event of election being held, the poll will be taken on (Date) between the 15.00 Hrs. and 17.00 Hrs.
7. Counting will commence after the poll is over, and the results declared immediately thereafter.

Place:

Date:

Signature of Election Officer

FORM 20

[See Rule 15 (1)]

WATER USERS ASSOCIATION.....

Nomination Paper

1. Name of the Office:
President of the Managing Committee of Water User Association.....
2. Number of the Territorial Constituency for which he is elected as Member
3. Full name including surname of the candidate:
4. Father's or Husband's name:
5. Age:
6. Sex:
7. (a) Occupation :
(b) Address Permanent :
Address Temporary :
8. Full name of the proposer :
9. Territorial Constituency for which he is declared as Member:
10. signature of the Proposer : (Name in Capital Letters)
Date

Candidate's Declaration

I declare that I am eligible and willing to stand for election.

.....
Signature of the Candidate

(Name in Capital Letters)

This nomination paper was presented to me by -----
(person) atDate and Hour......
Signature of the Election Officer

or other Authorised Person.

The nomination papers will be taken up for scrutiny between 12.30 P.M. to 1.00 P.M,
on the date
at (place)

Place

Date :

Signature of Election Officer
or other authorised person.

FORM 22

(See Rule 19 (5))

LIST OF VALID NOMINATIONS AFTER SCRUTINY

Name of the Water Users Association
Election of President of the Managing Committee of
..... Water Users Association

S.No. Allotted	Name of Candidate	Number of the Territorial Constituency he represents
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Place:

Date :

Signature of Election Officer

Form 23

[See Rule 20 (1)]

Notice of withdrawal given by the candidate

**Election of President of the
managing committee of Water Users Association.....**

I, being a candidate validly nominated at the above
election do hereby give notice that I withdraw my candidature.

Place:

Date:

Signature of the candidate

This notice was delivered to me at my office at
 (hours) on (date) by
 (name)

Date:

Signature of Election Officer

RECEIPT FOR NOTICE OF WITHDRAWAL

(to be handed over to the person delivering the notice)

This notice of withdrawal of candidature by..... a candidate at the election
 President of Managing Committee of WUA..... as delivered to me by the
 at my office at (hours) on date.

Date:

Signature of Election officer

Form 24

[See Rule 20 (2)]

NOTICE INTIMATING THE WITHDRAWAL MADE BY THE CANDIDATE

**Election of the office of the President of the managing
 committee of Water Users Association.....**

S.No.	Name of the candidate	Date of which withdrawal notice delivered
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Place:

Date :

Signature of Election Officer

Form 25

[See Rule 21 (1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATE

**Election of the President of the managing
committee of Water Users Association.....**

S.No. (1)	Name of the Candidate (2)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Place:

Date :

Signature of Election Officer

Form 26

[See Rule 58(5)]

BALLOT PAPER..... **Water Users Association****Ballot paper for President of the Managing Committee**

S.No. of the Voter

R. No.

Signature / Thumb Impression

..... Water Users Association

Ballot Paper for President of the Managing Committee

R. No.

R.No.

name of the Candidate in Hindi
in Alphabetical Order.

Put (✓) mark against one name only
in the box space provided.

1. Name

2. Name

- | | | |
|----|------|--------------------------|
| 3. | Name | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Name | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Name | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Name | <input type="checkbox"/> |
-

1. Name of Water Users Association
2. Date of poll
3. Place of Poll

.....
Signature of the Election Officer

Form 27

(See Rule 58(4)(d))

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION

In accordance with rule 58 (6) I declare that the following candidate(s) has / have been duly elected for the office of the President of WATER USERS ASSOCIATION

Name:

Address:

Place:

Date:

Signature of Election Officer

Form 28

(See Rule 75)

**NOTICE OF ELECTION FOR THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE
MANAGING COMMITTEE OF**

DISTRUBUTORY COMMITTEE OF IRRIGATION SYSTEM

Notice is hereby given that -

1. An election will be held for electing the President of the Managing Committee of Distributory Committee Irrigation System on (date).

2. Nomination papers may be delivered or filed by a candidate or his proposer or file before the undersigned between 11.00 A.M. and 12.00 Noon on (date) at (Place).
3. Forms of nomination papers may be obtained from the undersigned one hour before the time specified for filling as aforesaid.
4. The nomination papers will be taken up for scrutiny at (place) of Date between 12.00 PM to 1.00 PM.
5. Notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his proposer to undersigned between 1.00 PM to 1.30 PM on the at
6. In the event of election being held, the poll will be taken on (Date) between the 15.00 Hrs. and 17.00 Hrs.
7. Counting will commence after the poll is over, and the results declared immediately thereafter.

Place:

Date:

Signature of Election Officer

Form 29
(See Rule 15(1))

DISTRUBUTORY COMMITTEE.....

Nomination Paper

1. Name of the Office :
 - a) President of the Managing Committee
2. Name of the Water Users Association for which he is elected as President.....
3. Full name including surname of the candidate.....
4. Father's or Husband's Name:
5. Age :
6. Sex:
7. (a) Occupation:
- (b) Address permanent :
- Address Temporary:

8. Full name of the proposer:
9. Water Users Association for which he is declared as President
10. Signature of the Proposer:

(Name in Capital Letters)

Date

Candidate's Declaration

I declare that I am eligible and willing to stand for election.

.....
Signature of the candidate
(name in capital letters)

This nomination paper was presented to me by

..... (person) at Date and Hour.

.....
Signature of the Election officer
or other authorised person

Decision of Election Officer accepting or rejecting the nomination paper.

I have examined this nomination paper and decode as follows:

.....

Date:

Signature of Election Officer.

RECEIPT FOR NOMINATION PAPER AND NOTICE FOR SCRUTINY

(To be handed to the person presenting the nomination paper)

Serial No. of Nomination paper The nomination paper of a candidate for Election of President of the Managing Committee of the DISTRUBUTORY COMMITTEE was delivered to me at (hour) on (date) by the Candidate / proposer.

All nomination papers will be taken up for scrutiny at (hours) on (date) at (place).

Date:

Signature of Election Officer

Form 30

(See Rule 18)

List of nominations received on (Date) for
the office of the President of the managing committee of

DISTRUBUTORY COMMITTEE

S.No. of Nomination paper	Name of the Candidate	Father's Name	Name of WUA	Occupation and address	S. No. in Voters List	Name of the Proposer	Name of WUA of the proposer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

The nomination papers will be taken up for scrutiny between 12.30 P.M. to 1.00 P.M,
on the..... date
at (place)

Place

Date :

Signature of Election Officer
or other authorised person.

Form 31

(See Rule 19(5))

List of valid nominations after scrutiny

Name of Distributory Committee

Election of President of the Managing Committee of
..... Distributory Committee

S.No. Allotted	Name of Candidate	Name of the Distributor Committee he represents
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		

4.		
5.		

Place:

Date : Signature of Election Officer

Form 32

[See Rule 20(1)]

Notice of Withdrawal Given by the Candidate

Election of President of the Managing Committee of Distributory Committee

I, being a candidate validly nominated at the above election do hereby give notice that I withdraw my candidature.

Place:

Date: Signature of the Candidate

This notice was delivered to me at my office at
 (hours) on (date) by
 (name)

Date:

Election Officer

RECEIPT FOR NOTICE OF WITHDRAWAL

(to be handed over to the person delivering the notice)

This notice of withdrawal of candidature by..... a candidate at the election of President of Managing Committee of the Distributory Committee of..... Project as delivered to me at..... my office at (hours) on date.

Date:

Signature of Election officer

Form 33

(See Rule 20(2))

NOTICE INTIMATION THE WITHDRAWAL MADE BY THE CANDIDATE

Election of office of the President of Managing Committee of Distributory Committee

S.No. (1)	Name of Candidate (2)	Name of which withdrawal notice delivered (3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Place:

.....

Date :

Signature of Election Officer

Form 34

[See Rule 21(1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATE

**Election to the President of the Managing Committee of Distributory
Committee**

S.No. (1)	Name of Candidate (2)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Place:

Date : Signature of Election Officer

Form 35

(See Rule 66)

BALLOT PAPER

..... DISTRIBUTORY COMMITTEE

Ballot Paper for President of the managing Committee

S.No. of the Voter

R. No.

Signature / Thumb Impression

..... Distributory Committee
Ballot paper for President of the managing Committee

R. No.

R.

No.

name of the Candidate in Hindi
in alphabetical Order

Put (✓) mark against one name only
in the box space provided.

- | | | |
|----|------|--------------------------|
| 1. | Name | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Name | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Name | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Name | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Name | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Name | <input type="checkbox"/> |

1. Name of Distributory Committee
2. Date of poll
3. Place of Poll

.....
Signature of the Election Officer

Form 36

(See Rule 65 and 67)

Declaration of the Result of Election

In accordance with Rule 65 and 67, I declare that the following candidate(s) has/have been duly elected for the Office of President of Managing Committee of Distributory Committee.

Name :

Address:

Place:

Date:

Signature of Election Officer

Form 37

(See Rule 75)

**NOTICE OF ELECTION FOR THE OFFICE OF THE CHAIRPERSON OF
THE MANAGING COMMITTEE OF**

PROJECT COMMITTEE OF IRRIGATION SYSTEM

Notice is hereby given that -

1. An election will be held for electing the Chairperson of the Managing Committee of project Committee Irrigation System on (date).
2. Nomination papers may be delivered or filed by a candidate or his proposer or file before the undersigned between 11.00 A.M. and 12.00 Noon on (date) at (Place).
3. Forms of nomination papers may be obtained from the undersigned one hour before the time specified for filling as aforesaid.
4. The nomination papers will be taken up for scrutiny at (place) of Date between 12.00 PM to 1.00 PM.
5. Notice of withdrawal of candidature may be delivered by a candidate or his proposer to undersigned between 1.00 PM to 1.30 PM on the at
6. In the event of election being held, the poll will be taken on (Date) between the 15.00 Hrs. and 17.00 Hrs.
7. Counting will commence after the poll is over, and the results declared immediately thereafter.

Place:Date:

Signature of Election Officer

*Form 38

(See Rule 15(1))

Project Committee
Nomination Paper

1. Name of the Office :
Chairperson of the Managing Committee
2. Name of the Water Users Association / Distributory Committee for which he is elected as President
3. Full name including surname of the candidate
4. Father's or Husband's Name:
5. Age :
6. Sex:
7. (a) Occupation:
(b) Address permanent :
Address temporary:
8. Full name of the proposer:
9. Name of the Water Users Association/ Distributory Committee for which he is elected as President
10. Signature of the Proposer:

(Name in Capital Letters)

Date

Candidate's Declaration

I declare that I am eligible and willing to stand for election.

.....
Signature of the Candidate
(name in capital letters)

This nomination paper was presented to me by

..... (person) at date and hour.

.....
Signature of the Election officer
or other authorised person

Decision of Election Officer accepting or rejecting the nomination paper.

I have examined this nomination paper and decode as follows:

Date:

Signature of the Election officer

RECEIPT FOR NOMINATION PAPER AND NOTICE FOR SCRUTINY

(To be handed to the person presenting the nomination paper)

Serial No. of Nomination paper The nomination paper of a candidate for Election of chairperson of the Managing Committee of the project Committee was delivered to me at (hour) on (date) by the Candidate / proposer.

All nomination papers will be taken up for scrutiny at (hours) on (date) at (place).

Date:

Signature of the Election officer

*Form 39

(See Rule 18)

List of nominations received on (Date) for the office of the chairperson of the managing committee of Project Committee

S.No. of nomination paper	Name of the Candidate	Father's Name	Name and number of Water Users Association / Distributory Committee	Occupation and address	S. No. in Voters List	Name of the Proposer	Name and number of W.U.A. / D.C. of the Proposer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

The nomination papers will be taken up for scrutiny between 12.30 P.M. to 1.00 P.M., on the date at (place)

Place

Date :

Signature of election Officer
or other authorised person.

*Form 40

(See Rule 19(5))

List of valid nominations after scrutiny

Name of Project Committee

**Election of Chairperson of the Managing Committee of
Project Committee**

S.No. Allotted (1)	Name of Candidate (2)	Name and number of Water Users Association/ Distributory Committee he represents (3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Place:

Date : Signature of Election Officer

Form 41

[See Rule 20(1)]

Notice of Withdrawal Given by the Candidate

Election of Chairperson of the Managing Committee ofProject
Committee

I, being a candidate validly nominated at the above
election do hereby give notice that I withdraw my candidature.

Place:

Date: Signature of the Candidate

This notice was delivered to me at my office at
 (hours) on (date) by (name)

Date:

Election Officer

RECEIPT FOR NOTICE OF WITHDRAWAL

(to be handed over to the person delivering the notice)

This notice of withdrawal of candidature by.....a
 candidate at the election of Chairperson of the Managing Committee of.....
 Project Committee as delivered to me by the.....at my office at
 (hours) on date.

Date: Signature of Election officer

Form 42

(See Rule 20(2))

NOTICE INTIMATING THE WITHDRAWAL MADE BY THE CANDIDATE

**Election of office of the Chairperson of the Managing Committee of
 Project Committee**

S.No. (1)	Name of Candidate (2)	Name of which withdrawal notice delivered (3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Place:

Date : Signature of Election Officer

Form 43

[See Rule 21(1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATE

**Election to the Chairperson of the Managing Committee of
.....Project Committee**

S.No. (1)	Name of Candidate (2)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Place:

Date :

Signature of Election Officer

Form 44

(See Rule 78)

BALLOT PAPER

..... Project Committee

Ballot paper for Chairperson of the managing Committee

S.No. of the Voter

.....

R. No.

Signature / Thumb Impression

..... Project Committee

Ballot paper for Chairperson of Managing Committee

R. No.

R.No.

name of the Candidate in Hindi

Put (✓) mark against one name only

in alphabetical Order

in the box space provided.

- | | | |
|----|--------|--------------------------|
| 1. | Name : | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Name: | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Name: | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Name: | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Name: | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Name: | <input type="checkbox"/> |

-
1. Name of Project Committee
 2. Date of poll
 3. Place of Poll

.....
Signature of the Election Officer

Form 45

(See Rule 79)

Declaration of the result of Election under rule 73 of Election Rules

In accordance with Rule 73 of the Election Rule, I declare that the following candidate(s) has/have been duly elected for the Office of the Chairperson of the Managing Committee ofProject Committee.

Name :

Address:

Place:

Date:

.....
Signature of Election Officer

Form – 46
(Rule 17(1) (B))
(Original Copy)
CASH RECEIPT

S.No.

Date

20

Received the sum of Rs.....(Rupees.....Only) form

Shri/Smt/Kum.....

(Full name of WUA Contesting candidate)

Son/Wife/daughter of Sri

towards the **nomination fee** for the election to the post of.....

in

(Full name of WUA/DC/PC as per records)

in(Village)of.....

(Tahsil).....

.....(District)

Signature.....

(Election Officer)

Rs.

[Corrections if any, shall be attested by the Election Officer]

.....please cut here.....

Form – 46

(Duplicate Copy)
CASH RECEIPT

S.No.

Date

20

Received the sum of Rs.....(Rupees.....Only)form

Sri/Smt/Kum.....

(Full name of WUA Contesting candidate)

Son/Wife/daughter of Sri

towards the nomination fee for the election to the post of.....

in

(Full name of WUA/DC/PC as per records)

in(Village)of.....

(Tahsil)

.....(District)

Signature.....

(Election Officer)

Rs.

[Corrections if any, shall be attested by the Election Officer]

Form – 47

(See rule)

Declaration of Casual Vacancies in
Farmers Organisations

In exercise of the powers conferred under the *Rule 55 *Rule 56 * Rule 67 of the Madhya Pradesh Farmers Organisation Election Rules 2014.

I....., the Election Officer for the
(name of the farmers organization)

declare the following post or posts as Casual Vacancies, because the members of the Managing Committee of the following farmers organization have failed to elect their respective office bearer(s) in the special meeting held on /.... /20... for the following reasons.

- (a) *Lack of quorum (applicable WUA /DC/PC election)
- (b) * No consensus among members
- (c) *None of the Members turned up
- (d) *Only one Member turned up
- (e) *The strength of elected members of WUA/DC/PC is less than 50% of the total strength.
- (f) Name of the Post

(i)(ii)

Name of Farmers Organisation.....

Village.....Tahsil.....

District.....

Place:

Signature.....

Date: /.... /20...

Full Name

(in Capital) (Election Officer)

*Strike off whichever is not applicable

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. S. DHAKAD, Secy.